

CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA



AUDITED ANNUAL ACCOUNTS

2024-25

CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA



'Achieving through Believing'

University Logo

University Logo is conceived with a globe at its centre surrounded by holy trinity of three arcs and at the bottom is a shloka taken from *NeetiShatkam* written by BhartiHari.

The arc at the bottom depicts an open book and a Veena, symbolising University's commitment to meeting the quest for acquiring knowledge, learning, enlightenment and promoting art and culture.

The arc at the right depicts processes of science, technology and adventure symbolising the University's commitment to developing scientific temper, enquiring approach and creating a culture of creativity and innovation for holistic development.

The arc at the left that depicts nature and symbolises University's commitment to promoting value based education, ethical conduct, inculcating respect for environment, ecology and living in harmony with nature.

The globe at the centre surrounded by the human chain and the pigeon flying above expresses University's belief that commitments represented by the trinity of three arcs shall lead to free spirit, global peace, prosperity and human solidarity-the real spirit of education.

The shloka "*Vidyadhanam Sarvadhanapradhanam*" at the bottom conveys that 'knowledge' is the unrivalled attainment for all.

ABOUT THE UNIVERSITY

University

The Central University of Haryana (established vide Central Universities Act 2009) is funded and regulated by University Grants Commission and Ministry of Education (MoE), Government of India. The University is located at Jant-Pali villages of district Mahendergarh in South Haryana, which is now a part of the extended National Capital Region (NCR).

Visitor of the University

Her Excellency, The President of India, Smt. Droupadi Murmu

Vice-Chancellor

Prof. (Dr.) Tankeshwar Kumar

Vision

To develop enlightened citizenship of a knowledge society for peace and prosperity of individuals, nation and the world, through promotion of innovation, creative endeavors, and scholarly inquiry.

Mission

To serve as a beacon of change, through multi-disciplinary learning, for creation of knowledge community, by building a strong character and nurturing a value-based transparent work ethics, promoting creative and critical thinking for holistic development and self-sustenance for the people of India. The University seeks to achieve this objective by cultivating an environment of excellence in teaching, research and innovation in pure and applied areas of learning, with a focus on social enquiry, democratic ethos and inclusive socio-economic development, community outreach initiatives, scientific endeavors and technological advancement.

Objectives of the University

The objectives of the University are:

- To disseminate and advance knowledge by providing instructional and research facilities in such branches of learning as it may deem fit;
- To make special provisions for integrated courses in humanities, social sciences, science and technology in its educational programmes;
- To take appropriate measures for promoting innovations in teaching-learning process and interdisciplinary studies and research;
- To educate and train human resource for the development of the country;
- To establish linkages with industries for the promotion of science and technology; and
- To pay special attention to the improvement of the social and economic conditions and welfare of the people, through their intellectual, academic and cultural development.

Quality Statement

Perseverance, determination, enquiry, ethical conduct, probity, transparency, accountability and continuous self-evaluation and improvement to form the cornerstones of all endeavors for holistic and inclusive growth and development of society through excellence in academics, research and all other relevant and meaningful pursuits.

UNIVERSITY COURT

Form 17

Constitution Court of University as per the provisions contained in statute

Clause	Statute-10 (Constitution of Court & term of Office of its members)	Members	Tenure
i.	Chancellor, Chairperson	Vacant	N/A
ii.	Vice-Chancellor	Prof. (Dr.) Tankeshwar Kumar	Ex-Officio Member
iii.	Pro-Vice Chancellor	Vacant	N/A
iv.	All Members of the Executive Council	Prof. Rajaneesh Kumar Shukla Former Vice-Chancellor, Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha Prof. B. B. Goel Professor of Public Administration (Retd.) Panjab University, Chandigarh Prof. Sat Prakash Bansal Vice-Chancellor, Central University of Himachal Pradesh Prof. Mukhtiar Singh Professor, Department of Electrical Engineering, Delhi Technological University Prof. Tahir Hussain Member, National Monitoring Committee for Minority Education, MHRD, Govt. of India Prof. Pardeep Kumar Professor, Department of Instrumentation, Kurukshetra University, Kurukshetra Prof. Ranjan Aneja Dean, School of Business and Management Studies Prof. Rajesh Kumar Gupta Dean, School of Basic Sciences, CUH	Ex-Officio Members

		9. Prof. Dinesh Kumar Gupta, Dean, School of Interdisciplinary and Applied Sciences 10. Prof. Nand Kishor, Proctor, CUH 11. Prof. R.K. Gupta, Vice-Chancellor Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh	
v.	All Deans of Schools	1. Prof. Rajesh Kumar Gupta, Dean, School of Basic Sciences 2. Prof. Ranjan Aneja, Dean, School of Business & Management Studies 3. Prof. Ravinder Pal Ahlawat, Dean, School of Education 4. Prof. Vikas Garg, Dean, School of Engineering & Technology 5. Prof. Payal Kanwar Chandel, Dean, School of Humanities & Social Sciences 6. Prof. Dinesh Kumar Gupta, Dean, School of Interdisciplinary & Applied Sciences 7. Dr. Pardeep Singh, Dean, School of Law 8. Prof. Pawan Kumar Maurya, Dean, School of Life Long Learning	Ex-Officio Members
vi.	Proctor, ex-officio	Prof. Nand Kishor , Department of Teacher Education	Ex-Officio Member
vii.	Dean of Students Welfare	Prof. Anand Sharma , Professor, Department of Management Studies	Ex-Officio Member
viii.	All Chairpersons of Centres	Vacant	Ex-Officio Members
ix.	All Heads of Departments	1. Prof. Antresh Kumar, Head, Department of Biochemistry 2. Dr. Rupesh Deshmukh, Head, Department of Biotechnology	Ex-Officio Members

		3. Prof. Harish Kumar, Head, Department of Chemistry 4. Prof. Vikas Garg, Head, Department of Civil Engineering 5. Dr. Rajendra Prasad Meena, Head, Department of Commerce 6. Prof. Rakesh Kumar, Head, Department of Computer Science & Engineering 7. Dr. Keshav Singh Rawat, Head, Department of Computer Science and Information Technology 8. Dr. Amandeep Verma, Head, Department of Economics 9. Prof. Akash Saxena, Head, Department of Electrical Engineering 10. Prof. Sanjiv Kumar, Head, Department of English & Foreign Languages 11. Dr. Anita Singh, Head, Department of Environmental Studies 12. Prof. M.L. Meena, Head, Department of Geography 13. Prof. Bir Pal Singh Yadav, Head, Department of Hindi 14. Dr. Narender Singh, Head, Department of History and Archaeology 15. Dr. Ashok Kumar, Head, Department of Journalism and Mass Communication 16. Dr. Pardeep Singh, Head, Department of Law 17. Dr. Shri Ram Pandey, Head, Department of Library and Information Science	
--	--	---	--

		18.Prof. Sunita Tanwar, Head, Department of Management Studies 19.Prof. Anil Kumar Yadav, Head, Department of Mathematics 20.Prof. Vikas Beniwal, Head, Department of Microbiology 21.Prof. Kanti Prakash Sharma, Head, Department of Nutrition Biology 22.Dr. Dinesh Kumar, Head, Department of Pharmaceutical Sciences 23.Dr. Jaiprakash Bhukar, Head, Department of Physical Education and Sports 24.Prof. Sunita Srivastava, Head, Department of Physics and Astrophysics 25.Prof. Rajeev Kumar Singh, Head, Department of Political Science 26.Prof. Vikas Garg, Head, Department of Printing and Packaging Technology 27.Prof. Payal Kanwar Chandel, Head, Department of Psychology 28.Prof. Payal Kanwar Chandel, Head, Department of Sanskrit 29.Prof. Payal Kanwar Chandel, Head, Department of Sociology 30.Prof. Ranjan Kumar Sahoo, Head, Department of Statistics 31.Prof. Parmod Kumar, Head, Department of Teacher Education 32.Prof. Ranbir Singh, Head, Department of Tourism and Hotel Management 33.Prof. Dinesh Kumar Gupta, Head, Department of Yoga	
--	--	---	--

		34. Prof. Kalpana Chauhan , Head, Department of Applied Sciences and Humanities	
x.	Librarian	Dr. Santosh C. Hulagabali PDU Central Library, CUH	Ex-Officio Member
xi.	All Professors other than Heads/Deans	1. Prof. Gunjan Goel, Department of Microbiology 2. Prof. Ajay Kumar Bansal, Department of Electrical Engineering 3. Prof. Dinesh Chahal, Department of Teacher Education 4. Prof. Nand Kishor, Department of Teacher Education 5. Prof. Manoj Kumar Singh, Department of Applied Sciences and Humanities 6. Prof. Rajesh Kumar Malik, Department of Law 7. Prof. Anand Sharma, Department of Management Studies 8. Prof. Suneel Kumar, Department of Physics and Astrophysics 9. Prof. Ashish Mathur, Department of Management Studies 10. Prof. Sushila Kumari Soriya, Department of Commerce 11. Prof. Singara Singh, Department of Computer Science and Information Technology 12. Prof. Vinod Kumar, Department of Chemistry 13. Prof. Neelam Sangwan, Department of Biochemistry 14. Prof. Rajesh Kumar Dubey, Department of Electrical Engineering 15. Prof. Bijender Singh, Department of Biotechnology	Ex-Officio Members

		16.Prof. Bhaskar Das , Department of Civil Engineering 17.Prof. Chanchal Kumar Sharma , Department of Political Science 18.Prof. Phool Singh , Department of Applied Sciences and Humanities 19.Prof. Surender Kumar , Department of Microbiology 20.Prof. Ramesh Kumar , Department of Political Science 21.Prof. Vishva Chaudhary , Department of Psychology 22.Prof. Tanu Gupta , Department of English and Foreign Languages	
xii.	Controller of Examinations	Prof. Rajiv Kaushik	Ex-Officio Member
xiii.	Finance Officer	Dr. Vikas Kumar	Ex-Officio Member
xiv.	Registrar	Prof. Suneel Kumar , Registrar(I/C)	Ex-Officio Member Secretary
xv.	Nominees of the Visitor: Four eminent persons nominated by the Visitor	Vacant	-----
xvi.	Nominees of the Chancellor: Two eminent academicians nominated by the Chancellor	Vacant	-----
xvii.	Two Associate Professors who are not Heads of Teaching Departments to be nominated by the Vice-Chancellor on rotation basis	1. Dr. Umesh Kumar , Associate Professor, Department of Nutrition Biology 2. Dr. Vidyullatha Peddireddy , Associate Professor, Department of Nutrition Biology	Upto 12-01-2026
xviii.	Two Assistant Professors representing each School/ Centre/ Department/ College by rotation to be nominated by the Vice Chancellor on rotation basis	1. Dr. Ravinder Kaur , Department of Commerce	Upto 26.02.2027
		Vacant	

xix.	Representatives of learned Professions and Special Interests: Six persons representing learned professions and special interests including representatives of Industry, commerce, banking, agriculture, health, financial institutions, legal, eminent academicians, media, social work etc. to be nominated by the Executive Council	1. Prof. P.C. Patanjali, Former Vice-Chancellor, Purvachal University, Jaunpur, UP 2. Prof. Payal Mago, Principal, Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women, University of Delhi 3. Prof. Om Prakash, Emeritus Fellow, Department of Chemistry, Kurukshetra University, Kurukshetra 4. Prof. N.K. Taneja, Former Vice-Chancellor, Chaudhary Charan Singh University, Meerut 5. Prof. V.K. Aggarwal, Former Vice-Chancellor, Jagan Nath University, Jaipur 6. Prof. R.K. Gupta, Vice-Chancellor, Maharaja Agrasen University, Solan, Himachal Pradesh	Upto 15.11.2025
------	--	--	--

Tenure: All members of the Court, other than the ex-officio members i.e. Sr.No. (i to xiv), shall hold office for a term of three years.

Quorum: “One third of the number of the members of the Court shall form a quorum for a meeting of the Court”

EXECUTIVE COUNCIL

Form 15

Constitution of Executive Council of University as per the provisions
contained in statute:

Clause	Statute-11 (Constitution of Executive Council & term of Office of its members)	Members	Tenure
i.	Vice Chancellor, ex-officio Chairperson	Prof. (Dr.) Tankeshwar Kumar	Ex-Officio Member
ii.	Pro-Vice Chancellor, ex-officio	Vacant	N/A
iii.	Three Deans of Schools of Studies of whom not more than two shall be from each of the Groups specified below by rotation according to seniority: Group-I a. School of Humanities and Social Sciences; b. School of Law; c. School of Business and Management Studies; d. School of Education Group-II a. School of Basic Sciences; b. School of Interdisciplinary and Applied Sciences; c. School of Engineering and Technology; d. School of Agricultural Sciences; e. School of Life-long Learning	a. Prof. Ranjan Aneja , Dean, School of Business and Management Studies	For a period of three years w.e.f. 23-12-2024 or till he remains Dean of the respective School of Studies, whichever is earlier.
		b. Prof. Dinesh Kumar Gupta , Dean, School of Interdisciplinary and Applied Sciences	For the residual period i.e. Upto 09-05-2025 or till he remains Dean of the respective School of Studies, whichever is earlier.
		c. Prof. Rajesh Kumar Gupta , Dean, School of Basic Sciences	For a period of three years w.e.f. 14-02-2025 or till he remains Dean of the respective

			School of Studies, whichever is earlier.
iv.	Three eminent persons from the field of Technology/ Industry/ Finance/ Education to be nominated by the Vice Chancellor	1. Prof. Rajaneesh Kumar Shukla , Former Vice-Chancellor, Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha 2. Prof. B. B. Goel , Professor of Public Administration (Retd.) Panjab University, Chandigarh 3. Prof. Sat Prakash Bansal , Vice-Chancellor, Central University of Himachal Pradesh	Upto 07-04-2025 Upto 03-06-2025 Upto 03-06-2025
v.	Proctor, ex-officio	1. Prof. Nand Kishor , Professor, Department of Teacher Education, CUH	Ex-Officio Member
vi.	Two members of the Court nominated by the Court	1. Prof. R.K. Gupta , Vice-Chancellor, Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh	Upto 02.06.2027 or till they remains members of the University Court, whichever is earlier.
vii.	Three persons of distinction in academic life, to be nominated by the Visitor	Vacant	N/A
viii.	Three representatives giving due attention to categories such as Scheduled Caste/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ Minorities/Women/ Differently Aabled (To be nominated by the Vice Chancellor as serving or retired academicians from Institutions from Higher Education and Research.)	1. Prof. Pardeep Kumar , Professor, Department of Instrumentation, Kurukshetra University, Kurukshetra 2. Prof. Mukhtiar Singh , Professor, Department of Electrical Engineering, Delhi Technological University 3. Prof. Tahir Hussain , Member, National Monitoring Committee for Minority Education, Ministry of Human	Upto 07-04-2025 Upto 03-06-2025 Upto 03-06-2025

		Resource Development, Govt. of India	
ix.	Registrar, Secretary, ex-officio	1.Prof. Suneel Kumar, Registrar(I/C)	Ex-Officio Secretary

Tenure: All members of the Executive Council, other than ex-officio members shall hold office for a term of three years.

Quorum: “Half the total members of the Executive Council excluding the Vice-Chancellor shall make the quorum for the meeting of the Executive Council”

ACADEMIC COUNCIL

Form 16

**Constitution of Academic Council of University as per the provisions
contained in statute**

Clause	Statute-13 (Constitution of Academic Council & term of Office of its members)	Members	Tenure
i.	Vice-Chancellor, Ex-officio Chairperson	Prof. (Dr.) Tankeshwar Kumar	Ex-officio
ii.	Pro-Vice-Chancellor	Vacant	N/A
iii.	Deans of Schools of Studies	1. Prof. Rajesh Kumar Gupta, Dean, School of Basic Sciences 2. Prof. Ranjan Aneja, Dean, School of Business & Management Studies 3. Prof. Ravinder Pal Ahlawat, Dean, School of Education 4. Prof. Vikas Garg, Dean, School of Engineering & Technology 5. Prof. Payal Kanwar Chandel, Dean, School of Humanities & Social Sciences 6. Prof. Dinesh Kumar Gupta, Dean, School of Interdisciplinary & Applied Sciences 7. Dr. Pardeep Singh, Dean, School of Law 8. Prof. Pawan Kumar Maurya, Dean, School of Life Long Learning	Ex-officio Members
iv.	Heads of Department of Studies	1. Prof. Antresh Kumar, Head, Department of Biochemistry 2. Dr. Rupesh Deshmukh, Head, Department of Biotechnology 3. Prof. Harish Kumar, Head, Department of Chemistry 4. Prof. Vikas Garg, Head, Department of Civil Engineering 5. Dr. Rajendra Prasad Meena, Head, Department of Commerce	Ex-officio Members

		6. Prof. Rakesh Kumar, Head, Department of Computer Science & Engineering 7. Dr. Keshav Singh Rawat, Head, Department of Computer Science and Information Technology 8. Dr. Amandeep Verma, Head, Department of Economics 9. Prof. Akash Saxena, Head, Department of Electrical Engineering 10. Prof. Sanjiv Kumar, Head, Department of English & Foreign Languages 11. Dr. Anita Singh, Head, Department of Environmental Studies 12. Prof. M.L. Meena, Head, Department of Geography 13. Prof. Bir Pal Singh Yadav, Head, Department of Hindi 14. Dr. Narender Singh, Head, Department of History and Archaeology 15. Dr. Ashok Kumar, Head, Department of Journalism and Mass Communication 16. Dr. Pardeep Singh, Head, Department of Law 17. Dr. Shri Ram Pandey, Head, Department of Library and Information Science 18. Prof. Sunita Tanwar, Head, Department of Management Studies 19. Prof. Anil Kumar Yadav, Head, Department of Mathematics 20. Prof. Vikas Beniwal, Head, Department of Microbiology 21. Prof. Kanti Prakash Sharma, Head, Department of Nutrition Biology	
--	--	--	--

		22.Dr. Dinesh Kumar , Head, Department of Pharmaceutical Sciences 23.Dr. Jaiprakash Bhukar , Head, Department of Physical Education and Sports 24.Prof. Sunita Srivastava , Head, Department of Physics and Astrophysics 25.Prof. Rajeew Kumar Singh , Head, Department of Political Science 26.Prof. Vikas Garg , Head, Department of Printing and Packaging Technology 27.Prof. Payal Kanwar Chandel , Head, Department of Psychology 28.Prof. Payal Kanwar Chandel , Head, Department of Sanskrit 29.Prof. Payal Kanwar Chandel , Head, Department of Sociology 30.Prof. Ranjan Kumar Sahoo , Head, Department of Statistics 31.Prof. Parmod Kumar , Head, Department of Teacher Education 32.Prof. Ranbir Singh , Head, Department of Tourism and Hotel Management 33.Prof. Dinesh Kumar Gupta , Head, Department of Yoga 34.Prof. Kalpana Chauhan , Head, Department of Applied Sciences and Humanities	
v.	Four Professors, who are not Dean or Head by rotation according to seniority, adequately representing different Schools of Studies	1. Prof. Ajay Kumar Bansal , Department of Electrical Engineering	Upto 12.07.2025
		2. Prof. Rajesh Kumar Dubey , Department of Electrical Engineering	Upto 18-12-2027
		3. Prof. Dinesh Chahal , Department of Teacher Education	Upto 18-12-2027
		Vacant	

vi.	Six persons not in the service of the University on the recommendations of Academic Council for their special knowledge	Prof. Alok Kumar Chakrawal, Vice-Chancellor, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur Prof. Raghavendra P. Tiwari, Vice-Chancellor, Central University of Punjab, Bathinda Prof. Shipra Gupta, Professor, Department of Law, Panjab University, Chandigarh Prof. Navdeep Goyal, Professor, Department of Physics, Panjab University, Chandigarh Ms. Jyoti Arora, IAS (Retd) 1987 Batch, Haryana & Ex-Additional Chief Secretary, Higher & Technical Education Department, Haryana Dr. Rekha Kalia Bhardwaj, Former Registrar, DAV University Jalandhar & Visiting Professor, Lovely Professional University, Jalandhar	Upto 16.02.2028
vii.	Four Eminent persons from the field of Technology/ Industry/ Finance/ Education to be nominated by the Vice-Chancellor	Prof. Sathans, Professor, Department of Electrical Engineering, NIT, Kurukshetra- 136119 Prof. B. B. Goel, Professor of Public Administration (Retd.) Panjab University, Chandigarh Dr. Viney Kapoor, Pro-Vice-Chancellor, Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University, Gurugram P.S. Maruthi Sai, Former Vice President, Reliance Life Science, Mumbai	Upto 24.05.2026
viii.	Three members of Court when constituted, elected from amongst the elected members, none of whom shall be an employee or student of the University or an Institution recognized by or associated with the University.	Vacant	-----

ix.	Three Associate Professors, who are not Dean or Head by rotation according to seniority, adequately representing different Schools of Studies	1. Dr. Aarti Yadav , Associate Professor, Department of Teacher Education	Upto 18.12.2027
		Vacant	
x.	Two Assistant Professors, by rotation according to seniority, adequately representing different Schools of Studies	1. Dr. Rashmi Tanwar , Assistant Professor, Department of Economics 2. Dr. Arvind Singh Tejawat , Assistant Professor, Department of Hindi	Upto 18.12.2027
xi.	Dean Students Welfare	Prof. Anand Sharma , Professor, Department of Management Studies	Ex-officio Member
xii.	Proctor	Prof. Nand Kishor , Professor, Department of Teacher Education, CUH	Ex-officio Member
xiii.	Librarian	Dr. Santosh C. Hulagabali PDU Central Library, CUH	Ex-officio Member
xiv.	One Provost by rotation according to seniority	Vacant	
xv.	Two student representatives, to be nominated by Vice-Chancellor on merit basis, one from among the research scholars and the other from the post graduate students from the various Schools/Departments of the University on rotation basis. (The student members shall not be allowed to participate in discussion in respect of matters relating to Examinations, Selection Committees, appointments and conditions of service of the teaching staff)	Vacant	
xvi.	Three representatives giving due attention to categories such as Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Minorities/ Woman/ Differently Abled	1. Prof. Simrit Kahlon , Professor, Department of Geography, Panjab University, Chandigarh 2. Dr. Ashok Kumar , Assistant Professor, Department of Physics, Central University of Punjab	Upto 24.05.2026

	(to be nominated by the Vice-Chancellor as serving or retired academicians from institutions from Higher Education and Research)	3. Prof. Devinder Kumar , Professor, Department of Chemistry, Guru Jambheshwar University of Science & Technology, Hisar	
xvii.	Registrar Ex-officio Secretary	Prof. Suneel Kumar , Registrar(I/C)	Ex-officio Secretary

Tenure: All members of the Academic Council, other than Vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellor, Dean of Students Welfare, Proctor and Librarian shall hold office for a term of three years provided that the tenure of student members shall be one academic year.

Quorum: “Half of the total members of the Academic Council excluding the Vice-Chancellor shall make the quorum for the meeting of the Academic Council”.

FINANCE COMMITTEE

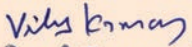
(as on 31st March, 2025)

Chairperson Prof. (Dr.) Tankeshwar Kumar Vice-Chancellor	
Joint Secretary and Finance Advisor MHRD, or Hon'ble President of India nominee from Finance Bureau of MHRD not below the rank of Deputy Secretary	Joint Secretary (CU & L) of MHRD, or Hon'ble President of India nominee not below the rank of Joint Secretary to the Govt. of India
Joint Secretary (CU), UGC or any other Joint Secretary level office nominated by the Chairman, UGC	Prof. B. B. Goel, Professor of Public Administration (Retd.), Panjab University, Chandigarh - In the Capacity of Executive Council Nominee (As a Member Executive Council)
Prof. Om Prakash Arora, Emeritus Fellow, Department of Chemistry, Kurukshetra University, Kurukshetra - In the Capacity of Executive Council Nominee.	Dr. Vikas Gupta, Registrar, University of Delhi, Delhi - In the capacity of University Court Nominee
Prof. (Dr.) R K Gupta, Vice-Chancellor Maharaja Agrasen University Solan, Himachal Pradesh – In the Capacity of Executive Council Nominee (As a Member Executive Council)	Dr. Vikas Kumar, Finance Officer, Central University of Haryana (Secretary)

Central University of Haryana

Balance Sheet as at 31 March, 2025

Particulars	Sch	For the year ended 31 March, 2025	For the year ended 31 March, 2024
		Rupees	Rupees
A SOURCES OF FUNDS			
1 Funds			
(a) Corpus Fund/ Capital Fund	1	5,96,04,51,395	5,90,96,68,773
(b) Designated/Earmarked/Endowment Funds	2		-
(c) Depreciation Reserve Fund			
		5,96,04,51,395	5,90,96,68,773
2 Current liabilities & Provisions			
(a) Trade/Accounts payables	3	2,69,357	16,89,254
(b) Other current liabilities	3	1,04,80,30,646	1,04,57,58,254
(c) Short-term provisions	3	11,33,99,056	9,52,44,744
		1,16,16,99,059	1,14,26,92,252
TOTAL		7,12,21,50,454	7,05,23,61,025
B APPLICATION OF FUNDS			
1 Fixed assets			
(a) Tangible assets	4	4,25,85,96,644	1,94,14,80,411
(b) Intangible assets	4	66,06,231	27,62,921
(c) Capital work in progress	4	1,37,76,92,392	3,50,01,35,515
		5,64,28,95,267	5,44,43,78,847
2 Investments from Earmarked/Endowment Funds			
(a) Long Term	5		-
(b) Short Term			-
			-
3 Investments - Others	6		-
4 Current Assets			
(a) Inventories	7		-
(b) Trade/Accounts receivables	7		-
(c) Cash and cash equivalents	7	1,04,98,73,567	1,01,41,18,934
		1,04,98,73,567	1,01,41,18,934
5 Loans, Advances & Deposits			
(d) Short-term loans and advances	8	42,93,81,624	59,38,63,244
(e) Other current assets	7	-	-
		42,93,81,624	59,38,63,244
TOTAL		7,12,21,50,454	7,05,23,61,025
The accompanying notes 1-24 form integral part of these financial statements.			
Significant Accounting Policies	23		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	24		


 वित्त अधिकारी/Finance Officer
 Central University of Haryana
 महेंद्रगढ़/Mahendargarh-123031


 कुलसचिव/Registrar
 हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय
 Central University of Haryana
 महेंद्रगढ़, हरियाणा - 123029
 Mahendargarh, Haryana - 123029

Central University of Haryana

Income & Expenditure Account for the year ended 31 March, 2025

Particulars		Schedu le No.	For the year ended 31 March, 2025	For the year ended 31 March, 2024
			Rupees	Rupees
	CONTINUING OPERATIONS			
	INCOME			
1	Academic Receipts	9	13,42,62,923	11,35,93,401
2	Grants & Donations	10	83,53,65,999	79,15,91,192
3	Income from investments	11	5,89,20,853	4,12,94,617
4	Interest Earned	12	9,14,839	21,95,017
5	Other Incomes	13	3,21,68,467	2,50,40,237
6	Prior Period Income	14	38,75,360	-
A	Total Income (1+2+3+4+5+6)		1,06,55,08,441	97,37,14,465
	EXPENDITURE			
7	Staff Payments & Benefits	15	65,91,04,615	64,00,84,728
8	Academic Expenses	16	5,99,22,110	6,78,17,600
9	Administrative and General Expenses	17	16,72,46,380	19,16,94,171
10	Transportation Expenses	18	49,56,819	33,65,870
11	Repairs & Maintenance	19	91,91,156	2,34,85,315
12	Finance Costs	20	27,727	1,39,727
13	Depreciation	4		-
14	Other Expenses	21		-
15	Prior Period Expenses	22	1,48,000	-
B	Total expenses (7+8+9+10+11+12+13+14+15)		90,05,96,807	92,65,87,410
	Balance being excess of Income over Expenditure {A-B}		16,49,11,634	4,71,27,054
C	Transfer to/from Designated fund			
	Building Fund			-
	Others (Depreciation)	4	43,09,74,604	8,84,63,462
	Balance Being Surplus (Deficit) Carried to Capital Fund		43,09,74,604	8,84,63,462
D	{C-D}		(26,60,62,970)	(4,13,36,408)
	The accompanying notes 1-24 form intergral part of the financial statements			
	Significant Accounting Policies	23		
	Contingent Liabilities & Notes to Accounts	24		

Vijay Kumar
 वित्त अधिकारी/Finance Officer
 Central University Of Haryana
 Central University of Haryana
 महेंद्रगढ़/Mahendragarh-123031

Skumar
 कुलसचिव/Registrar
 Registrar
 Central University Of Haryana
 Central University of Haryana
 महेंद्रगढ़, हरियाणा - 123029
 Mahendragarh, Haryana - 123029

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS OF CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA			
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2025			
RECEIPTS	Current Year	PAYMENTS	Current Year
I. Opening Balances		I. Expenses	
a) Cash Balances		a) Finance Cost	27,727
b) Bank Balances		b) Academic Expenses	5,99,22,110
i. In Current Accounts		c) Administrative Expenses	16,72,46,380
ii. In deposit Accounts	89,23,94,964	d) Transportation Expenses	49,56,819
iii. In Savings accounts	12,15,89,420	e) Repairs & Maintenance	91,91,156
		f) Prior period Expenses	-
		g) Staff Payment expenses	60,28,93,324
II. Grants Received		II. Payments against Earmarked/Endowment Funds	
a) From Government of India			
b) From State Government	-		
Other than UGC	4,45,00,000		
UGC grant under Capital head	7,18,00,000		
UGC grant under Recurring Head	35,38,66,000		
UGC grant under Salary Head	48,14,99,999		
(Grants for capital & revenue exp/to be shown separately if available)	-		
III. Academic Receipt	13,42,62,925	III. Payments against Sponsored Projects/Schemes	4,221,452.00
IV. Receipts against Earmarked/Endowment Funds		IV. Payments against Sponsored Fellowships/Scholarships	11,936,756
V. Receipts against Sponsored Projects/Schemes	4,88,09,997	V. Investments and Deposits made	-
		a) Out of Earmarked/Endowments funds	
		b) Out of own funds (Investments - Others)	
VI. Receipts against sponsored Fellowships and Scholarships	80,89,951	VI. Term Deposits with Scheduled Banks	
VII. Income on Investments from		VII. Expenditure on Fixed Assets and	199,659,294
a) Earmarked/Endowment funds		Capital Works - in - Progress	1,892,823
b) Other investments		a) Fixed Assets	-
		b) Capital Works - in —Progress	
VIII. Interest received on		VIII. Other Payments including statutory payments	9,00,08,881
a) Bank Deposits	5,89,19,399		
b) Loans and Advances			
c) Savings Bank Accounts	9,14,839		
IX. Investments encashed		IX. Refunds of Grants	6,01,08,686
X. Term Deposits with Scheduled Banks encasLed		X. Deposits and Advances	2,39,52,098
		XI. Other Payments	-
XI. Other income (including Prior Period Income)	38,75,360	Sundry Creditors	4,48,065
XII. Deposits and Advances		XII. Closing balances	
Bank Sweep A/c	2,21,08,938	a) Cash in hand	
Deposit including EMD	21,19,971	b) Bank balances	
Deposit from students	1,11,84,393	In Current Accounts	
Other Advances to Employees	17,01,490	In Savings Accounts	13,32,87,502
		In Deposit Accounts	91,45,03,905
XIII. Miscellaneous Receipts including Statutory Receipts	-		
XIV. Any Other Receipts		XV. Any Other Payment	
Consultancy work	33,70,744		
Hefa grant received	18,22,39,060	Hefa payment	19,90,41,060
Rent Income	1,80,15,536	Consultancy Work	33,87,668
Others	2,78,13,439	Others	23,90,719
TOTAL	2,48,90,76,425	TOTAL	2,48,90,76,425

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule-1 Corpus/Capital Fund

Particulars	For the year ended 31 March, 2025	For the year ended 31 March, 2024
	Rupees	Rupees
Balance as at the beginning of the year	5,90,96,68,773	5,07,78,63,272
Add: Contribution towards Corpus/Capital Fund	22,72,39,060	25,33,32,038
Add: Grants from UGC, Government of India and State Government to the Extent utilized for capital expenditure (Current Year only)	7,18,00,000	8,65,00,000
Add: Asset Purchased out of Earmarked Funds	-	-
Add: Asset Purchased out of Sponsored Projects, where ownership vests in the institution	-	-
Add: Assets Donated/Gifts Received		-
ADD/Less : Prior Period Adjustment (Expenses)*	1,78,06,532	53,33,09,870
Add: Excess of Income over Expenditure transferred from the Income and Expenditure Account	- 26,60,62,970	- 4,13,36,408
Balance at the year end	5,96,04,51,395	5,90,96,68,773

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule-2 Designated/Earmarked/Endowment Funds

Particulars	FUND WISE BREAK UP				As at 31 March, 2025	As at 31 March, 2024
	AAA*	BBB	CCC	Endowment		Rupees
a) Opening balance of the funds	-	-	-	-		-
b) Additions to the Funds:	-	-	-	-		-
c) Income from investments made of the funds	-	-	-	-		-
d) Accrued interest on investments/Advances	-	-	-	-		-
e) Interest on Saving Bank A/c	-	-	-	-		-
f) Other additions -Prior Period Expenses (Excess Depreciation Written back)	-	-	-	-		-
g) Depreciation Value Add back	-	-	-	-		-
TOTAL (A)	-	-	-	-		-

B)

Utilisation/Expenditure towards objective of funds						
i. Capital Expenditure	-	-	-	-		-
ii. Revenue Expenditure	-	-	-	-		-
iii Others- Adjustment as per CAG Audit	-	-	-	-		-
TOTAL (B)	-	-	-	-		-

CLOSING BALANCE AS AT THE YEAR-END (A-B)	-	-	-	-		-
---	---	---	---	---	--	---

Represented by

Cash And Bank Balances	-	-	-	-		-
Investments	-	-	-	-		-
Interest Accrued But Not Due	-	-	-	-		-
TOTAL	-	-	-	-		-

* JRF Fund

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule-2A Endowment Funds

Specimen format of Sub Schedule to support the figures in the column "Endowment Funds" in the Schedule "Earmarked / Endowment Funds", forming part of the Balance Sheet

S.No (1)	Name of the Endowm ent (2)	Opening Balance		Addition s during the year	Total	Expendit ure on object during the year	Closin g Balanc e		Total
		Endowment (3)	Accumulated Interest (4)	Endo wmen ere	Endowment (7) - {3+5}	Acc umu	En do	Acc um	
									{10+ 11}

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule 3 – Current Liabilities & Provisions

Particulars	For the year ended 31 March, 2025	For the year ended 31 March, 2024
	Rupees	Rupees
A. Current Liabilities		
Deposits from staff		
Deposits from students :		
Security		-
Caution Money-Current Student	1,50,27,999	1,89,73,072
Caution Money-Ex Student	1,86,87,987	35,58,521
Sundry Creditors:		
For Goods & Services	2,69,357	16,89,254
Others (Stale Cheques Account)		-
Deposit-Others (including EMD, Security Deposit)	1,14,26,962	93,06,991
Statutory Liabilities (GPF, TDS, WC TAX, CPF, GIS, NPS):		
Overdue		
Others	1,50,99,787	1,25,46,051
Other current Liabilities		
Salaries Payable	3,49,07,564	2,86,72,841
Receipt against ongoing sponsored projects	9,05,23,495	7,08,04,915
Receipt against fellowships & scholarships	16,24,845	28,26,973
Unutilised Grants*	30,02,10,003	30,02,10,003
Unutilised Grants- Additional		-
Grants in advance		-
Book Overdraft		
Other funds(HEFA)	55,65,58,179	59,60,05,942
Other Liabilities	39,63,826	28,52,944
TOTAL (A)	1,04,83,00,003	1,04,74,47,507
B. Provisions		
For Taxation		
Gratuity		
Superannuation/Pension		
Accumulated Leave Encashment	11,29,49,615	9,47,95,304
Other Provisions#	4,49,440	4,49,440
Seventh Pay Commission Arrear		-
TOTAL (B)	11,33,99,055	9,52,44,744
TOTAL (A+B)	1,16,16,99,058	1,14,26,92,251

Unutilised grants comprised of following balances:		
Unspent Balance of Grants	2,12,01,000	6,01,08,686
Capital Advances	42,61,88,851	59,22,43,698
Provision for interest refund of UGC grant created for prior period**		-
Additional Grant'		
Total	44,73,89,851	65,23,52,384

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule 3(A) - Sponsored Projects

S.No	Name Of The Project	Opening Balances as on 01 April 2024		Receipts/Recoveries During The Year		Total	Expenditure/Transfer During The Year		Closing Balances as on 31 March, 2025		Closing Balances as on 31 March, 2024	
									Credit	Debit	Credit	Debit
1	AZAI ANSARI PROJECT-13660		7,32,549			7,32,549			7,32,549		7,32,549	
2	GRANT IN AID 1524 (PUJA YADAV)		14,48,867			14,48,867			14,48,867		14,48,867	
3	GRANT IN AID 19725		15,05,132	327		15,05,459			15,05,459		15,05,132	
4	GRANT IN AID-8952 (VRC)		3,05,357			3,05,357			3,05,357		3,05,357	
5	GRANT IN AID (MHRD) GIAN-9605		21,76,000			21,76,000			21,76,000		21,76,000	
6	GRANTS IN AID THERMO (14508)		12,08,304			12,08,304			12,08,304		12,08,304	
7	ICSSR ARVIND SINGH TEJAWAT (14526)		3,60,000			3,60,000			3,60,000		3,60,000	
8	ICSSR KAVITA		10,000			10,000			10,000		10,000	
9	MISC RECEIPT SBI		72,53,779	21,416		72,75,195	4,64,310		68,10,885		72,53,779	
10	MISC RECEIPT (TRANSFERRED TO LIAB)		1,05,01,648			1,05,01,648			1,05,01,648		1,05,01,648	
11	NASEEB SINGH ICSSR FELLOW		3,500			3,500			3,500			
12	PMWY-AJET KUMAR SAHOO		1,20,000			1,20,000			1,20,000			
13	PROJECT DR. SANJAY KUMAR BIOCHEMISTRY		8,99,000			8,99,000			8,99,000		8,99,000	
14	SCIENCE & ENGINEERING		6,00,000			6,00,000			6,00,000		6,00,000	
15	SCIENCE & ENGINEERING RESEARCH- YOUNG		1,50,000			1,50,000			1,50,000		1,50,000	
16	SWAMI DAYANAND SARASWATI CHAIR		18,77,245			18,77,245			18,77,245		18,77,245	
17	EQUAL OPPORTUNITY CELL-10043		3,74,080			3,74,080			3,74,080		3,74,080	
18	NSS-426-DINESH CHAHAL		4,67,496	1,04,725		5,72,221	2,20,175		3,52,046		4,67,496	
19	PROJECT-0822		28,386	39,568		67,954			67,954		28,386	
20	PROJECT-18887 (DR MANOJ GUPTA)		5,18,773			5,18,773			5,18,773			
21	PROJECT-21289 (PRAKASH KANOO)		18,04,346	156		18,04,502	1,416		18,03,086		18,04,346	
22	PROJECT-23551 (ASHWANI KUMAR)		8,74,347			8,74,347			8,74,347		8,74,347	
23	PROJECT-23807 (DR SAVITA BUDHWAR)		17,17,533	15,418		17,32,951	15,012		17,17,939		17,17,533	
24	PROJECT-26026 (TEJPAL DHEWA) MOOC		(49)			(49)			(49)		(49)	
25	PROJECT-26442-DIEPAK PANT		8,753	5,807		14,560			14,560		8,753	
26	PROJECT-27672 (T.LONGKOL)		(2,36,462)	2,83,991		47,529	2,79,436		(2,31,907)		(2,36,462)	
27	PROJECT-31754		-			-			-		-	
28	PROJECT-33257 (DR KUMAR P.)		2,48,212	1,54,010		4,02,222	1,07,434		2,94,788		2,48,212	
29	PROJECT-34061 (ANINDITA CHAKRABORTY)		898	24		922			922		898	
30	PROJECT-ANTIUNGAL B.-14580		2,56,906	24,602		2,81,508			2,81,508		2,56,906	
31	PROJECT-BIRAC DBT-19318 (K K DUBEY)		2,30,510			2,30,510			2,30,510		2,30,510	
32	PROJECT-CROSSING BOUNDARIES-17213		16,700	481		17,181			17,181		16,700	
33	PROJECT-DDUJK-06927		11,21,100	3,55,550		14,76,650			14,76,650		11,21,100	
34	PROJECT-DST-31471 (DR NAMRATA DHANA)		(2,76,776)	3,34,560		57,784	56,416		1,368		(2,76,776)	
35	PROJECT-DST-AISTDF-31198 (DR. GUNJAN GOEL)		2,83,095	1,729		2,84,824	2,83,095		1,729		2,83,095	
36	PROJECT-DST SEED-26974 (DR SAVITA BUDHWAR)		(3,12,854)	692		(3,12,162)			(3,12,162)		(3,12,854)	
37	PROJECT-ECR-21377 (VINOD KUMAR)		17,71,693	1,973		17,73,666	708		17,72,958		17,71,693	
38	PROJECT-GIAN-9605		1,06,569	19,923		1,26,492			1,26,492		1,06,569	
39	PROJECT-ICSSR-23382		66,04,903	82,68,646		1,48,73,549	61,04,589		87,68,960		66,04,903	
40	PROJECT-INSPIRE FACULTY-08095		1,09,823	3,177		1,13,000			1,13,000		1,09,823	
41	PROJECT-IQAC-10034		3,11,939	7,122		3,19,061	0		3,19,061		3,11,939	
42	PROJECT-LACCASE-27876 (JITENDER SAINI)		(93,801)	94,676		875			875		(93,801)	
43	PROJECT-LANGUAGE CHANGE-14526		82,881	88,996		1,71,877	87,810		84,067		82,881	
44	PROJECT-NRC PEDC-23393		19,31,151	798		19,31,949			19,31,949		19,31,151	
45	PROJECT-PMMANMITT-11339		12,56,808	14,939		12,71,747	27,714		12,44,033		12,56,808	
46	PROJECT-PRONAT-39236 (DR GUNJAN GOEL)		(2,88,401)	12,791		(2,75,610)	59,000		(3,34,610)		(2,88,401)	
47	PROJECT-RESEARCH AND EXTENSION-19381		66,197	1,914		68,111			68,111		66,197	
48	PROJECT-SDM COQ 10-12412		1,17,318	3,393		1,20,711			1,20,711		1,17,318	
49	PROJECT- SERB-31480 (DR NAMRATA DHANA)		5,30,608	10,051		5,40,659	36,187		5,04,472		5,30,608	
50	PROJECT-SERB-31709 (DR RAM GOPAL)		(6,57,172)	194		(6,56,978)			(6,56,978)		(6,57,172)	

[illegible]

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule 3(B) – Sponsored Fellowships And Scholarships

S. No	Name Of The Fellowship	Opening Balances as on 01 April 2024	Receipts/Recoveries During The Year	Total	Expenditure/Transfer During The Year	Closing Balances as on 31 March, 2025	Closing Balances as on 31 March, 2024
1	AAYUSH MATHUR- PHD SCHOLAR	-	2,59,613	3,15,613	2,74,613	41,000	18,000
2	Narendra Singh Phd	-	1,30,000	1,30,000	2,23,000	(93,000)	-
3	ROHIT- PHD SCHOLAR	21,000	1,78,314	1,99,314	1,99,312	2	18,000
4	Sahil Phd	-	4,274	4,274	4,274	-	-
5	AMAN KUMAR-HSCSIT	74,000	69,950	1,43,950	69,950	74,000	74,000
6	Jaya Yadav-HSCSIT	38,000	2,35,795	2,73,795	2,35,795	38,000	78,443
7	Anjed Ali	-	1,30,000	1,30,000	1,20,000	10,000	-
8	ANJALI JAGLAN- ICMR	-	6,02,700	7,42,842	5,96,877	1,45,965	1,34,392
9	Badal	-	1,23,066	1,23,066	1,23,066	-	-
10	Bashir Ahmad Khan-ICSSR	-	1,10,000	1,19,677	1,10,000	9,677	-
11	Parth-ICSSR Scholar	-	2,40,000	2,40,000	2,40,000	-	-
12	KASHMIRA KHANAM-ICSSR	-	2,05,010	2,05,010	2,05,010	-	-
13	Radha-ICSSR Scholar	-	2,40,000	2,40,000	2,40,000	-	-
14	Dr Poonam Yadav-CSIR	-	-	-	-	-	403
15	Preeti Yadav-CSIR Scholar	-	-	-	-	-	58
16	Rajni-CSIR Scholar	-	-	-	-	-	20,000
17	Sachin- CSIR	-	-	-	-	-	235
18	Dr.Rimmy	-	60,000	60,000	60,000	-	-
19	DST Overseas Fellowship - Dr. Amit	1,45,006	1,79,746	3,24,752	3,24,752	-	1,45,006
20	DST Overseas Fellowship-Puja Yadav	-	-	-	-	-	(19,660)
21	JAGDALA	1,98,500	-	1,98,500	1,98,400	100	-
22	Janardan Sen	2,63,460	-	2,63,460	-	2,63,460	-
23	Qazi Fabhan Meraj- PDF Scholar	-	-	-	-	-	300
24	Jeetender Yadav	-	1,02,850	1,02,850	1,02,850	-	-
25	Kareena Moar	18,000	2,36,000	2,54,000	2,31,220	22,780	-
26	MISS NEERU-SCHOLAR	1,94,516	5,62,245	7,56,761	5,43,408	2,13,353	30,233
27	MS. BHAWNA SWAMI	-	5,46,240	5,46,240	5,46,240	-	-
28	Narender Singh	-	3,08,645	3,08,645	3,08,645	-	-
29	Neetu	1,98,500	1,99,500	3,98,000	3,73,000	25,000	-
30	Pushpa-DBT	28,329	-	28,329	-	28,329	29
31	PUSHPA-DBT NEW	4,62,000	-	4,62,000	4,41,221	20,779	-
32	VIKAS KUMAR, SCHOLAR-DBT	1,30,680	6,01,902	7,32,582	6,76,802	55,780	(1,33,920)
33	SARIKA THAKUR -DBT	2,48,171	6,10,340	8,58,511	7,80,923	77,588	-
34	Vikram Poria - Ddt	1,30,680	5,32,428	6,63,108	6,63,108	-	66,960
35	Sharmila	40,312	2,08,355	2,48,667	1,71,422	77,245	-
36	Tanu Yadav	4,30,000	4,74,000	9,04,000	8,24,720	79,280	-
37	Tariq Ahmad Bhat	-	2,10,000	2,10,000	2,10,000	-	-
38	Akshay Kumar	-	2,41,226	2,41,226	2,03,226	38,000	-
39	Kavita	-	2,33,225	2,33,225	2,50,060	(16,835)	-
40	Kloglombe	-	1,33,613	1,33,613	1,14,581	19,032	-

41	Mandik Rushil Ramesh				6,68,400	6,68,400	3,56,748	3,11,652		-
42	Meenakshi				3,00,705	3,00,705	2,62,705	38,000		-
43	Monika-CSIR Scholar				81,036	81,036	81,036	-		-
44	Mukhtar				3,00,705	3,00,705	2,62,705	38,000		-
45	Sarita Kumari				1,66,211	1,66,211	1,41,496	24,715		-
46	Shalu				1,56,990	1,56,990	1,00,000	56,990		-
47	Shalu Yadav				5,93,880	5,93,880	5,78,428	15,452		-
48	Varuna Yadav				2,53,226	2,53,226	2,43,226	10,000		-
49	Anindita				22,23,852	22,23,852	22,23,351	501		-
	TOTAL			28,26,973	1,27,14,042	1,55,41,015	1,39,16,170	16,24,845	-	4,32,479

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule 3(C) – Unutilized Grants From the UGC, Government of India and State Governments

Particulars	As at 31 March, 2025	As at 31 March, 2024
	Rupees	Rupees
A. PLAN GRANTS : GOVERNMENT OF INDIA		
Balance B/F		
Add: Receipts during the year		
TOTAL (A)		
Less: Refunds		
Less: Utilized for Revenue Expenditure		
Less: Utilized for Capital Expenditure		
TOTAL (B)		
Unutilized Carried Forward (A-B)		
B. UGC GRANTS		
Balance B/F	27,93,00,000	27,57,00,000
Add : Current year provision for refund of interest to UGC		
Add: Receipts during the year	90,71,65,999	84,15,00,000
TOTAL (C)	1,18,64,65,999	1,11,72,00,000
Less: Refunds	2,12,01,000	6,01,08,686
Less: Utilized for Revenue Expenditure	83,53,65,999	69,12,91,314
Less: Utilized for Capital Expenditure	18,91,99,000	8,65,00,000
TOTAL (D)	1,04,57,65,999	83,79,00,000
Unutilized Carried Forward (C-D)	14,07,00,000	27,93,00,000
C. UGC GRANTS		
Balance B/F		
Add: Receipts during the year		
TOTAL (E)		
Less: Refunds		
Less: Utilized for Revenue Expenditure		
Less: Utilized for Capital Expenditure		
TOTAL (F)		
Unutilized Carried Forward (E-F)		
D. GRANTS FROM STATE GOVERNMENT		
Balance B/F		
Add: Receipts during the year		
TOTAL (G)		
Less: Refunds		
Less: Utilized for Revenue Expenditure		
Less: Utilized for Capital Expenditure		
TOTAL (H)		
Unutilized Carried Forward (G-H)		
GRAND TOTAL (A+B+C+D)	14,07,00,000	27,93,00,000

Schedule 4 - SLM (25)

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule-04: Fixed Assets As On 31st March 2023-Straight Line Method

DESCRIPTION Asset Heads	Rate of Depreciation in %	Revised Dep Rates %	GROSS BLOCK			Cost/valuation at March 31, 2024	ACCUMULATED DEPRECIATION			NET BLOCK	
			Additions during the year	Deductions during the year	Cost/valuation at April 1, 2024		On Additions during the year	On Deductions during the year	Total up to March 31, 2025	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
I. Tangible Assets											
Land	-	-	-	-	-	12,31,73,129	-	-	-	12,31,73,129	12,31,73,129
a) Freehold	-	-	-	-	-	12,31,73,129	-	-	-	12,31,73,129	12,31,73,129
b) Leasehold	-	-	-	-	-	42,500	-	-	-	42,500	42,500
II. Buildings						4,35,48,54,688	37,60,69,337	-	52,75,82,133	3,82,72,72,555	1,50,24,67,076
a) On freehold Land	-	-	2,70,08,74,816	-	15,15,12,796	-	-	-	-	-	-
b) On Leasehold Land- Campus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ownership Plant/Premises/ Building	0	0	-	-	11,70,41,401	83,35,06,785	1,66,70,136	-	13,37,11,537	69,97,95,248	71,59,54,713
Road & Bridge	0	0	5,10,671	-	33,23,465	3,92,91,713	7,85,834	-	3,51,82,414	3,51,82,414	3,55,63,769
Staff Quarters	0	0	4,04,179	-	80,48,000	25,96,93,976	73,81,880	-	1,54,29,880	24,42,64,096	19,31,52,000
Girls Hostel	0	0	12,00,00,000	-	39,86,06,150	2,77,72,123	2,38,76,246	-	37,47,29,904	26,75,02,027	26,75,02,027
Health centre	0	0	1,25,00,000	-	1,25,00,000	2,73,00,000	13,64,000	-	2,86,64,000	2,86,64,000	2,86,64,000
Academic Block	0	0	1,55,28,31,874	-	1,55,28,31,874	36,67,00,000	26,87,48,880	-	1,28,40,82,994	33,00,30,000	1,96,80,000
Administrative Block	0	0	3,87,00,000	-	3,87,00,000	23,22,000	-	-	3,65,78,000	-	-
Guest House	0	0	42,500	-	42,500	85,66,684	85,66,684	-	41,12,121	41,12,121	41,12,121
Buildings Sports	0	0	44,29,992	-	44,29,992	85,600	-	-	88,600	43,41,392	-
III. Plants, machinery & equipments						1,94,38,330	14,57,875	-	84,63,377	1,09,74,953	1,04,16,869
Sports Equipment	0	0	20,15,959	-	23,35,040	3,87,918	-	-	27,22,958	24,45,281	16,14,600
Plant & Machinery	0	0	12,22,999	-	51,72,239	10,69,937	-	-	37,40,419	85,23,672	88,02,269
IV. Scientific & Laboratory Equipment						18,72,04,064	1,49,76,325	-	8,32,65,684	10,39,38,380	10,06,55,358
Scientific & Laboratory Equipment	0	0	1,82,59,347	-	6,82,89,359	1,49,76,325	-	-	8,32,65,684	10,39,38,380	10,06,55,358
V. Vehicles						3,01,89,270	30,19,937	-	57,51,494	2,44,47,776	2,28,97,948
Motor Vehicle	0	0	45,69,755	-	27,31,457	3,01,89,270	-	-	20,08,128	2,22,36,564	18,54,184
Motorcycle	0	0	35,11,193	-	16,57,009	3,51,119	-	-	33,17,147	15,03,065	20,22,180
Van	0	0	25,53,711	-	7,61,776	25,53,711	-	-	2,56,302	28,480	56,958
Ambulance	0	0	2,84,782	-	2,27,824	28,478	-	-	1,69,916	67,968	7,64,636
Tractor	0	0	8,49,584	-	84,958	84,958	-	-	-	-	-
VI. Furniture & Fixtures						11,51,07,976	86,57,407	3,24,121	4,75,89,146	6,72,18,830	7,10,57,029
Furniture & Fixtures	0	0	48,19,208	-	3,95,55,660	3,44,08,920	-	-	4,17,96,360	6,07,00,328	6,07,00,328
UPS	0	0	9,89,32,025	-	51,46,940	77,11,561	-	-	60,92,787	65,18,501	65,33,924
VII. Audio Visual Equipment						-	-	-	-	-	-
Audio Visual Equipment	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Office Equipment						6,79,66,466	50,98,234	-	3,47,75,453	3,31,91,013	3,42,28,557
Office Equipment	0	0	40,60,690	-	2,96,77,719	10,87,500	-	-	13,76,936	24,82,212	22,64,302
Air Conditioner	0	0	5,07,346	-	10,87,500	2,89,436	-	-	-	-	-
Printer	0	0	-	-	10,125	1,125	-	-	-	-	-
White Board	0	0	15,000	-	15,000	36,215	-	-	3,01,109	3,750	4,875
Led TV	0	0	4,82,870	-	2,64,894	40,28,347	-	-	2,95,50,931	1,81,761	217,976
Office Equipments	0	0	6,34,441	-	5,37,01,295	1,78,859	-	-	2,41,50,364	2,75,44,270	2,75,44,270
Photocopiers	0	0	23,84,782	-	13,95,161	32,922	-	-	15,74,020	8,10,762	9,89,621
Refrigerators	0	0	60,000	-	2,40,17,966	4,00,000	-	-	1,42,83,871	1,42,83,871	1,42,83,871
Video Conferencing system	0	0	10,12,529	-	1,18,378	19,912	-	-	63,308	7,32,279	7,32,279
RO	0	0	2,33,509	-	3,190	2,65,499	-	-	1,38,290	1,27,209	1,15,131
Camera	0	0	28,26,913	-	7,09,171	4,33,225	-	-	11,42,396	46,33,932	22,40,244
IX. Computer/Peripherals						3,64,15,330	72,83,066	5,55,14,494	64,15,028	2,99,97,302	3,45,96,381
Computer/Peripherals	0	0	26,83,987	-	5,46,49,456	72,83,066	-	-	64,15,028	2,99,97,302	3,45,96,381
Peripherals	0	0	26,83,987	-	5,46,49,456	72,83,066	-	-	64,15,028	2,99,97,302	3,45,96,381
Wi-Fi (NCSI)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Electrical Installations						-	-	-	-	-	-
Electricity Installation & Equipment	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Library Books						7,50,18,998	86,19,871	1,07,12,122	3,92,64,170	3,57,54,828	4,04,37,354
Library Books	0	0	39,37,345	-	4,13,56,421	3,82,25,435	-	-	3,37,73,684	1,76,50,308	2,05,67,874
Annual Subscription	0	0	33,42,805	-	5,14,23,992	18,59,915	-	-	4,49,1315	1,41,07,834	1,33,73,209
Books	0	0	5,94,540	-	26,31,400	4,99,586	-	-	5,99,172	39,96,663	44,96,271
Books & Journals	0	0	5,94,540	-	26,31,400	4,99,586	-	-	5,99,172	39,96,663	44,96,271
Journals	0	0	49,95,857	-	31,647	54,276	-	-	85,923	26,27,879	15,50,711
Tube Wells & Water Supply	0	0	11,31,444	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Capital Asset in Transit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Total of CURRENT YEAR (A)			2,74,23,52,551	6,65,50,737	39,48,09,528	42,52,36,318	6,65,50,737	6,65,50,737	75,34,95,409	4,25,85,96,644	1,94,14,80,411
XIII. Capital Work-in-progress (B)			52,46,45,355	2,64,70,88,478	3,87,154	1,37,73,05,238	-	-	1,37,76,92,392	3,50,01,35,515	3,50,01,35,515
Capital Work in Progress	-	-	52,46,45,355	2,64,70,88,478	3,87,154	1,37,73,05,238	-	-	1,37,76,92,392	3,50,01,35,515	3,50,01,35,515
XIV. Intangible Assets						-	-	-	-	-	-
Computer Software	0	0	90,89,480	-	13,07,906	49,43,699	-	-	62,51,605	61,07,642	19,61,861
XV. E-Journals						-	-	-	-	-	-
E-Journals	0	0	4,92,116	-	11,71,043	7,94,587	-	-	10,10,125	4,98,589	8,01,060
XVI. Patents						-	-	-	-	-	-
Patents	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Total of CURRENT YEAR (C)			95,81,596	9,55,505	24,78,949	57,38,285	9,55,505	9,55,505	72,61,730	66,06,231	27,62,921
XVIII. Total (A+B+C)			5,84,12,80,470	2,71,45,94,720	39,69,01,623	6,40,32,65,252	6,75,06,242	6,75,06,242	5,64,28,95,267	5,44,43,78,847	5,44,43,78,847

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule 5 : Investments From Earmarked/Endowment

FUNDS

Particulars	As at 31 March, 2025	As at 31 March, 2024
	Rupees	Rupees
1. In central Government Securities		-
2. In State Government Securities		-
3. Other approved Securities		-
4. Shares		-
5. Debentures and Bonds		-
6. Term Deposits Receipts with Scheduled Banks		-
7. Others (Accrued Interest on FD)		-
TOTAL		-

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule 5 (A) Investments From Earmarked/Endowment Funds (Fund Wise)

Sl. No.	Funds	As at 31 March, 2025	As at 31 March, 2024
		Rupees	Rupees
1			-
2			-
3			-
4			-
5			-
	Total		-

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule-6 : Investments -Others

Particulars	As at 31 March, 2025	As at 31 March, 2024
	Rupees	Rupees
1. In central Government Securities		
2. In State Government Securities		
3. Other approved Securities		
4. Shares		
5. Debentures and Bonds		
6. Others (to be specified)		
TOTAL		

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule- 7 : Current Assets

Particulars	For the year ended 31 March, 2025	For the year ended 31 March, 2024
	Rupees	Rupees
1. Stock:		
a) Stores and spares		-
b) Loose Tools		-
c) Publications		-
d) Laboratory Chemicals, Consumables and glass ware and Other	20,73,610	
e) Building Material		
f) Electrical Material		
g) Stationary		
h) Water Supply Material		
2. Sundry Debtors:		-
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	-	1,26,000
b) Others-Security Deposit		-
3. Cash and Bank Balances		-
a) With Scheduled Bank:		
Imprest		
In term deposit Accounts	91,45,03,905	89,23,94,964
In Savings Accounts	13,32,87,502	12,15,89,420
b) With non-scheduled Banks:		
- In Current Accounts		-
- In term deposit Accounts		-
- In Savings Accounts		-
4. Post-Office Savings Accounts		-
5. HEFA Balance (Escrow)*	8,550	8,550
TOTAL	1049873567	1,01,41,18,934

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule-8 : Loans, Advances & Deposits

Particulars	As at 31 March, 2025	As at 31 March, 2024
	Rupees	Rupees
1. Advances to employees : (Non-Interest Bearing)		
a) Salary		
b) Festival		
c) Medical Advance		
d) Other (to be Specify) LTC Advance	27,336	
2. Long Term Advances to employees (Interest bearing)		
a) Vehicle Loan		
b) Home Loan		
c) Others (to be specify)		
3. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received:*		-
On Capital Account	42,61,88,851	59,22,43,698
To suppliers		
Others	6,09,343	3,02,762
4. Prepaid Expenses		
Insurance		-
Other Expenses		
5. Deposits		
Telephone		
Lease Rent		
Electricity		
AICTE, if applicable		
Others (CUCET)		-
6. Income Accrued:		
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds		
On Investments-Others		-
c) On Loan and Advances		
d) Others (includes income due unrealized - Accured Bank interest)	14,85,291	12,55,794
e) Accrued Academic Receipt	8,46,180	
7. Other - Current Assets Recievable from UGC/Sponsored Projects		
a) Debit balances in Sponsored Projects		
b) Debit balances in Fellowship & Scholarship		
c) Grants Recoverable		-
d) Other Receivable (TDS Receivable)	2,24,623	60,990
8. Claims Receivable	-	
TOTAL	42,93,81,624	59,38,63,244

Central University of Haryana
Schedules Formink Part of Income & Expenditure Account

Schedule 9 – Academic Receipts

The Income shall be classified and disclosed as follows:

Particulars	For the year ended 31 March, 2025	For the year ended 31 March, 2024
	Rupees	Rupees
FEE FROM STUDENTS		
Academic		
Tuition Fee	6,95,97,338	6,00,08,757
Admission Fee	1,79,08,257	1,55,53,428
Enrolment Fee	12,85,250	11,01,700
Library Admission Fee	24,00,562	13,00,183
Laboratory Fee	21,32,030	15,18,464
Registration Fee	13,48,961	9,79,750
TOTAL (A)	9,46,72,398	8,04,62,281
Examinations		
Annual Examination Fee	24,01,138	16,10,058
TOTAL (B)	24,01,138	16,10,058
Other Fees		
Identity Card Fee	6,85,650	4,71,334
Fine/Miscellaneous Fee	9,36,800	6,19,419
Medical Fee	9,45,213	6,98,950
Hostel Fee	1,60,45,120	1,20,01,883
Other Activities	1,74,31,484	1,68,66,072
TOTAL (C)	3,60,44,267	3,06,57,658
Sale of Publications		
TOTAL (D)		-
Other Academic Reciepts		
Registration Fee for Workshops, programmes	11,45,120	8,63,404
TOTAL (E)	11,45,120	8,63,404
GRAND TOTAL (A+B+C+D+E)	13,42,62,923	11,35,93,401

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 10 – Grants / Subsidies [Irrevocable Grants Received]

Particulars	Govt of India	Plan		Total Plan	Non Plan	For the year ended 31 March, 2025		For the year ended 31 March, 2024	
		UGC				Rupees		Rupees	
		Plan	Specific Schemes						
Balance B/F		28,13,03,484		28,13,03,484	-	28,13,03,484		27,57,00,000	
Less: Additional Unspent Separated									
Add : Current year provision for Interest Refund to UGC					-	-		3,45,87,708	
Add: Receipts during the year for Hefa Interest		-		-		-		51,94,259	
Add: Receipts during the year other than UGC		-		-		-		84,15,00,000	
Add: Receipts during the year from UGC					-	90,71,65,999			
Total		90,71,65,999		90,71,65,999					
Less: Refunds to UGC		1,18,84,69,483		1,18,84,69,483	-	1,18,84,69,483		1,15,69,81,967	
		2,12,01,000		2,12,01,000	-	2,12,01,000		6,01,08,686	
Balance		1,16,72,68,483		1,16,72,68,483	-	1,16,72,68,483		1,09,68,73,281	
Less: Utilised for Capital Expenditure*		18,91,99,000		18,91,99,000		18,91,99,000		8,65,00,000	
Balance		97,80,69,483		97,80,69,483	-	97,80,69,483		1,01,03,73,281	
Less:- Hefa loan received for last year		-		-		-		23,94,553	
Less: Utilised during the year other than UGC		20,03,484		20,03,484		20,03,484			
Less: Utilised for Revenue Expenditure**		83,53,65,999		83,53,65,999		83,53,65,999		72,66,75,244	
Balance C/F		14,07,00,000		14,07,00,000	-	14,07,00,000		28,13,03,484	

* Utilised for Capital Expenditure worked out as follows:

Total Capitalization of Assets	18,91,99,000
Less : FA created out of earlier advances	-
Less : CWIP created out of earlier Ad	-
Less: Assets Donated	-
Add: Advance Given(in current year)	-
Less: Advance adjusted(in current ye	-
Less:- Internal receipt	-
Total Capital Expenditure	18,91,99,000

** Utilised for Revenue Expenditure worked out as follows:

Staff Payments & Benefits	65,91,04,615
Academic Expenses	5,99,22,110
Administrative and General Expense	16,72,46,380
Transportation Expenses	49,56,819
Repairs & Maintenance	91,91,156
Depreciation	-
Finance Costs	27,727
Other Expenses	1,48,000
Total Revenue Expenditure as per	90,05,96,807
Less : Provision for Gratuity & LE	-
made in the current year (a non	-
Less : Provision for Doubtful	-
Advances (a non cash exp.)	-
Total Revenue Expenditure	90,05,96,806

Central University of Haryana

Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 11- Income from Investments

Particulars	Earmarked/Endowment Funds			
	For the year ended 31 March, 2025	For the year ended 31 March, 2024	For the year ended 31 March, 2025	For the year ended 31 March, 2024
	Rupees	Rupees	Current Year	Current Year
Investment from Earmarked/Endowment Fund				
Interest				
a) On Govt. Securities		-		
b) Other Bonds/Debentures		-		
Interest on Term Deposits			5,89,20,853	4,12,94,617
a) Designated Fund		-		
b) Capital Fund		-		
c) General Fund		-		
Income Accrued but not due on Term Deposits/Interest Bearing advances to employees		-		
Interest on Saving Bank Accounts		-		
Other -Interest on Advance		-		
TOTAL		-	5,89,20,853	4,12,94,617
Transferred To Earmarked/Endowment Funds				

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 12- Interest Earned

Particulars	For the year ended 31 March, 2025	For the year ended 31 March, 2024
	Rupees	Rupees
1. On Saving Accounts with scheduled banks		
Interest on Saving Bank Accounts	9,14,839	21,95,017
2. On Loans		-
a. Employees/Staff		
b. Others		-
3. On Debtors and other Recievables		-
TOTAL	9,14,839	21,95,017

Central University of Haryana

Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 13 – Other Income

Items of material amounts included in Miscellaneous Income should be separately disclosed.

Particulars	For the year ended 31 March, 2025	For the year ended 31 March, 2024
	Rupees	Rupees
A. Income from Land & Building		
Hostel Room Rent	1,03,19,099	88,52,608
License Fee	16,04,750	13,97,488
Hire Charges of Auditorium/Play ground/ Convention etc.	36,500	
Electricity Charges Recovered	27,75,910	12,12,021
Water Charges Recovered	31,69,877	19,13,361
Rent-Other	76,96,438	69,42,953
TOTAL (A)	2,56,02,574	2,03,18,431
B. Sale of Institute's Publications		
TOTAL (B)		
C. Income from holding events		
Gross Receipts from annual function/sports carnival		
Less: Direct expenditure incurred on the annual function/ sports carnival		
Gross Receipts from fees		
Less: Direct Expenditure incurred on the fees		
Gross receipts for educational Tours		
Less: Direct expenditure incurred on the tours		
Others (to be specified and separately disclosed)		
TOTAL (C)		
D. Others		
Income from Consultancy	14,05,955	10,74,080
RTI Fees		1,440
Provisions Written Off		
Sale of application form (recruitment)	39,66,739	32,50,800
Misc. receipts (Sale of tender form, waste paper etc.)	2,27,317	1,72,348
Profit on Sale/disposal of Assets:		
a) Owned Assets		
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
Grants/Donations from Institutions, Welfare Bodies and International Organizations		
Others (Consultancy etc.)	9,65,882	2,23,138
TOTAL(D)	65,65,893	47,21,806
Grand Total (A+B+C+D)	3,21,68,467	2,50,40,237

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 14 – Prior Period Income

Particulars	For the year ended 31 March, 2025	For the year ended 31 March, 2024
	Rupees	Rupees
Academic Reciepts		
Income From Investments		
Interest Earned	38,75,360	
Gratuity Provision Reversed		
Total	38,75,360	-

* Refer Note 13 under Schedule 24

Central University of Haryana

Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 15 – Staff Payments & Benefits

These shall be classified separately for teaching and non-teaching staff; adhoc staff.

Arrears of DA, Salary arrear due to increment shall be shown separately.

These shall be disclosed as follows:

Particulars	For the year ended 31 March, 2025	For the year ended 31 March, 2024
Salaries and Wages-Teaching	47,45,62,827	40,70,98,985
Salaries and Wages-Non Teaching	4,59,69,208	4,30,73,546
Salaries and Wages-Adhoc		-
		-
Total Salary	52,05,32,035	45,01,72,531
Allowances and Bonus	1,78,29,326	1,07,79,249
Contribution to NPS	6,55,52,123	5,78,58,453
Contribution to Other Fund (Pension Fund)	-	31,21,414
Staff Welfare Expenses	8,06,790	11,23,911
Retirement and Terminal Benefits*	28,10,177	13,85,720
Leave Encashment	2,37,60,890	9,47,95,304
LTC Facility	43,18,515	34,00,267
Medical Facility	1,06,07,041	67,38,406
Children Education Allowance	68,24,940	54,34,275
Honorarium	-	2,08,959
Others(DA)	60,62,778	50,66,239
TOTAL	65,91,04,615	64,00,84,728

Central University of Haryana

Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

SCHEDULE 15 A - EMPLOYEES RETIREMENT AND TERMINAL BENEFITS

Particulars	Pension	Gratuity	Leave Encashment	Total
Op. Balance as on (a)			9,47,95,304	9,47,95,304
Less:- Actual payment made during the year (b)			51,23,453	51,23,453
Balance available as on 31.03.25 c(a-b)			8,96,71,851	8,96,71,851
Provision Required as per Acurarial as on 31.03.25 (d)			11,29,49,615	11,29,49,615
A. Provision to be made in the Current year (d - c)			2,32,77,764	2,32,77,764
B. Contribution to New Pension Scheme				-
C. Medical Reimbursement to Retired Employees				-
D. Travel to Hometown on Retirement				-
E. Deposit Linked Insurance Payment				-
Total (A+B+C+D+E)			2,32,77,764	2,32,77,764

Note:

1. The total (A+B+E+D+E) in his sub schedule will be the figure against Retirement and Terminal benefits in Schedule 15.
2. Items B, C, D & E will be accounted on accrual basis and will include bills preferred but outstanding for payment on 31/3/2025.

Central University of Haryana

Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 16 – Academic Expenses

These shall be classified and disclosed as follows:

Particulars	For the year ended 31 March,2025	For the year ended 31 March,2024
Laboratory Expenses	9,04,726	1,44,42,431
Field Work/Participation	-	-
Seminar/Workshop	88,73,847	81,60,670
Payment to visiting faculty	1,51,26,224	1,28,50,438
Examination	32,43,695	29,43,087
Student Welfare Expenses	35,73,086	24,63,129
Admission Expenses	4,42,945	2,35,586
Convocation Expenses	54,23,664	25,44,843
Publications	-	-
Stipend/means-cum-merit scholarship	-	-
Subscription Expenses	17,20,445	51,09,527
Non Net Fellowship/Scholarship	1,96,38,568	1,88,56,351
Others -		-
T.A/D.A Meeting for Academic Program	5,98,090	9,025
Additional Grant	-	-
- Insurance Charges	2,76,073	-
Red Cross	-	42,840
Departmental Expenses	-	-
Alumini Meet	-	-
NSS	1,00,747	1,59,673
TOTAL	5,99,22,110	6,78,17,600

Central University of Haryana

Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 17 – Administrative And General Expenses

These shall be classified and disclosed as follows:

S.No	Particulars	For the year ended 31 March,2025	For the year ended 31 March,2024
A	Infrastructure		
	Electricity and Power	3,53,82,150	3,26,60,243
	Water Charges	-	-
	Insurance Exp.	80,044	2,74,823
	Rent, Rates and Taxes	-	12,400
B	Communication		
	Postage & Stationery	9,57,845	8,20,912
	Printing and Stationery	32,65,907	70,81,259
	Telephone & Internet Charges	32,77,783	51,56,483
C	Others		
	Travelling and Conveyance Expenses	4,41,186	1,38,02,284
	Hospitality	19,05,859	28,29,690
	Auditors Remuneration	3,07,748	-
	Professional Charges	49,54,557	18,23,347
	Advertisement and Publicity	20,80,796	18,99,418
	Magazine and Journals	-	4,78,194
	Others-		
	Others-Security Services	9,48,95,858	8,43,72,247
	Meeting Expenses	-	-
	Others-Newspaper & Periodicals	-	-
	Mess Expenses	3,53,269	20,18,093
	Others-Miscellaneous Expenses	1,58,49,341	46,20,019
	HEFA	-	3,21,93,155
	Others-Contingencies	27,87,578	10,05,251
	Others-Sport Expenses	2,28,478	5,30,119
	Recruitment Expenses	4,77,981	1,16,234
	Interest Refunded to UGC	-	-
	TOTAL	16,72,46,380	19,16,94,171

Central University of Haryana

Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 18 – Transportation Expenses

In respect of vehicles owned by the educational institution.
 In respect of vehicles not owned by the educational institution including rentals paid and other expenses, if any.

Particulars	For the year ended 31 March,2025	For the year ended 31 March,2024
1. Vehicles (owned by educational institution)		-
Running Expenses		-
Repairs & Maintenance (Including Fuel charge)	30,89,861	31,72,322
Insurance Expenses		-
2. Vehicles taken on rent/lease		-
Rent/lease Expenses	18,66,958	1,93,548
3. Vehicle (Taxi) hiring expenses		-
TOTAL	49,56,819	33,65,870

Schedule 19 – Repairs & Maintenance

Repairs & Maintenance cost shall be classified and disclosed as follows:

Particulars	For the year ended 31 March,2025	For the year ended 31 March,2024
Building	72,26,433	1,21,60,771
Furniture	68,400	46,23,274
Plant & Machinery-(R&M)	8,50,963	83,540
Office Equipments(R&M)	8,58,944	49,74,300
Cleaning Material & Services	30,396	4,40,329
Maintenance of Lawn	-	-
Others (R&M)	1,56,020	12,03,101
TOTAL	91,91,156	2,34,85,315

Central University of Haryana

Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 20 – Finance Cost

Finance cost shall be classified and disclosed as follows:

Particulars	For the year ended 31 March,2025	For the year ended 31 March,2024
Bank Charges	27,727	1,39,727
Other (specify)		
TOTAL	27,727	1,39,727

Schedule 21 – Other Expenses

Other expenses shall be classified as write offs, provisions, miscellaneous, loss on sale of investments and fixed assets etc. and disclosed as accordingly.

Particulars	For the year ended 31 March,2025	For the year ended 31 March,2024
Provision for Doubtful Advances*	-	-
Irrecoverable Balances Written-off	-	-
Grants/Subsidies to other institutions/organizations	-	-
Others (Prior Period)	-	-
TOTAL		

Central University of Haryana

Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 22 – Prior Period Expenses

Particulars	For the year ended 31 March, 2025	For the year ended 31 March, 2024
	Rupees	Rupees
1. Establishment Expenses		-
2. Academic Expenses	1,48,000	-
3. Administrative Expenses		-
4. Transportation Expenses		
5. Provision for Intt refund on UGC Grant		-
Total	1,48,000	-

Central University of Haryana

NOTES TO THE FINANCIALS STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

Schedule - 23(Significant Accounting Policies)

1 **Basis of Preparation**

The accounts are prepared under the Historical Cost Convention unless otherwise stated and generally on the Accrual method of accounting.

2 **Revenue Recognition**

- 2 Fees from Students (except Tuition Fees), Sale of Admission Forms, Royalty and Interest on Savings Bank account are accounted on cash basis. Tuition Fees collected separately for each semester is accounted on accrual basis.
- 2 Income from Land, Buildings and Other Property and Interest on Investments are accounted on accrual basis.
- 2 Interest on interest bearing advances to staff for House Building, Purchase of Vehicles and Computers is accounted on accrual basis every year, though the actual recovery of interest starts after the full repayment of the Principal.

3 **Fixed Assets & Depreciation**

- 3 Fixed assets are stated at cost of acquisition including inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition, installation and commissioning.
- 3 Gifted and Donated assets are valued at the declared value where available; if not available, the value is estimated based on the present market value adjusted with reference to the physical condition of the asset. They are set-up by credit to Capital Fund and merged with the Fixed Assets of the Institution. Depreciation is charged at the rates applicable to the respective assets.
- 3 Books received as gifts, are valued at selling prices printed on the books. Where they are not printed, the value is based on assessment
- 3 Fixed assets are valued at cost less accumulated depreciation. Depreciation on fixed assets is provided on Straight line method, at the following rates :-

Tangible Assets

Land	0%
Site Development	0%
Buildings	2%
Roads & Bridges	2%
Tube wells & Water Supply	2%
Sewerage & Drainage	2%
Electrical Installation and equipment	5%
Plant & Machinery	5%
Scientific & Laboratory Equipment	8%
Office Equipment	7.5%
Audio Visual Equipment	7.5%
Computers & Peripherals	20%
Furniture, Fixtures & Fittings	7.5%
Vehicles	10%
Lib. Books & Scientific Journals	10%

Intangible Assets

E-Journals	40%
Computer Software	40%
Patents and Copyrights	9 years

- 4 Depreciation is provided for the whole year on additions during the year.

Central Univeristy of Haryana

NOTES TO THE FINANCIALS STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

Schedule - 23(Significant Accounting Policies)

4 Assets created out of Earmarked Funds and funds of Sponsored Projects, where the ownership of such assets vests in the Institution, are setup by credit to Capital Fund and merged with the Fixed Assets of the Institution. Depreciation is charged at the rates applicable to the respective assets. Assets created out of Sponsored Project funds, where the ownership is retained by the sponsors but held and used by the Institution are separately disclosed in the Notes onAccounts.

4 Assets, the individual value of each of which is Rs. 2000 or less (except Library Books) are treated as Small Value Assets, 100% depreciation is provided in respect of such assets at the time of their acquisition. However physical accounting and control are continued by the holders of such assets.

4 **Intangible Assets**

4 Electronic Journals (E-Journals) are separated from Library Books in view of the limited benefit that could be derived from the on-line access provided. E-journals are not in a tangible form, but temporarily capitalized and in view of the magnitude of expenditure and the benefit derived in terms of perpetual knowledge acquired by the Academic and Research Staff; Depreciation is provided in respect of E-journals at a higher rate of 40% as against depreciation of 10% provided in respect of Library Books.

4 Expenditure on acquisition of software has been separated from computers and peripherals, as apart from being intangible assets, the rate of obsolescence in respect of these is very high. Depreciation is provided in respect of software at a higher rate of 40% as against depreciation of 20% provided in respect of Computers & Peripherals.

5 **Stock**

Expenditure on purchase of chemicals, glassware, publications and other stores is accounted as revenue expenditure, except that the value of closing stocks held on 31st March is set up as inventories by reducing the corresponding Revenue Expenditure on the basis of information obtained from Departments. They are valued at cost.

6 **Retirement Benefits**

Retirement benefits i.e., Pension are provided on the basis of actuarial valuation. Capitalized Value of pension and gratuity received from previous employers of the Institution's employees, who have been absorbed in the Institution, is credited to the respective Provision Accounts. Pension contribution received in respect of employees on deputation is also credited to the Provision for Pension Account. The Actual payments of Pension and Leave encashment are debited in the Accounts to the respective provisions. Other retirement benefits viz. Deposit Linked Insurance, Contribution to New Pension Scheme, Medical reimbursement to retired employees and Travel to Home Town on retirement are accounted on accrual basis (actual payments plus outstanding bills at the end of the year).

7 **Investments**

7 Long term investments are carried at their cost or face value whichever is lower. However any permanent diminution in their value as on the date of the Balance Sheet is provided for.

7 Short Term investments are carried at their cost or market value (if quoted) whichever is lower.

Central University of Haryana

NOTES TO THE FINANCIALS STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

Schedule - 23(Significant Accounting Policies)

8 **Earmarked & Endowment Funds**

The following long terms funds are earmarked for specific purposes. Each of the funds has a separate bank account. Those with large balances also have investments in Government Securities, Debentures and Bonds and Term Deposits with Banks.

The income from investments & advances (House Building Conveyance and computer) on accrued basis and interest on savings Bank Accounts are credited to the respective Funds. The expenditure and advances (in the case of House Building & Conveyance/Computer) are debited to the fund. The assets created out of Earmarked Funds where the ownership vests in the Institution, are merged with the assets of the Institution by crediting an equal amount to the Capital Fund. The balance in the respective funds is carried forward and is represented on the assets side by the balance at Bank, Investments and accrued interest.

- 8 CORPUS FUND was established in (year). Matching contribution from University; Grants Commission, Recognition & Affiliation fee received from Colleges and other academic institutions, Institution's share of Consultancy fees and contributions from Research Projects are treated as additions to Corpus fund. Income from investments of the fund is added to the Fund. The Corpus Fund is utilized for both Revenue and Capital expenditure based on the guidelines by the University Grants Commission and the Executive council of the Institution from time to time. The assets created out of the Corpus Fund are merged with the assets of the Institution by crediting an equal amount to the Capital Fund. The balance in the Corpus Fund which is carried forward is represented by the balance in a separate Bank account, investment in RBI Bonds and Fixed Deposits with the Bank and Accrued interest on investments.

- 8 A.D Fund This fund was established on 1st February 2006. The fund is to be utilized for some of the innovative Programmes, and for sustenance of its research and such other development activities as laid down by the Executive Council from time to time.

- 8 House Building Advances Fund A revolving fund for the purpose of paying interest bearing advances to the officer' & staff for House Building.

- 8 JRF/SRF Fund Fund provided by the UGC/Government for the purpose of paying Fellowships to Junior/ Senior Research Fellows.

- 9 Conveyance Fund (including Computer advances)

A revolving fund for the purpose of paying interest bearing advances to officers & staff for the purchase of motor cars, two wheelers and computers.

- 9 Rajiv Gandhi National Fellowship Fund

Fund provided by University Grants Commission for fellowship to SC/ST Students of the University.

- 9 Endowment Funds

Endowments are funds received from various individual donors, Trusts and other organizations, for establishing Chairs and for Medals & Prizes, as specified by the Donors. While each of the Endowment funds has its own investment there is one savings Bank Account for all the Endowment funds, as the uninvested balances against them are negligible.

The income from investment of each Endowment Fund is added to the Fund. The interest on Savings Bank accounts is allocated to all the Endowment funds in the ratio of the year end closing balances in each fund. The expenditure on Medals & Prizes is met from the interest earned on investment of the respective Endowment Funds and the balance is carried forward. In respect of Chairs, however, the corpus of the Endowment is also used.

The balances are represented by Investment in RBI Bonds and Fixed Deposits and balance in the Saving Bank Account common for all Endowments, and Accrued Interest on Investments.

Central Univeristy of Haryana

NOTES TO THE FINANCIALS STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

Schedule - 23(Significant Accounting Policies)

9 Government & UGC Grants

- 9 Government Grants and UGC grants are accounted on realization basis. However, where a sanction for release of grant pertaining to the financial year is received before 31 " March and the grant is actually received in the next financial year, the grant is accounted on accrual basis and an equal amount is shown as recoverable from the Grantor. In the opinion of the Management, the current assets, Loans, Advances and Deposits have a value on realization in the ordinary course, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.
- 9 To the extent utilized towards capital expenditure, (on accrual basis) government grants and grants from UGC are transferred to the Capital Fund for the current year.
- 9 Government and UGC grants for meeting Revenue Expenditure (on accrual basis) are treated, to the extent utilized, as income of the year in which they are realized.
- 9 Unutilized grants (including advances paid out of such grants) are carried forward and exhibited as a liability in the Balance Sheet.

10 Investment of Earmarked Funds & interest income accrued on such investments

To the extent not immediately required for expenditure, the amounts available against such funds are invested in approved Securities & Bonds or deposited for fixed term with Banks, leaving the balance in Savings Bank Accounts. Interest received, interest accrued and due and interest accrued but not due on such investments are added to the respective funds and not treated as income of the Institution.

11 Sponsored Projects

- 11 In respect of ongoing Sponsored Projects, the amounts received from sponsors are credited to the head "Current Liabilities and Provisions -Current Liabilities -Other Liabilities -Receipts against ongoing sponsored projects." As and when expenditure is incurred /advances are paid against such projects, or the concerned project account is debited with allocated overhead charges, the liability account is debited.
- 11 In addition to the Earmarked Fund for the Junior Research Fellowships funded by the University Grants Commission, Fellowships and Scholarships are also sponsored by various organizations. These are accounted in the same way as Sponsored Projects except that the expenditure generally is only on disbursement of Fellowships and Scholarships, which may include allowances for contingent expenditure by the Fellows and scholars.
- 11 The Institution itself also awards Fellowships and Scholarships, which are accounted as Academic expenses.

12 Income Tax

The income of the Institution is exempt from Income Tax under Section 10(23c) of the Income Tax Act. No provision for tax is therefore made in the accounts.

13 Provisions, Contingent Liabilities

The Univeristy estimates the provisions that have present obligations as a result of past events and it is probable that outflow of resources will be required to settle the obligations. These provisions are reviewed at the end of each reporting date and are adjusted to reflect the current best estimates. The University uses significant judgement to disclose contingent liabilities. Contingent liabilities are disclosed when there is a possible obligation arising from past events, the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the institution or a present obligation that arises from past events where it is either not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount cannot be made. Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

14 Hefa Accounting Policy

Hefa loan is tretated as liability and grant received for repayment of principal is deducted from loan and included in corpus fund.

Central University of Haryana

NOTES TO THE FINANCIALS STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

Schedule - 24 (Contingent Liabilities & Notes to Accounts)

3 Fixed Assets

3.1 Additions in the year to Fixed Assets in Schedule 4 include Assets purchased/installed in the current year have been set up by credit to Corpus Fund amounting Rs. 8,65,00,000/-. Tangible Assets are stated at cost (net of Input Tax Credit or CENVAT (till 30th June, 2017 the period prior to GST implementation date) wherever applicable) less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost is inclusive of freight, duties, levies and any directly attributable cost of bringing the assets to their working condition for the intended use. Borrowing costs relating to acquisition of fixed assets, if material, are also included in cost to the extent they relate to the period till such assets are ready to be put to use.

3.2 Fixed assets as set out in Schedule 4 do not include assets purchased out of funds of sponsored projects, held and used by the Institution, as project contracts include stipulations that all such assets purchased out of projects funds will remain the property of the sponsors.

3.3 Reclassification of Fixed Assets has been done wherever deemed necessary.

4 Corpus

The amount of Grants from UGC, Government of India and State Government to the Extent utilized for capital expenditure is added to the Corpus Fund.

5 Provisions

5.1 As per the notification no. 19-1/2017-IFD dated 12.04.2017 Ministry of Human Resource Development directed that the matter of extension of Gratuity and Death Gratuity to the employees of autonomous organisations covered under NPS under the MHRD is under consideration in MHRD in consultation with Department of Expenditure, Ministry of Finance, therefore the benefits of Retirement Gratuity and Death Gratuity to the employees of autonomous organisations covered under NPS has been withdrawn till a final decision is taken in the matter with the approval of Department of Expenditure, Ministry of Finance. In the view of the same provision for Gratuity has not been made in the current year.

5.2 Leave Encashment : The Univeristy estimates the provisions that have present obligations as a result of past events and it is probable that outflow of resources will be required to settle the obligations. These provisions are reviewed at the end of each reporting date and are adjusted to reflect the current best estimates. The provision for leave encashment maintains its opening balance as the balance for the year ended March 31, 2025 is 9,47,95,304. The current year development has been effected by the management as per the Valuation Certificate amounting to Rs. 2,32,77,764 and closing provision of the Leave encashment as on 31.03.2025 is Rs. 11,29,49,615.

6 Deposit Liabilities

The amount outstanding as Earnest Money Deposit & Security Deposits is Rs 1,50,27,999/- during the year.

7 Current Assets, Loans, Advances & Deposits

In the opinion of the Management, the current assets, Loans, Advances and Deposits have a value on realization in the ordinary course, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

7.1

Cash and Bank Balances are presented on the basis of data provided and presented by the management during the course of compilation of accounts for the year. Further, the balances are subject to Reconciliation statements prepared by the management and relevant balance confirmations by the third parties.

7.2

8 Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary.**9 Figures in the Final accounts have been rounded off to the nearest rupee.**

Central University of Haryana

NOTES TO THE FINANCIALS STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

Schedule - 24 (Contingent Liabilities & Notes to Accounts)

10

Schedules 1 to 24 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet at March 31, 2025 and the Income & Expenditure account for the year ended on that date

11

- 11.1 The financial statements of the University (viz., Balance Sheet and Income and Expenditure Account) have been prepared on the basis of Significant Accounting Policies (See Schedule 23).
- 11.2 Normally, Central Educational Institutions cannot raise loans, particularly by pledging their Assets, hence the heads Secured Loans & unsecured Loans do not therefore find a place in the Balance Sheet.
- 11.3 The accounting treatment and presentation in the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account, of transactions and events is governed by their substance and not merely by the legal form.
- 11.4 In determining the accounting treatment and manner of disclosure of an item in the Balance Sheet and/or the Income and Expenditure Account, due consideration shall be given to the concept of materiality.
- 11.5 The corresponding amounts for the immediately preceding year for all items shown in the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account have been given in the Balance Sheet or Income and Expenditure Account as the case may be.
- 11.6 Revenue has not been recognized unless:
- (a) The related performance has been achieved;
 - (b) No significant uncertainty exists regarding the runout of the consideration; and
 - (c) It is not unreasonable to expect realization and ultimate collection.

12 **Adjustment for the F.Y. 2024-25**

- Capital Advance to CPWD was capitalised this year and reconciliation of physical and financial progress of construction work with CPWD was done and building was capitalised as per the completion certificate provided to us. Fixed Assets has been capitalised i.e., Admin Block, Boys Hostel, Girls Hostel, Guest House, Health Centre, Type III staff quarter and Type V staff quarter.
- Capital Work in Progress (CWIP) of NBCC of as per the previous year 2023-24 annual accounts were amounting to Rs. 1,66,70,85,173 in respect of construction of Academic Blocks 1,3, and 4. And Rs. 13,86,00,000 was given to NBCC in current year. Total amounted to Rs. 1,80,56,85,173 was capitalised this year 2024-25 in respect of Academic Blocks 1,3,4.
- Depreciation has been charged on capitalised on assets (in respect of CPWD and NBCC both) w.r.effect on SLM method. Date of Completion of building was consider as a put to use date at the time of calculation of Depreciation.
- Hefa Interest paid has been capitalised till F.Y. 2023-24 amounted to Rs. 17,42,59,288 and amount paid toward current year was under WIP as some of the construction was still pending and that will capitalised with the capitalisation of Assets.
- Leave encashment provision made as per Actuarial Valuation report. (As per AS-15®) and Schedule 15A was prepared for the F.Y. 2024-25.
- There is no contingent liability in this Financial Year 2024-25.
- Closing stock as on 31.03.25 is Shown In schedule 7
- There is a unspent balance under xi and xii plan out of which Rs. 13,86,00,000 was paid to NBCC during the year 2024-25



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चंडीगढ़
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Director General of Audit
(Central), Chandigarh



सं०/No: DGA (C)/CE/SAR/CIHM/2025-26/ 619

दि०/Dated:- 04.11.2025

सेवा मे,

सचिव,
 उच्चतर शिक्षा विभाग,
 शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
 नई दिल्ली - 110001

विषय: Central University of Haryana, Mahendergarh के वर्ष 2024-25 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

कृपया Central University of Haryana, Mahendergarh के वर्ष 2024-25 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संलग्न पाएं। संसद में प्रस्तुत होने तक प्रतिवेदन को गोपनीय रखा जाए।

संसद में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय को भी भेज दी जाएं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

— हस्ता—

प्रधान निदेशक

✓ उपरोक्त की प्रतिलिपि वर्ष 2024-25 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु The Vice Chancellor, Central University of Haryana, Mahendergarh-Jant Pali, Mahendergarh, Haryana – 123029 को प्रेषित की जाती है।

भवदीय,

निदेशक (केन्द्रीय व्यय)

**Opinion of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of the
Central University of Haryana, Mahendergarh for the year ended 31 March 2025**

We have audited the financial statements of **the Central University of Haryana, Mahendergarh** which comprise the statement of financial position as at 31 March 2025 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 31(1) of the Central Universities Act, 2009.

2. This Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety & Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any, are reported through inspection reports/ CAG's audit reports separately.

In our opinion, except for the effects of the matter described in the *Basis for Qualified Opinion* section of our report, the accompanying financial statements of the Central University of Haryana, Mahendergarh, read together with the accounting policies and Notes thereon and other matters mentioned in the Separate Audit Report, which follows, **give a true and fair view** of the financial position of the autonomous body as at March 31, 2025, and (of) its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with in the format prescribed by the Ministry of Human Resource Development, Government of India vide order No. 29-4/2012-FD dated 17 April 2015/accounting standards generally accepted in India.

Basis for Qualified Opinion

- The University has not got conducted the actuarial valuation of gratuity payable to its employees contravening Accounting Standard 15 and Ministry of Education, Government of India directions. (Comment A.5)

Qualified Opinion

We conducted our audit in accordance with CAG's auditing regulations/standards/manuals/guidelines/guidance-notes/orders/circulars etc. Our responsibilities are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the autonomous body in accordance with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Emphasis of Matter

Nil

Responsibilities of Management for the financial statements

The *Executive Council* of the Central University of Haryana, Mahendergarh is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the format prescribed by the Ministry of Human Resource Development, Government of India vide order No. 29-4/2012-FD dated 17 April 2015/accounting standards generally accepted in India and for internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion in accordance with CAG's auditing regulations /standards /manuals /guidelines /guidance notes/ orders/ circulars etc.

For and on behalf of the CAG of India

Principal Director of Audit (Central), Chandigarh

Place: Chandigarh

Date: 04.11.2024

Separate Audit Report on the Accounts of the Central University of Haryana,
Mahendergarh for the year ended 31 March 2025

A. General

A.1 Balance Sheet

A.1.1 Sources of Funds

A.1.1.1 Corpus Fund/Capital Fund (Schedule 1) ₹596.05 crore.

(i) Contribution towards Corpus/ Capital Fund: ₹22.72 crore

As per the prescribed format, Grants from UGC, Government of India and State Government to the extent utilized for capital expenditure are to be added to Corpus / Capital Funds. Further, fixed assets in the course of construction should be shown in capital work in progress till they are ready for their intended use. Plant, machinery and equipment acquired and pending installation should be included under Capital Work in Progress.

The above included grants received by the University under Khelo India Scheme from the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India amounting to ₹4.45 crore.

Correspondingly under “Application of Funds” side of the Balance Sheet, the University has shown advances on Capital Account amounting to ₹2.45 crore on account of deposits with CPWD¹ for execution of the work construction of synthetic Athletic Track 400 meters (8 lanes) and the balance amount of ₹2.00 crore was kept by it in the bank balances.²

However, as per the physical/ financial progress report of the CPWD for the period up to 31 March 2025, expenditure of ₹0.90 crore was incurred by it in the execution of work. In accordance with the instructions contained in the prescribed format, expenditure incurred of ₹0.90 crore should have been shown under Capital Work in Progress as well as additions to the Corpus/ Capital Fund, and funds lying unutilised of ₹3.55 crore (in bank ₹2.00 crore and with CPWD of ₹1.55³ crore) should have been shown as unutilised grants under Current Liabilities.

¹Central Public Works Department.

²In its bank account No. 7824000100006945, as per details of bank accounts provided by the University.

³(₹2.45 crore-₹0.90)

As such, non-compliance of the instructions contained in the prescribed format as stated above has resulted into overstatement of Corpus/ Capital Fund and understatement of unutilised grants by ₹3.55 crore. Besides, overstatement of Loans, Advances & Deposits and understatement of Capital Work in Progress by ₹0.90 crore to the extent of amount not transferred from it to Capital Work in Progress.

(ii) Grants from UGC etc to the extent utilized for capital expenditure: ₹7.18 crore

In accordance with the instructions contained in the prescribed format additions to the Corpus/ Capital Fund should have been made to the same extent of grants utilized for capital expenditure. Further, balance of unutilised grants is to be included under the Current Liabilities (Schedule 3) is to be worked out by preparing Sub-Schedule 3C and Sub-Schedule 10⁴.

The above represents additions to the Corpus/ Capital Fund to the extent of UGC grants utilized for capital expenditure. In accordance with the instructions contained in the prescribed format, the University has shown capitalisation of assets in the Sub-Schedule 3C/Schedule 10 for an amount of ₹18.92 crore. However, additions to the Corpus/ Capital Fund (Schedule 1) were booked only for an amount of ₹7.18 crore instead of ₹18.92 crore. Further, additions made of ₹7.18 also included also included an unutilised balance of grant amounting to ₹2.12 crore, which was lapsed at the end of the year. Therefore, capitalisation of assets to the extent of ₹13.86 (18.92-(7.18-2.12) crore was not recorded in the Corpus/ Capital Fund (Schedule 1) as well as balance of un-utilised grants shown in the Schedule 3. This has resulted into understatement of Corpus/ Capital Fund and overstatement of unutilised grants (as shown in Schedule 3⁵) by ₹13.86 (18.92-(7.18-2.12) crore.

**A.1.1.2 Current Liabilities & Provisions (Schedule 3): ₹116.17 crore
Unutilised grants: ₹30.02 crore**

As per the prescribed format, balance of unutilised grants is to be included under the Current Liabilities (Schedule 3) is to be worked out by preparing Sub-Schedule 3C and Sub-Schedule 10.

⁴As per the prescribed format, Schedule 3C and Schedule 10 are identical i.e. these incorporate identical accounting transactions in respect of Government Grants.

The above incorrectly included⁶ interest payable on grant ₹1.41 crore, Miscellaneous Receipts ₹ 0.01 crore and Miscellaneous grants received ₹0.67 crore, which should have been booked under Current Liabilities (₹ 1.42 crore) and Project balances (₹0.67 crore), respectively. Not doing so has resulted in overstatement of unutilised grants ₹2.09⁷ crore and understatement of Current Liabilities to the extent of liabilities on account of interest payable on grant by ₹1.41 crore, Miscellaneous Receipts by ₹0.01 crore and Project balances ₹0.67 crore.

This observation was also included in the Separate Audit Report for the previous year 2023-24 (Sl.no.C.2). However, compliance was not made by the University in its books of accounts for the year 2024-25 despite assurance to rectify was given by the University in this regard last year.

A.2 Application of Funds
Fixed Assets- ₹564.29 crore
Capital Work in progress: ₹137.73 crore

A.2.1 Above included an amount of ₹9.30 crore which was paid to (i) CPWD for Canal water-₹6.46 crore (ii) DHBVNL-₹1.88 crore and (iii) NICSI-₹0.96 crore. These works were completed by CPWD, DHBVNL and NICSI however, these works have, still not been capitalised by the University in its books of accounts. The Institute is required to capitalize the assets and charge depreciation accordingly in the books of accounts as per the approved format.

A.2.2 Further, the CPWD claimed ₹6.60 crore for executing the work, against the amount deposited with it of ₹6.46 crore. However, the University has not provided liability of balance amount payable to CPWD of ₹0.14 crore in its books of accounts. This has resulted in understatement of Current Liabilities as well as Capital Work in Progress (CWIP) by ₹0.14 crore.

A.3 Contribution towards Corpus/ Capital Fund of ₹22.72 crore shown as additions to the Corpus/ Capital Fund under Schedule 1, included grants amounting to ₹15.12 crore (HEFA 1: ₹8.64 crore and HEFA 2: ₹6.48 crore) and ₹3.10 crore received during the year for repayment of Principal and Interest of loan from Higher Education Financing Agency (HEFA) for creation of capital assets.

⁷As per the prescribed format, project balances are also to be included in the Current Liabilities (Schedule 3)

However, the University has incorrectly booked the whole amount of the grant received as additions to the Corpus/ Capital fund without restricting it to the extent of creation of capital assets, in contravention of the prescribed format. The University may review all the grants received for repayment of HEFA Principal and interest which have been added to Corpus/ Capital fund and reverse the amounts for which assets have not been created so far, under intimation of audit.

A.4 Capital Works in Progress (CWIP) of ₹137.73 crore included works amounting to ₹125.31 crore, records/files in respect of which were not provided to audit. In absence of records/files, above captioned CWIP amounting to ₹125.31 crore could not be verified in audit. Similar observation was also included in the Separate Audit Report for the previous year 2023-24 (Sl.no.C.5). However, compliance was not made by the University in its books of accounts for the year 2024-25 despite assurance to rectify was given by the University in this regard last year.

A.5 Accounting Standard-15 as well as the prescribed format of accounts, mandates the accounting and disclosure of employees' retirement benefits on the basis of actuarial valuation. Thus, the standard requires an enterprise to recognise post- employment benefits such as gratuity, pension, and other retirement benefits. The Department of Expenditure (DoE), Ministry of Finance (MoF), Government of India vide OM No.1 (16)/EV/2017 dated 02.12.2021, has advised the Ministry of Education to instruct Autonomous Bodies/ Organizations to adopt Payment of Gratuity Act, 1972 in consultation with Ministry of Labour and Employment (MoL&E) since CCS (Pension) Rules, 1972 are strictly meant for Central Government employees only. Further, vide O.M. No.R-13011/02/2022-SS.II dated 23.11.2022, the MoL&E has clarified that the Payment of Gratuity Act, 1972 is applicable to all employees of educational institutions, as the said Act does not have provisions for different set/category/class of employees and further that no separate notification is required to be issued by the Ministry of Education for applicability of the said Act (in case of NPS employees).

However, the University has not got conducted the actuarial valuation of gratuity payable to its employees. As such, provision for payment of gratuity was not made by the University in its books of accounts. The Institute is required to create provision for retirement benefits for its employees and give detailed disclosure in notes to

accounts as required by AS-15.

A.6 Non-Accounting of Fixed Assets as per the Instructions contained in the prescribed format

- (i) As per the prescribed format, the separate account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Further, the disclosure of information under the above sub-heads is encouraged for material amount.

However, there is difference noticed in the figures of additions made during the year as shown in the books of accounts and additions made in the Fixed Assets Register. For instance, the amount of additions to Sports, Machinery, and Scientific equipments; as per the Fixed Assets Register were ₹4.41 crore, however the same were ₹2.03 crore (as per the books of accounts. Therefore, the heads as prescribed in the applicable format and being adopted by the University in its books of accounts; were not found incorporated in the same manner in the Fixed Assets Register maintained. As such, entries made in the Fixed Assets Register could not be reconciled with the details of fixed assets recorded in the books of accounts.

The Fixed Assets Register is to be corrected by the University by incorporating heads of fixed assets, in the manner, as prescribed in the applicable format as well as adopted by it, in its books of accounts.

- (ii) As per the prescribed format, Sub-Schedules for each of source of funds, from which these have been created is to be prepared and annexed with the main Schedule of Fixed Assets.

The University is creating fixed assets from various sources of funds i.e. Grant-in-Capital, HEFA Loan, and Sponsored Projects. However, the University has not prepared Sub-Schedules showing fixed assets created from various sources of funds in contravention of the instructions contained in the prescribed format. Moreover, the University has further contradicted the prescribed format as it has also not prepared separate Sub-Schedules for “Intangible Assets” and “Patents and Copyrights” showing details of assets included therein.

B. Assessment of Internal Control

B.1 Adequacy of Internal Audit system

Internal Audit system exists in the University and internal audit for the year 2024-25

was conducted.

B.2 Adequacy of Internal control system

A group comprising of statutory officer and Group-A officers of the University was formed to support the university's internal governance.

B.3 System of Physical verification of Fixed Assets

Physical verification of Fixed Assets for the year 2024-25 was conducted. Physical verification of the Library was also conducted.

B.4 System of Physical verification of Inventory

Physical verification of Inventory was conducted for the year 2024-25.

B.5 Regularity in payment of Statutory Dues

As per the records, the payment of statutory dues was regularly made by the University.

C. Grant-in-Aid

C.1 The position of Grant-in-Aid of the University as on 31.03.2025 was as detailed below: -

(Amount in ₹ crore)				
Grant Head	General- 31	Capital- 35	Salary-36	Total
Opening balance at the start of the year	Nil	27.93	Nil	27.93
Received during the year	35.39	7.18	48.15	90.72
Total funds available	35.39	35.11	48.15	118.65
Less:-Utilised during the year	35.39	18.92	48.15	102.46
Less: Refunded to UGC	Nil	2.12	Nil	2.12
Closing balance at the end of the year	Nil	14.07	Nil	14.07

C.2 The unutilised balance of grants shown by the University under Current Liabilities Schedule 3) was ₹30.02 crore which needs to be corrected by the University to the extent of ₹15.95 (13.86+2.09) crore as pointed out in the observations at Sl.no.A.1.1.2 and A.1.2 above.

C.3 During the year 2024-25, the University has also received grants for

repayment of HEFA Principal and for repayment of HEFA Interest amounting to ₹14.62 crore and ₹3.10 crore, respectively, which were fully utilised by it. There was no opening balance in these grants at the start of the year.

End

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय



परीक्षित वार्षिक लेखा

2024-25

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय



उपलब्धियां... आत्मविश्वास के साथ

विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह

तीन वृत्तखंडों की त्रिवेणी से बना है जिसके बीच में एक ग्लोब है। इसके नीचे भर्तृहरि द्वारा रचित नीतिशतकम् से लिया गया एक श्लोक उद्भूत है।

नीचे वाले वृत्तखंड में एक खुली हुई पुस्तक है जो ज्ञान विद्वत्ता और विवेक की प्राप्ति की ललक का प्रतीक है, एक वीणा अंकित है जो इस बात का प्रतीक है कि विश्वविद्यालय कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दायीं ओर के वृत्तखंड में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं साहस के प्रतीक अंकित है जिससे प्रदर्शित होता है कि विश्वविद्यालय वैज्ञानिक एवं अन्वेषी दृष्टिकोण विकसित करने सृजन एवं नवोन्मेष की संस्कृति का सूत्रपात करने के लिए कृतसंकल्प है।

बायीं ओर के वृत्तखंड में प्रकृति का चित्रण है जिससे प्रतिपादित होता है कि विश्वविद्यालय जीवन मूल्यों से ओत-प्रोत शिक्षा, सदाचारयुक्त जीवन प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति आदर एवं सौहार्द की भावना विकसित करेगा।

प्रतीक चिह्न के केंद्र में मानव श्रृंखला से घिरा हुआ ग्लोब और उसके ऊपर उड़ता हुआ कबूतर अभिव्यक्त करता है कि तीनों वृत्तखंडों की त्रिवेणी द्वारा जो प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गई हैं उनके द्वारा विश्व में स्वतंत्रता शांति समृद्धि और एकता का विकास होगा जो शिक्षा का मूल उद्देश्य भी है।

नीचे उद्धृत श्लोक 'विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्' का अर्थ है कि 'शिक्षा' रूपी धन ही सर्वोत्तम धन है जिसे न कोई चुरा सकता है न ही बांट सकता है।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में

विश्वविद्यालय

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत स्थापित हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य का एकमात्र विश्वविद्यालय है, जिसका नियंत्रण एवं वित्त-पोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह विश्वविद्यालय महेन्द्रगढ़ जिले के जांट-पाली गाँव में स्थित है, जो अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है।

विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष

भारत के महामहिम राष्ट्रपति माननीया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

कुलपति

प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार

लक्ष्य

नवप्रवर्तन, रचनात्मक प्रयासों तथा विद्वतापूर्ण अन्वेषणों को प्रोत्साहित करके सबों को ज्ञानी-समाज का प्रबुद्ध नागरिक बनाना ताकि व्यक्ति, राष्ट्र और सम्पूर्ण विश्व शांति एवं समृद्धि को प्राप्त कर सके।

ध्येय

विश्वविद्यालय का ध्येय है भारत का समग्र विकास एवं पूर्ण आत्मनिर्भरता। इसमें विश्वविद्यालय की मुख्य भूमिका होगी, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक विचारों को प्रोत्साहन देना, बहु-विषयी शिक्षण, उज्ज्वल-चरित्र निर्माण एवं नैतिक मूल्यों से ओत-प्रोत पारदर्शी कार्य-प्रणाली विकसित करना, ज्ञानी-समाज के निर्माण का पथ-प्रशस्त करना। शिक्षण, अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन को और अधिक सटीक एवं प्रायोगिक बनाना। सामाजिक अनुसंधान, लोकतांत्रिक प्रवृत्ति, समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास, समुदायिक विस्तार अभियान, वैज्ञानिक प्रयास एवं तकनीकी प्रगति।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

- विद्याओं के प्रसार एवं उन्नति के लिए आवश्यकतानुसार शिक्षण एवं अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना।
- मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रमों में समेकित पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विशेष प्रावधान करना।
- अध्ययन-अध्यापन, अंतर्विषयी अध्ययन तथा अनुसंधान में नवाचारों को प्रोत्साहित करने हेतु उचित व्यवस्था करना।
- देश के विकास के लिए मानव संसाधन को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए उद्योगों से संबंध स्थापित करना
- लोगों के सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार, लोक-कल्याण, बौद्धिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु विशेष प्रयास।

गुणवत्ता का संकल्प

सर्वोत्कृष्ट शिक्षा, सही दिशा में अनुसंधान और अन्य शैक्षिक पहलुओं को श्रेष्ठ बनाकर निरंतर प्रगति के द्वारा समाज का सर्वांगीण विकास। गम्भीरता, दृढ़ संकल्प, अन्वेषण, सदाचार, ईमानदारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सतत आत्म-मूल्यांकन एवं आत्मसुधार के द्वारा स्वस्थ-समाज की नींव डालना।

विश्वविद्यालय सभा (कोर्ट)

फॉर्म 17

परिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय सभा(कोर्ट) का गठन,

खण्ड	परिनियम-10 (कोर्ट का गठन एवं उसके सदस्यों की पदावधि)	सदस्य	कार्यकाल
i.	कुलाधिपति, अध्यक्ष	खाली	लागू नहीं
ii.	कुलपति	प्रो. (डॉ.) टंकेशवर कुमार	पदेन सदस्य
iii.	सम-कुलपति	रिक्त	लागू नहीं
iv.	कार्य परिषद् के सभी सदस्य	1. प्रो. रजनीश कुमार शुक्ला भूतपूर्व कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा 2. प्रो. बी.बी. गोयल सेवानिवृत्त प्रोफेसर (लोक प्रशासन) पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ 3. प्रो. सत प्रकाश बंसल कुलपति, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय 4. प्रो. मुख्तियार सिंह प्रोफेसर, विद्युत अभियांत्रिकी विभाग, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 5. प्रो. ताहिर हुसैन सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार 6. प्रो. प्रदीप कुमार प्रोफेसर, इंस्ट्रुमेंटेशन विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र 7. प्रो. रंजन अनेजा अधिष्ठाता, व्यवसाय एवं प्रबंधन अध्ययन पीठ, हकेवि 8. प्रो. राजेश कुमार गुप्ता	पदेन सदस्य

		अधिष्ठाता, मौलिक विज्ञान पीठ, हकेवि 9. प्रो. दिनेश कुमार गुप्ता, अधिष्ठाता, अंतर-विषयी एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान पीठ 10. प्रोफेसर नंद किशोर, कुलानुशासक, हकेवि 11. प्रोफेसर आरके गुप्ता, कुलपति, महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश	
v.	सभी अध्ययन पीठों के अधिष्ठाता	1. प्रो. राजेश कुमार गुप्ता, अधिष्ठाता, मौलिक विज्ञान पीठ 2. प्रो. रंजन अनेजा, अधिष्ठाता, व्यवसाय एवं प्रबंधन अध्ययन पीठ 3. प्रो. रविंद्र पाल अहलावत, अधिष्ठाता, शिक्षा पीठ 4. प्रो. विकास गर्ग, अधिष्ठाता, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी पीठ 5. प्रो. पायल कंवर चंदेल, अधिष्ठाता, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान पीठ 6. प्रो. दिनेश कुमार गुप्ता, अधिष्ठाता, अंतर-विषयी एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान पीठ 7. डॉ. प्रदीप सिंह, अधिष्ठाता, विधि पीठ 8. प्रो. पवन कुमार मौर्य, अधिष्ठाता, सतत् अध्ययन पीठ	पदेन सदस्य
vi.	कुलानुशासक, पदेन	प्रो. नंद किशोर, शिक्षक शिक्षा विभाग	पदेन सदस्य
vii.	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	प्रो. आनंद शर्मा, प्रबंधन अध्ययन विभाग	पदेन सदस्य
viii.	सभी केंद्रों के अध्यक्ष	रिक्त	पदेन सदस्य
ix.	सभी विभागाध्यक्ष	1. प्रो. अंतर्देश कुमार, विभागाध्यक्ष, जैव रसायन विभाग 2. डॉ. रूपेश देशमुख, विभागाध्यक्ष, जैव प्रौद्योगिकी विभाग	पदेन सदस्य

		3. प्रो. हरीश कुमार, विभागाध्यक्ष, रसायन विज्ञान विभाग 4. प्रो. विकास गर्ग, विभागाध्यक्ष, सिविल अभियांत्रिकी विभाग 5. डॉ. राजेंद्र प्रसाद मीणा , विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग 6. प्रो. राकेश कुमार, विभागाध्यक्ष, कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग 7. डॉ. केशव सिंह रावत, विभागाध्यक्ष, कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 8. डॉ. अमनदीप वर्मा , विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग 9. प्रो. आकाश सक्सेना, विभागाध्यक्ष, विद्युत अभियांत्रिकी विभाग 10. प्रो. संजीव कुमार, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विभाग 11. डॉ. अनीता सिंह , विभागाध्यक्ष, पर्यावरण अध्ययन विभाग 12. प्रो. एमएल मीणा, विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग 13. प्रो. बीर पाल सिंह यादव , विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग 14. डॉ. नरेंद्र सिंह , विभागाध्यक्ष, इतिहास एवं पुरातत्व विभाग 15. डॉ. अशोक कुमार, विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग 16. डॉ. प्रदीप सिंह, अध्यक्ष, विधि विभाग 17. डॉ. श्री राम पांडेय, अध्यक्ष, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग	
--	--	--	--

	18.प्रो. सुनीता तंवर, विभागाध्यक्ष, प्रबंधन अध्ययन विभाग 19.प्रो. अनिल कुमार यादव, विभागाध्यक्ष, गणित विभाग 20.प्रो. विकास बेनीवाल, विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग 21.प्रो. कांति प्रकाश शर्मा , विभागाध्यक्ष, पोषण जीव विज्ञान विभाग 22.डॉ. दिनेश कुमार, विभागाध्यक्ष, भेषज विज्ञान विभाग 23.डॉ.जयप्रकाश भूकर, विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग 24.प्रो. सुनीता श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष, भौतिकी एवं खगोल भौतिकी विभाग 25.प्रो. राजीव कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग 26.प्रो. विकास गर्ग , विभागाध्यक्ष, मुद्रण एवं पैकेजिंग प्रौद्योगिकी विभाग 27.प्रो. पायल कंवर चंदेल, विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग 28.प्रो. पायल कंवर चंदेल , विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग 29.प्रो. पायल कंवर चंदेल , विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग 30.प्रो. रंजन कुमार साहू, विभागाध्यक्ष, सांख्यिकी विभाग 31.प्रो. प्रमोद कुमार, विभागाध्यक्ष, शिक्षक शिक्षा विभाग 32.प्रो. रणबीर सिंह, विभागाध्यक्ष, पर्यटन एवं होटल प्रबंधन विभाग	
--	---	--

		33.प्रो. दिनेश कुमार गुप्ता , विभागाध्यक्ष, योग विभाग 34.प्रो. कल्पना चौहान, विभागाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी विभाग	
x.	पुस्तकालयाध्यक्ष	डॉ. संतोष सी. हुलागाबली पी.डी.यू. केंद्रीय पुस्तकालय ह.के.वि.	पदेन सदस्य
xi.	सभी प्रोफेसर (विभागाध्यक्षों/अधिष्ठाता के अतिरिक्त)	1. प्रो. गुंजन गोयल , सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग 2. प्रो. अजय कुमार बंसल, विद्युत अभियांत्रिकी विभाग 3. प्रो. दिनेश चहल, शिक्षक शिक्षा विभाग 4. प्रो. नंद किशोर, शिक्षक शिक्षा विभाग 5. प्रो. मनोज कुमार सिंह, अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी विभाग 6. प्रो. राजेश कुमार मलिक, विधि विभाग 7. प्रो. आनंद शर्मा, प्रबंधन अध्ययन विभाग 8. प्रो. सुनील कुमार, भौतिकी एवं खगोल भौतिकी विभाग 9. प्रो. आशीष माथुर , प्रबंधन अध्ययन विभाग 10.प्रो. सुशीला कुमारी सोरिया , वाणिज्य विभाग 11.प्रो. सिंगारा सिंह, कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 12.प्रो. विनोद कुमार, रसायन विज्ञान विभाग 13.प्रो. नीलम सांगवान, जैव रसायन विज्ञान विभाग	पदेन सदस्य

		14. प्रो. राजेश कुमार दुबे, विद्युत अभियांत्रिकी विभाग 15. प्रो. बिजेन्द्र सिंह, जैव प्रौद्योगिकी विभाग 16. प्रो. भास्कर दास, सिविल अभियांत्रिकी विभाग 17. प्रो. चंचल कुमार शर्मा, राजनीति विज्ञान विभाग 18. प्रो. फूल सिंह, अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी विभाग 19. प्रो. सुरेंद्र कुमार, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग 20. प्रो. रमेश कुमार, राजनीति विज्ञान विभाग 21. प्रो. विश्व चौधरी, मनोविज्ञान विभाग 22. प्रो. तनु गुप्ता, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विभाग	
xii.	परीक्षा नियंत्रक	प्रो. राजीव कौशिक	पदेन सदस्य
xiii.	वित्त अधिकारी	डॉ. विकास कुमार	पदेन सदस्य
xiv.	कुलसचिव	प्रो. सुनील कुमार , कुलसचिव (प्रभारी)	पदेन सदस्य सचिव
xv.	कुलाध्यक्ष का नामनिर्देशिती: कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित चार प्रतिष्ठित व्यक्ति	रिक्त	-----
xvi.	कुलाधिपति का नामनिर्देशिती: कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद	रिक्त	-----
xvii.	दो सह- आचार्य, जो विभागाध्यक्ष नहीं है, चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे।	1. डॉ. उमेश कुमार , सह-आचार्य, पोषण जीव विज्ञान विभाग 2. डॉ. विद्युल्लता पेड्डीरेड्डी, सह-आचार्य, पोषण जीव विज्ञान विभाग	12-01-2026 तक

xviii.	दो सहायक आचार्य, जो प्रत्येक पीठ/केंद्र/विभाग/कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते हो को चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे।	1. डॉ. रविंदर कौर, वाणिज्य विभाग	26.02.2027 तक
		रिक्त	
xix.	ज्ञान आधारित व्यवसायों तथा विशेष क्षेत्रों के प्रतिनिधि: उद्योग, वाणिज्य, बैंकिंग, कृषि, स्वास्थ्य, वित्तीय संस्थानों, विधि, प्रख्यात शिक्षाविदों, मीडिया, सामाजिक कार्य इत्यादि के प्रतिनिधियों सहित ज्ञान आधारित व्यवसायों तथा विशेष क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह व्यक्ति कार्य परिषद द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे	1. प्रो. पीसी पतंजलि, भूतपूर्व, कुलपति, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश 2. प्रो. पायल मागो, प्राचार्य, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज फॉर विमेन, दिल्ली विश्वविद्यालय 3. प्रो. ओम प्रकाश, एमेरिटस फेलो, रसायन विज्ञान विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र 4. प्रो. एनके तनेजा, भूतपूर्व कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ 5. प्रो. वीके अग्रवाल, भूतपूर्व कुलपति, जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर 6. प्रो. आरके गुप्ता, कुलपति, महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश	15.11.2025 तक

कार्यकाल: पदेन सदस्यों अर्थात क्रम संख्या (i से xiv) को छोड़कर सभा(कोर्ट) के सभी सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी।

कोरम: “सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति, सभा के कुल सदस्यों की एक तिहाई संख्या होगी”

कार्य परिषद्

फॉर्म 15

परिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय कार्य परिषद का गठन:

खण्ड	परिनियम-11 (कार्य परिषद् का गठन एवं उसके सदस्यों की पदावधि)	सदस्य	कार्यकाल
i.	कुलपति, पदेन अध्यक्ष	प्रो. (डॉ.) टंकेश्वर कुमार	पदेन सदस्य
ii.	सम-कुलपति, पदेन	रिक्त	लागू नहीं
iii.	अध्ययन पीठों से तीन अधिष्ठाता, जो वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम के अंतर्गत नीचे निर्दिष्ट प्रत्येक समूह से दो से अधिक नहीं होंगे: समूह-I क. मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान पीठ; ख. विधि पीठ; ग. व्यवसाय एवं प्रबंधन अध्ययन पीठ; घ. शिक्षा पीठ समूह-II क. मौलिक विज्ञान पीठ; ख. अंतर-विषयी एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान पीठ; ग. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी पीठ; घ. कृषि विज्ञान पीठ; ड. सतत अध्ययन पीठ	क. प्रो. रंजन अनेजा , अधिष्ठाता, व्यवसाय एवं प्रबंधन अध्ययन पीठ	23.12.2024 से तीन वर्ष की अवधि के लिए- अथवा जब तक वह संबंधित अध्ययन पीठ के अधिष्ठाता है, जो भी पहले हो।
		ख. प्रो. दिनेश कुमार गुप्ता, अधिष्ठाता, अंतर-विषयी एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान पीठ	शेष कार्यकाल तक अर्थात् 09-05-2025 अथवा जब तक वह संबंधित अध्ययन पीठ के अधिष्ठाता है, जो भी पहले हो।
		ग. प्रो. राजेश कुमार गुप्ता , अधिष्ठाता, मौलिक विज्ञान पीठ	14.02.2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए- अथवा जब तक वह संबंधित अध्ययन पीठ के अधिष्ठाता है, जो भी पहले हो।

iv.	कुलपति प्रौद्योगिकी/उद्योग/वित्त/शिक्षा के क्षेत्र से तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामनिर्देशित करेंगे।	1. प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल , भूतपूर्व कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा 2. प्रो. बी बी गोयल , सेवानिवृत्त प्रोफेसर (लोक प्रशासन) पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ 3. प्रो. सत प्रकाश बंसल , कुलपति, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	07-04-2025 तक 03-06-2025 तक 03-06-2025 तक
v.	कुलानुशासक (प्रॉक्टर), पदेन	प्रो. नंद किशोर , प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, हकेवि	पदेन सदस्य
vi.	सभा (कोर्ट) द्वारा नामनिर्देशित सभा के दो सदस्य	1. प्रोफेसर आरके गुप्ता , कुलपति, महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश	02.06.2027 तक या जब तक वे विश्वविद्यालय सभा (कोर्ट) के सदस्य है, जो भी पहले हो।
vii.	कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित शैक्षणिक क्षेत्र से तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति,	रिक्त	लागू नहीं
viii.	तीन प्रतिनिधि जिनमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ा वर्गों/ अल्पसंख्यकों/ महिलाओं/ दिव्यांगों जैसी श्रेणियों के प्रतिनिधित्व का सम्यक ध्यान रखा गया है (कुलपति उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों से सेवारत या सेवानिवृत्त शिक्षाविदों को नामनिर्देशित करेंगे)	1. प्रो. प्रदीप कुमार , प्रोफेसर, इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र 2. प्रो. मुख्तियार सिंह , प्रोफेसर, विद्युत अभियांत्रिकी विभाग, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 3. प्रो. ताहिर हुसैन , सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	07-04-2025 तक 03-06-2025 तक 03-06-2025 तक
ix.	कुलसचिव, सचिव, पदेन	प्रो. सुनील कुमार , कुलसचिव (प्रभारी)	पदेन सचिव

कार्यकाल: कार्य परिषद् के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी।

कोरम: “कार्य परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति, कुलपति को छोड़कर, कार्य परिषद् के कुल सदस्यों की आधी संख्या होगी”

शैक्षणिक परिषद्

फॉर्म 16

परिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद् का गठन

खण्ड	परिनियम-13 (शैक्षणिक परिषद् का गठन एवं उसके सदस्यों की पदावधि)	सदस्य	कार्यकाल
i.	कुलपति, पदेन अध्यक्ष	प्रो. (डॉ.) टंकेश्वर कुमार	पदेन
ii.	सम-कुलपति	रिक्त	लागू नहीं
iii.	अध्ययन पीठों के अधिष्ठाता	1. प्रो. राजेश कुमार गुप्ता, अधिष्ठाता, मौलिक विज्ञान पीठ 2. प्रो. रंजन अनेजा, अधिष्ठाता, व्यवसाय एवं प्रबंधन अध्ययन पीठ 3. प्रो. रविंद्र पाल अहलावत, अधिष्ठाता, शिक्षा पीठ 4. प्रो. विकास गर्ग, अधिष्ठाता, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी पीठ 5. प्रो. पायल कंवर चंदेल, अधिष्ठाता, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान पीठ 6. प्रो. दिनेश कुमार गुप्ता, अधिष्ठाता, अंतर-विषयी एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान पीठ 7. डॉ. प्रदीप सिंह, अधिष्ठाता, विधि पीठ 8. प्रो. पवन कुमार मौर्य, अधिष्ठाता, सतत् अध्ययन पीठ	पदेन सदस्य
iv.	अध्ययन विभागों के विभागाध्यक्ष	1. प्रो. अंतर्देश कुमार, विभागाध्यक्ष, जैव रसायन विभाग 2. डॉ. रूपेश देशमुख, विभागाध्यक्ष, जैव प्रौद्योगिकी विभाग 3. प्रो. हरीश कुमार, विभागाध्यक्ष, रसायन विज्ञान विभाग	पदेन सदस्य

		4. प्रो. विकास गर्ग, विभागाध्यक्ष, सिविल अभियांत्रिकी विभाग 5. डॉ. राजेंद्र प्रसाद मीणा , विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग 6. प्रो. राकेश कुमार, विभागाध्यक्ष, कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग 7. डॉ. केशव सिंह रावत, विभागाध्यक्ष, कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 8. डॉ. अमनदीप वर्मा , विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग 9. प्रो. आकाश सक्सेना, विभागाध्यक्ष, विद्युत अभियांत्रिकी विभाग 10. प्रो. संजीव कुमार, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विभाग 11. डॉ. अनीता सिंह , विभागाध्यक्ष, पर्यावरण अध्ययन विभाग 12. प्रो. एमएल मीणा, विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग 13. प्रो. बीर पाल सिंह यादव , विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग 14. डॉ. नरेंद्र सिंह , विभागाध्यक्ष, इतिहास एवं पुरातत्व विभाग 15. डॉ. अशोक कुमार, विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग 16. डॉ. प्रदीप सिंह, विभागाध्यक्ष, विधि विभाग 17. डॉ. श्री राम पांडेय, विभागाध्यक्ष, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग 18. प्रो. सुनीता तंवर, विभागाध्यक्ष, प्रबंधन अध्ययन विभाग	
--	--	---	--

		19.प्रो. अनिल कुमार यादव, विभागाध्यक्ष, गणित विभाग 20.प्रो. विकास बेनीवाल, विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग 21.प्रो. कांति प्रकाश शर्मा , विभागाध्यक्ष, पोषण जीव विज्ञान विभाग 22.डॉ. दिनेश कुमार, विभागाध्यक्ष, भेषज विज्ञान विभाग 23.डॉ. जयप्रकाश भूकर, विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग 24.प्रो. सुनीता श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष, भौतिकी एवं खगोल भौतिकी विभाग 25.प्रो. राजीव कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग 26.प्रो. विकास गर्ग , विभागाध्यक्ष, मुद्रण एवं पैकेजिंग प्रौद्योगिकी विभाग 27.प्रो. पायल कंवर चंदेल, विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग 28.प्रो. पायल कंवर चंदेल , विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग 29.प्रो. पायल कंवर चंदेल , विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग 30.प्रो. रंजन कुमार साहू, विभागाध्यक्ष, सांख्यिकी विभाग 31.प्रो. प्रमोद कुमार, विभागाध्यक्ष, शिक्षक शिक्षा विभाग 32.प्रो. रणबीर सिंह, विभागाध्यक्ष, पर्यटन एवं होटल प्रबंधन विभाग 33.प्रो. दिनेश कुमार गुप्ता , विभागाध्यक्ष, योग विभाग	
--	--	---	--

		34. प्रो. कल्पना चौहान, विभागाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी विभाग	
v.	चार प्रोफेसर, जो अधिष्ठाता या विभागाध्यक्ष नहीं हैं, वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम के अंतर्गत, जो विभिन्न अध्ययन पीठों का सम्यक प्रतिनिधित्व करते हैं	1. प्रो. अजय कुमार बंसल, विद्युत अभियांत्रिकी विभाग	12.07.2025 तक
		2. प्रो. राजेश कुमार दुबे, विद्युत अभियांत्रिकी विभाग	18-12-2027 तक
		3. प्रो. दिनेश चहल, शिक्षक शिक्षा विभाग	18-12-2027 तक
		रिक्त	
vi.	शैक्षणिक परिषद् की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय सेवा से बहार के छह व्यक्ति, उनकी विशेषज्ञता के आधार पर	1. प्रो आलोक कुमार चक्रवाल , कुलपति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर 2. प्रो. राघवेंद्र पी. तिवारी, कुलपति, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा 3. प्रो. शिप्रा गुप्ता , प्रोफेसर, विधि विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ 4. प्रो. नवदीप गोयल , प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ 5. सुश्री ज्योति अरोड़ा , आईएएस (सेवानिवृत्त) 1987 बैच, भूतपूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा 6. डॉ. रेखा कालिया भारद्वाज , भूतपूर्व कुलसचिव, डीएवी विश्वविद्यालय जालंधर एवं विजिटिंग प्रोफेसर, लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, जालंधर	16.02.2028 तक
vii.	कुलपति द्वारा प्रौद्योगिकी/ उद्योग/ वित्त/ शिक्षा क्षेत्र से नामनिर्देशित चार प्रतिष्ठित व्यक्ति	1. प्रो. साथंस , प्रोफेसर, विद्युत अभियांत्रिकी विभाग, रा.प्रौ.सं., कुरुक्षेत्र- 136119 2. प्रो. बी.बी. गोयल , प्रोफेसर लोक प्रशासन (सेवानिवृत्त) पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	24.05.2026 तक

		3. डॉ. विनी कपूर , सम-कुलपति, श्री गुरु गोबिंद सिंह ट्राइसेंटेनरी यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम 4. पीएस मारुति साई , भूतपूर्व उपाध्यक्ष, रिलायंस लाइफ साइंस, मुंबई	
viii.	सभा (कोर्ट) के गठन के उपरांत, निर्वाचित सदस्यों में से तीन चयनित सदस्य, जो विश्वविद्यालय या इससे मान्यता प्राप्त या संबद्ध किसी संस्थान का कर्मचारी या विद्यार्थी नहीं है	रिक्त	-----
ix.	तीन सह- आचार्य, जो अधिष्ठाता या विभागाध्यक्ष नहीं है, वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम के अंतर्गत, जो विभिन्न अध्ययन पीठों का सम्यक प्रतिनिधित्व करते हैं	1. डॉ. आरती यादव, सह-आचार्य, शिक्षक शिक्षा विभाग रिक्त	18.12.2027 तक
x.	दो सहायक आचार्य, वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम के अंतर्गत, जो विभिन्न अध्ययन पीठों का सम्यक प्रतिनिधित्व करते हैं	1. डॉ. रश्मि तंवर, सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग 2. डॉ. अरविंद सिंह तेजावत, सहायक आचार्य, हिंदी विभाग	18.12.2027 तक
xi.	अधिष्ठाता छात्र कल्याण	प्रोफेसर आनंद शर्मा, प्रोफेसर, प्रबंधन अध्ययन विभाग	पदेन सदस्य
xii.	कुलानुशासक	प्रो. नंद किशोर, प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, हकेवि	पदेन सदस्य
xiii.	पुस्तकालयाध्यक्ष	डॉ. संतोष सी. हुलागाबली	पदेन सदस्य
xiv.	एक प्रोवोस्ट, वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम के अंतर्गत	रिक्त	
xv.	कुलपति मेरिट आधार पर दो छात्र प्रतिनिधियों को नामनिर्देशित करेंगे, जो विश्वविद्यालय के विभिन्न पीठों/विभागों से चक्रानुक्रम में, एक शोधार्थियों तथा दूसरा स्नातकोत्तर छात्र होगा (छात्र सदस्यों को परीक्षाओं, चयन समितियों, नियुक्तियों तथा शिक्षण कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित विषयों पर	रिक्त	

	चर्चा में प्रतिभागिता की अनुमति नहीं होगी)		
xvi.	तीन प्रतिनिधि जिनमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ा वर्गों/ अल्पसंख्यकों/ महिलाओं/ दिव्यांगों जैसी श्रेणियों के प्रतिनिधित्व का सम्यक ध्यान रखा गया है (कुलपति उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों से सेवारत या सेवानिवृत्त शिक्षाविदों को नामनिर्देशित करेंगे)	1. प्रो. सिमरित काहलों, प्रोफेसर, भूगोल विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ 2. डॉ. अशोक कुमार, सहायक आचार्य, भौतिक विज्ञान विभाग, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय 3. प्रो. देविंद्र कुमार, प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार	24.05.2026 तक
xvii.	कुलसचिव, पदेन सचिव	प्रो. सुनील कुमार, कुलसचिव (प्रभारी)	पदेन सचिव

कार्यकाल: कुलपति, सम-कुलपति, अधिष्ठाता (छात्र कल्याण), कुलानुशासक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष को छोड़कर शैक्षणिक परिषद के सभी सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी, यद्यपि छात्र सदस्यों का कार्यकाल एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

कोरम: “शैक्षणिक परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति, कुलपति को छोड़कर, शैक्षणिक परिषद् के कुल सदस्यों की आधी संख्या होगी”

वित्त समिति

(31 मार्च 2025)

अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) टंकेश्वर कुमार कुलपति	
संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार शिक्षा मंत्रालय, या शिक्षा मंत्रालय के वित्त ब्यूरो से भारत के माननीय राष्ट्रपति का नामनिर्देशिती, जो उप सचिव के पद से नीचे का न हो	शिक्षा मंत्रालय का संयुक्त सचिव (के.वि एवं भाषा), या भारत के माननीय राष्ट्रपति का नामनिर्देशिती, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो
संयुक्त सचिव (सीयू), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित संयुक्त सचिव स्तर का अन्य अधिकारी	प्रो. बी बी गोयल प्रोफेसर लोक प्रशासन (सेवानिवृत्त) पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, कार्य परिषद् के नामनिर्देशिती के तौर पर (कार्य परिषद के सदस्य के रूप में)
प्रो. ओम प्रकाश अरोड़ा , एमेरिटस फेलो, रसायन विज्ञान विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र कार्य परिषद् के नामनिर्देशिती की हैसियत से	डॉ विकास गुप्ता , कुलसचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय सभा (कोर्ट) के नामनिर्देशिती की हैसियत से
प्रो. (डॉ.) आर के गुप्ता , कुलपति महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय सोलन, हिमाचल प्रदेश - कार्य परिषद के नामनिर्देशिती की हैसियत से (कार्य परिषद के सदस्य के रूप में)	डॉ. विकास कुमार , वित्त अधिकारी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (सचिव)

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

तुलनपत्र: 31 मार्च, 2025

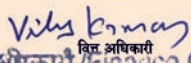
विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
		रुपये	रुपये
क निधियों का स्रोत			
1 निधियां			
(क) समग्र निधि / पूंजीगत निधि	1	5,96,04,51,395	5,90,96,68,773
(ख) नामित / उद्दिष्ट / अक्षय निधि	2	-	-
(ग) मूल्यहास आरक्षित निधि			
		5,96,04,51,395	5,90,96,68,773
2 चालू देयता एवं प्रावधान			
(क) व्यापार/देय खाते	3	2,69,357	16,89,254
(ख) अन्य चालू देयताएं	3	1,04,80,30,646	1,04,57,58,254
(ग) अल्पकालिक प्रावधान	3	11,33,99,056	9,52,44,744
		1,16,16,99,059	1,14,26,92,252
	कुल	7,12,21,50,454	7,05,23,61,025
ख निधियों का अनुप्रयोग			
1 अचल परिसंपत्तियां			
(क) मूर्त संपत्ति	4	4,25,85,96,644	1,94,14,80,411
(ख) अमूर्त संपत्ति	4	66,06,231	27,62,921
(ग) पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य	4	1,37,76,92,392	3,50,01,35,515
		5,64,28,95,267	5,44,43,78,847
2 उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से निवेश			
(क) दीर्घकालिक	5	-	-
(ख) अल्पावधि		-	-
		-	-
3 निवेश - अन्य	6	-	-
4 चालू परिसंपत्तियां			
(क) माल सूची	7	-	-
(ख) व्यापार/खा प्राप्य	7	-	-
(ग) नकद एवं नकदी के समतुल्य	7	1,04,98,73,567	1,01,41,18,934
		1,04,98,73,567	1,01,41,18,934
5 ऋण, अग्रिम एवं जमा			
(घ) अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	8	42,93,81,624	59,38,63,244
(ड) अन्य चालू परिसंपत्तियां	7	-	-
		42,93,81,624	59,38,63,244
	कुल	7,12,21,50,454	7,05,23,61,025
संलग्न नोट 1-24 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	23		
आकस्मिक देयताएं एवं खातों पर टिप्पणियां	24		

Vijay Kumar
 वित्त अधिकारी/Finance Officer
 हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
 Central University of Haryana
 महेन्द्रगढ़, हरियाणा-123031

Skumar
 कुलसचिव/Registrar
 हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
 Central University of Haryana
 महेन्द्रगढ़, हरियाणा - 123029
 Mahendragadh, Haryana - 123029

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

	विवरण	अनुपूर्वी संख्या	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
			रुपये	रुपये
	सतत परिचालन			
	आय			
1	शैक्षणिक प्राप्तियां	9	13,42,62,923	11,35,93,401
2	अनुदान एवं दान	10	83,53,65,999	79,15,91,192
3	निवेश से आय	11	5,89,20,853	4,12,94,617
4	अर्जित व्याज	12	9,14,839	21,95,017
5	अन्य आय	13	3,21,68,467	2,50,40,237
6	पूर्व अवधि आय	14	38,75,360	-
क	कुल आय (1+2+3+4+5+6)		1,06,55,08,441	97,37,14,465
	व्यय			
7	स्टाफ भुगतान एवं भत्ते	15	65,91,04,615	64,00,84,728
8	शैक्षणिक व्यय	16	5,99,22,110	6,78,17,600
9	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	17	16,72,46,380	19,16,94,171
10	परिवहन खर्च	18	49,56,819	33,65,870
11	अनुरक्षण एवं रखरखाव	19	91,91,156	2,34,85,315
12	वित्त लागत	20	27,727	1,39,727
13	मूल्यहास	4		-
14	अन्य खर्च	21		-
15	पूर्व अवधि व्यय	22	1,48,000	-
ख	कुल व्यय (7+8+9+10+11+12+13+14+15)		90,05,96,807	92,65,87,410
	खर्च से अधिक आय होने के कारण शेष {क-ख}		16,49,11,634	4,71,27,054
ग	निर्दिष्ट निधि से/को स्थानांतरण			
	भवन निधि			-
	अन्य (मूल्यहास)	4	43,09,74,604	8,84,63,462
	अधिशेष (कमी) का पूंजीगत निधि में हस्तांतरित (ग-ख)		43,09,74,604	8,84,63,462
घ			(26,60,62,970)	(4,13,36,408)
	संलग्न नोट 1-24 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं			
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	23		
	आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियाँ	24		


वित्त अधिकारी
हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Haryana
महेंद्रगढ़/Mahendargarh-123031


कुलसचिव
हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Haryana
महेंद्रगढ़, हरियाणा - 122029
Mahendargarh, Haryana - 123029

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के वित्तीय विवरण का प्रारूप
31.03.2025 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	चालू वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष
I. प्रारंभिक शेष क) नकद शेष ख) बैंक शेष i. चालू खातों में ii. जमा खातों में iii. बचत खातों में	89,23,94,964 12,15,89,420	I. व्यय क) वित्त लागत ख) शैक्षणिक व्यय ग) प्रशासनिक व्यय घ) परिवहन व्यय ङ) अनुरक्षण एवं रखरखाव च) पूर्व अवधि व्यय छ) स्टाफ भुगतान व्यय	27,727 5,99,22,110 16,72,46,380 49,56,819 91,91,156 - 60,28,93,324
II. प्राप्त अनुदान क) भारत सरकार से ख) राज्य सरकार से यूजीसी के अतिरिक्त पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत यूजीसी अनुदान आवर्ती शीर्ष के अंतर्गत यूजीसी अनुदान वेतन मद के अंतर्गत यूजीसी अनुदान (पूँजी एवं राजस्व व्यय हेतु अनुदान) (यदि उपलब्ध हो तो अलग दर्शाएं)	- 4,45,00,000 7,18,00,000 35,38,66,000 48,14,99,999 -	II. भुगतान उद्दिष्ट/अक्षय निधि	
III. शैक्षणिक रसीद IV. उद्दिष्ट/अक्षय निधि के सापेक्ष प्राप्तियां	13,42,62,925	III. प्रायोजित परियोजनाओं/योजनाओं के तहत भुगतान IV. प्रायोजित फेलोशिप/छात्रवृत्ति के सापेक्ष भुगतान	4,221,452.00 11,936,75
V. प्रायोजित परियोजनाओं/योजनाओं के सापेक्ष प्राप्तियां	4,88,09,997	V. किये गए निवेश और जमा क) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से ख) स्वयं की निधियों से (निवेश - अन्य)	-
VI. प्रायोजित फेलोशिप तथा छात्रवृत्ति के सापेक्ष प्राप्तियां	80,89,951	VI. अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा	
VII. निवेश पर आय क) उद्दिष्ट/अक्षय निधि ख) अन्य निवेश		VII. अचल संपत्तियों पर व्यय और पूंजीगत निर्माणधीन कार्य क) स्थायी परिसंपत्तियां ख) पूंजीगत निर्माणकार्य	199,659,294 1,892,823 -
VIII. प्राप्त ब्याज क) बैंक जमा ख) ऋण एवं अग्रिम ग) बचत बैंक खाते	5,89,19,399 9,14,839	VIII. सांविधिक भुगतान सहित अन्य भुगतान	9,00,08,881
IX. निवेश का नकदीकरण		IX. अनुदान की वापसी	6,01,08,686
X. अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा		X. जमा तथा अग्रिम	2,39,52,098
		XI. अन्य भुगतान विविध क्रेडिट	- 4,48,065
XI. अन्य आय (पूर्व अवधि सहित आय)	38,75,360		
XII. जमा तथा अग्रिम बैंक स्वीप खाता ईएमडी सहित जमा छात्रों से जमा कर्मचारियों को अन्य अग्रिम राशि	2,21,08,938 21,19,971 1,11,84,393 17,01,490	XII. अंतिम शेष क) रोकड शेष ख) बैंक शेष चालू खातों में बचत खातों में जमा खातों में	13,32,87,502 91,45,03,905
XIII. सांविधिक प्राप्तियों सहित विविध प्राप्तियां	-		
XIV. अन्य रसीदें परामर्श कार्य प्राप्त हेफा अनुदान किराये से आय अन्य	33,70,744 18,22,39,060 1,80,15,536 2,78,13,439	XV. अन्य भुगतान हेफा भुगतान परामर्श कार्य अन्य	19,90,41,060 33,87,668 23,90,719
कुल	2,48,90,76,425	कुल	2,48,90,76,425

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
तुलनपत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-1 समग्र/पूँजीगत निधि

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
	रुपये	रुपये
वर्ष के प्रारंभ में शेष	5,90,96,68,773	5,07,78,63,272
जोड़ें: समग्र/पूँजीगत निधि का अंशदान	22,72,39,060	25,33,32,038
जोड़ें: पूँजीगत व्यय के अंतर्गत उपयोग हेतु यूजीसी, भारत सरकार व राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान (केवल चालू वर्ष)	7,18,00,000	8,65,00,000
जोड़ें: उद्दिष्ट निधि से क्रय परिसंपत्तियां	-	-
जोड़ें: प्रायोजित परियोजनाओं से क्रय परिसंपत्तियां, जहां स्वामित्व संस्था में निहित है	-	-
जोड़ें: दान / उपहार से प्राप्त परिसंपत्तियां	-	-
जोड़ें/घटाएं : पूर्व अवधि का समायोजन (व्यय)*	1,78,06,532	53,33,09,870
जोड़ें: आय एवं व्यय लेखा से हस्तांतरित व्यय से अधिक आय	- 26,60,62,970	- 4,13,36,408
वर्ष की समाप्ति पर शेष	5,96,04,51,395	5,90,96,68,773

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
तुलनपत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची-2 नाभित/उद्दिष्ट/अक्षय निधि

विवरण	निधि वार ब्योरा				31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
	ककक*	खखख	गगग	अक्षय निधि		रुपये
क) निधियों का प्रारंभिक शेष	-	-	-	-		
ख) निधि में परिवर्धन:	-	-	-	-		-
ग) निधियों के निवेश से आय	-	-	-	-		-
घ) निवेश/अग्रिम पर उपार्जित ब्याज	-	-	-	-		-
ड) बचत बैंक खाता पर ब्याज	-	-	-	-		-
च) अन्य परिवर्धन - पूर्व अवधि व्यय (अतिरिक्त मूल्यहास वापस लिखा गया)	-	-	-	-		-
छ) मूल्यहास मूल्य वापस जोड़े	-	-	-	-		-
कुल (क)		-	-	-		

ख)

निधियों की वस्तुपरकता हेतु उपयोग/व्यय						
i. पूंजीगत व्यय	-	-	-	-		-
ii. राजस्व व्यय	-	-	-	-		-
iii अन्य- सीएजी लेखापरीक्षा के अनुरूप समायोजन	-	-	-	-		-
कुल (ख)	-	-	-	-		-

वर्ष की समाप्ति पर अंतशेष (क-ख)		-	-	-		
--	--	---	---	---	--	--

प्रस्तुतकर्ता

नकद एवं बैंक शेष	-	-	-	-		-
निवेश						
उपार्जित ब्याज जो देय नहीं		-	-	-		
कुल		-	-	-		

* जेआरएफ फंड

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
तुलनपत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-2क अक्षय निधि

तुलनपत्र की अनुसूचियों "उद्दिष्ट / अक्षय निधि" में "अक्षय निधि" कॉलम के आंकड़ों की प्रतिपुष्टि हेतु उप अनुसूची का नमूना प्रारूप

क्र.सं. (1)	अक्षय निधि का नाम (2)	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		कुल		वर्ष के दौरान वस्तुपरक व्यय	अंतशेष		कुल
		अक्षय निधि (3)	संचित ब्याज (4)	अक्षय निधि (5)	ब्याज (6)	अक्षय निधि (7)-(3+5)	संचित ब्याज	(9)	अक्ष य	संचित ब्याज	{10+ 11}

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
तुलनपत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 3 – चालू देयताएं एवं प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
	रुपये	रुपये
क. चालू देयताएं		
कर्मचारियों से जमा राशि		
छात्रों से जमा राशि :		
प्रतिभूति		-
अवधान राशी -वर्तमान छात्र	1,50,27,999	1,89,73,072
अवधान राशी-पूर्व छात्र	1,86,87,987	35,58,521
विविध लेनदार:		
वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए	2,69,357	16,89,254
अन्य (पुराने चेक खाता)		-
जमा-अन्य (ईएमडी, प्रतिभूति जमा सहित)	1,14,26,962	93,06,991
सांविधिक देयताएं (जीपीएफ, टीडीएस, डब्ल्यूसी टैक्स, सीपीएफ, जीआईएस, एनपीएस):		
अतिदेय		
अन्य	1,50,99,787	1,25,46,051
अन्य चालू देयदारियाँ		
देय वेतन	3,49,07,564	2,86,72,841
चालू प्रायोजित परियोजनाओं की प्राप्त रसीद	9,05,23,495	7,08,04,915
फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति की प्राप्त रसीद	16,24,845	28,26,973
अप्रयुक्त अनुदान*	30,02,10,003	30,02,10,003
अप्रयुक्त अनुदान- अतिरिक्त		-
अग्रिम अनुदान		-
बुक ओवरड्राफ्ट		
अन्य निधियां (हिका)	55,65,58,179	59,60,05,942
अन्य देयताएं	39,63,826	28,52,944
कुल (क)	1,04,83,00,003	1,04,74,47,507
ख. प्रावधान		
कराधान हेतु		
उपदान		
सेवानिवृत्ति/पेंशन		
संचित अवकाश नकदीकरण	11,29,49,615	9,47,95,304
अन्य प्रावधान#	4,49,440	4,49,440
सातवें वेतन आयोग का बकाया		-
कुल (ख)	11,33,99,055	9,52,44,744
कुल (क+ख)	1,16,16,99,058	1,14,26,92,251

अप्रयुक्त अनुदान में निम्नलिखित शेष राशि शामिल है:		
अनुदान अप्रयुक्त शेष	2,12,01,000	6,01,08,686
पूँजी अग्रिम	42,61,88,851	59,22,43,698
पूर्व अवधि हेतु सृजित यूजीसी अनुदान के ब्याज वापसी के लिए प्रावधान**		-
अतिरिक्त अनुदान		
कुल	44,73,89,851	65,23,52,384

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
तुलनपत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची अक) - प्रायोजित परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तिर्था/पुनःप्राप्तिर्था	कुल	वर्ष के दौरान व्यय/हस्तांतरण	31 मार्च, 2025 को अंत शेष		31 मार्च, 2024 को अंत शेष	
						क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट
1	अज्ञात अंतरा परियोजना-13660	7,32,549		7,32,549		7,32,549		7,32,549	
2	सहायता अनुदान 15224 (एजा थावर)	14,48,867		14,48,867		14,48,867		14,48,867	
3	सहायता अनुदान 19725	15,05,132	327	15,05,459		15,05,459		15,05,132	
4	अनुदान सहायता 4952 (HMC)	3,05,357		3,05,357		3,05,357		3,05,357	
5	सहायता अनुदान (एस्पेसिआर) GAN-9605	21,76,000		21,76,000		21,76,000		21,76,000	
6	अनुदान सहायता धर्मो (14508)	12,08,304		12,08,304		12,08,304		12,08,304	
7	आईसीएसएसआर अरविंद सिंह मेजावत (14526)	3,60,000		3,60,000		3,60,000		3,60,000	
8	आईसीएसएसआर कविता	10,000		10,000		10,000		10,000	
9	विश्व रसोद एस्बोआई	72,53,779	21,416	72,75,195	4,64,310	68,10,885		72,53,779	
10	विश्व रसोद (UAB को हस्तांतरित)	1,05,01,648		1,05,01,648		1,05,01,648		1,05,01,648	
11	नसीब सिंह आईसीएसएसआर फेलो	3,500		3,500		3,500		3,500	
12	परिपत्रकआई- अलौत कुमार साहू	1,20,000		1,20,000		1,20,000		1,20,000	
13	परियोजना डॉ. संजय कुमार जेवरसपन	8,99,000		8,99,000		8,99,000		8,99,000	
14	विज्ञान एवं अभियांत्रिकी	6,00,000		6,00,000		6,00,000		6,00,000	
15	विज्ञान एवं अभियांत्रिकी शोध- युवा	1,50,000		1,50,000		1,50,000		1,50,000	
16	स्वामी दयानंद सरस्वती पीठ	18,77,245		18,77,245		18,77,245		18,77,245	
17	समान अवसर प्रकॉट-10043	3,74,080		3,74,080		3,74,080		3,74,080	
18	एनएसएस-426 दिनेश चहल	4,67,496	1,04,725	5,72,221	2,20,175	3,52,046		4,67,496	
19	परियोजना-18887 (डॉ. मनोज पूजा)	28,386	39,568	67,954		67,954		28,386	
20	परियोजना-18887 (डॉ. मनोज पूजा)	5,18,773		5,18,773		5,18,773		5,18,773	
21	परियोजना-21298 (एकाश कुर)	18,04,346	156	18,04,502	1,416	18,03,086		18,04,346	
22	परियोजना-23807 (डॉ. सोविता बुधवार)	8,74,347		8,74,347		8,74,347		8,74,347	
23	परियोजना-26026 (लजपाल देवा) प्रक	17,17,533	15,418	17,32,951	15,012	17,17,939		17,17,533	
24	परियोजना-26442 दीपक पंत	(49)		(49)				(49)	
25	परियोजना-27672 (टी. लोणकरे)	8,753	5,807	14,560		14,560		8,753	
26	परियोजना-31754	(2,36,462)	2,83,991	47,529	2,79,436	(2,31,907)		(2,36,462)	
27	परियोजना-33257 (डॉ. कुमार सी.)	2,48,212	1,54,010	4,02,222	1,07,434	2,94,788		2,48,212	
29	परियोजना-34061 (अनिदिता चक्रवर्ती)	898	24	922		922		898	
30	परियोजना-ईटीफरल बी-14580	2,56,906	24,602	2,81,508		2,81,508		2,56,906	
31	परियोजना-88AC DBT-19318 (कै. के. डुके)	2,30,510		2,30,510		2,30,510		2,30,510	
32	परियोजना-क्रोसिंग बोर्डर्स-17213	16,700	481	17,181		17,181		16,700	
33	परियोजना-DPMK-06927	11,21,100	3,55,550	14,76,650		14,76,650		11,21,100	
34	परियोजना-डीएसटी-31471 (डॉ. नमता डाका)	(2,76,776)	3,34,560	57,784	56,416	1,368		(2,76,776)	
35	परियोजना-डीएसटी एआईएसटीडीएक-31198 (डॉ. गुजन गोयवा)	2,83,095	1,729	2,84,824	2,83,095	1,729		2,83,095	
36	परियोजना-डीएसटी सीई-26974 (डॉ. संविता बुधवार)	(3,12,854)	692	(3,12,162)		(3,12,162)		(3,12,854)	
37	परियोजना-ईसीआर-21317 (विनोद कुमार)	17,71,693	1,973	17,73,666	708	17,72,958		17,71,693	
38	परियोजना-जीआईएन-9605	1,06,569	19,923	1,26,492		1,26,492		1,06,569	
39	परियोजना-आईसीएसएसआर-25382	66,04,903	82,68,646	1,48,73,549	61,04,589	87,68,960		66,04,903	
40	परियोजना-इंफावर फैकल्टी-06095	1,09,823	3,177	1,13,000		1,13,000		1,09,823	
41	परियोजना-आईएससी-10034	311,939	7,122	3,19,061	0	3,19,061		3,11,939	
42	परियोजना-लैकसे-27876 (जितेंद्र सेनी)	(93,801)	94,676	875		875		(93,801)	
43	परियोजना-भाषा परिवर्तन-06526	82,881	88,996	1,71,877	87,810	84,067		82,881	
44	परियोजना-एनआरसी पीईडीटी-23393	19,31,151	798	19,31,949		19,31,949		19,31,151	
45	परियोजना-पीएमएसएमएसपीटीडी-12139	12,56,808	14,939	12,71,747	27,714	12,44,033		12,56,808	
46	परियोजना-प्रोटेड-29236 (डॉ. गुजन गोयवा)	(2,88,401)	12,791	(2,75,610)	59,000	(3,34,610)		(2,88,401)	
47	परियोजना-शोध एवं विस्तार-19381	66,197	1,914	68,111		68,111		66,197	
48	परियोजना-एस्टडीएम सीआईए-10-12412	1,17,318	3,393	1,20,711		1,20,711		1,17,318	

49	परियोजना - सर्व 31480 (डी नवरा हाका)	5,30,608	10,051	5,40,659	36,187	5,04,472		5,30,608
50	परियोजना -SEER-31709 (डी राम गोपाल)	(6,57,172)	194	(6,56,978)		(6,56,978)		(6,57,172)
51	परियोजना - सर्व वाईसरएस केमिस्ट्री-13378	-		-		-		-
52	परियोजना-साइडरोफोर-14571	13,78,236	6,103	13,84,339		13,84,339		13,78,236
53	परियोजना-सल्फोन-13873 (डी रावीत एस मेनन)	4,05,020		4,05,020		4,05,020		4,05,020
54	परियोजना-टूट आपटर् डू-11866	5,57,173	8,067	5,65,240		5,65,240		5,57,173
55	परियोजना-युवा क्लोनिंग-10867	1,98,626	72	1,98,698		1,98,698		1,98,626
56	फेलोशिप/आकाशिका प्राव-49125	50,12,739	16,69,427	66,82,166	40,10,392	26,71,774		50,12,739
57	अनुदान 19451 रणु यादव	190		190		190		190
58	अनुदान 3568	1,99,577		1,99,577		1,99,577		1,99,577
59	परियोजनाएँ -34414 (डी अणु)	1,12,291	384	1,12,675	3,728	1,08,947		1,12,291
60	मुराह पयु कायिका कल्सर	12,321		12,321		12,321		12,321
61	परियोजना - 37536	14,05,504	21,668	14,27,172	13,01,207	1,25,965		14,05,504
62	परियोजना - 37165	1,31,312	9,74,412	11,05,724	9,35,435	1,70,289		1,31,312
63	परियोजना (35529) DST FIST	577	16	593		593		577
64	परियोजना-18407	10,49,978	9,28,791	19,78,769	11,98,117	7,80,652		10,49,978
65	परियोजना 33132	9,47,751	12	9,47,763	6,080	9,41,683		9,47,751
66	परियोजना 35510	-	-	-		-		-
67	परियोजना - 3817 (डी अवेडकर बैक)	6,11,073	78,51,514	84,62,587	29,32,705	55,29,882		6,11,073
68	परियोजना-डी कायुलेस-15224	10,903	55	10,958		10,958		10,903
69	परियोजना-एस्टडीएससी-18841	(3,33,873)	15,828	(3,18,045)	1,92,787	(5,10,832)		(3,33,873)
70	परियोजना-थमोजास्ट यीस्ट-14508	23,905	11,812	35,717		35,717		23,905
71	भारत कोष	-		-		-		-
72	परियोजना -वितेन्द्र (गणित)	8,78,156		8,78,156		8,78,156		8,78,156
73	परियोजना - मारुति 88526	2,98,448	10,61,051	13,59,499	11,22,743	2,36,756		2,98,448
74	परियोजना - उग्रत भारत	1,00,000		1,00,000		1,00,000		1,00,000
75	PROJECT-ENV MICRO-2321	29,010	29,737	58,747		58,747		29,010
76	अनुदान प्राव आरसी	3,174	50,000	53,174		53,174		3,174
77	परियोजना - अनिदिता धनवती	6,21,683	1,34,02,169	1,40,23,852	22,23,852	1,18,00,000		6,21,683
78	परियोजना-89953	50,468	2,00,109	2,50,577	2,02,838	47,739		50,468
79	परियोजना-875	47,11,874		47,11,874	2,49,474	44,62,400		47,11,874
80	परियोजना- 40682	12,74,777	24,212	12,98,989	12,27,536	71,453		12,74,777
81	परियोजना-38580	3,024	17,086	20,110		20,110		3,024
82	परियोजना - 35990	1,714	8,122	9,836		9,836		1,714
83	परियोजना - 33866	4,32,552	4,63,180	8,95,732	5,44,367	3,51,365		4,32,552
84	परियोजना-5312	60,750	12,96,323	13,57,073	12,96,323	60,750		60,750
85	परियोजना -756	24,89,090	100	24,89,190	2,56,505	22,32,685		24,89,090
86	परियोजना -42413		7,06,620	7,06,620	5,76,448	1,30,172		
87	अनुदान एव सेमिनार		48,53,293	48,53,293	45,80,347	2,72,946		
88	अनुदान (रुण)		12,29,640	12,29,640	-	12,29,640		
89	परियोजना -1819		19,84,273	19,84,273	19,67,679	16,594		
90	परियोजना -43857		6,08,240	6,08,240	55,072	5,53,168		
91	परियोजना -45012		17,97,300	17,97,300	-	17,97,300		
92	परियोजना -43014		21,26,628	21,26,628	3,83,319	17,43,309		
93	परियोजना -816		21,53,163	21,53,163	19,67,657	1,85,506		
94	परियोजना -34052		18,830	18,830	18,830	-		
95	परियोजना -41830		4,55,509	4,55,509	3,29,208	1,26,301		
96	परियोजना -42389		5,31,782	5,31,782	3,30,501	2,01,281		
97	परियोजना -43193		13,19,478	13,19,478	11,84,069	1,35,409		
98	परियोजना -44332		9,62,438	9,62,438	8,30,130	1,32,308		
99	परियोजना -44572		50,089	50,089	-	50,089		
100	परियोजना -44615		6,00,000	6,00,000	35	5,99,965		
101	परियोजना -एमएमटीसी		28,73,235	28,73,235	27,71,176	79,950		
102	19725			-		-		
103	44679		134	134		134		
कुल		7,08,04,915	6,01,82,551	13,09,87,332	4,04,41,863	9,05,23,495	-	7,08,04,915

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
तुलनपत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 3(ख) – प्रयोजित फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति

क्र.सं.	फेलोशिप का नाम	01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष राशि		वर्ष के दौरान प्राप्ति/ पुनःप्राप्ति	कुल	वर्ष के दौरान व्यय/ हस्तांतरण	31 मार्च, 2025 को अंत शेष		31 मार्च, 2024 को अंत शेष	
1	अनुपम माधुर- पीएचडी शोधार्थी	-	56,000	2,59,613	3,15,613	2,74,613	41,000		18,000	
2	नरेन्द्र सिंह पीएचडी		-	1,30,000	1,30,000	2,23,000	(93,000)		-	
3	रोहित- पीएचडी शोधार्थी		21,000	1,78,314	1,99,314	1,99,312	2		18,000	
4	साहिल पीएचडी		-	4,274	4,274	4,274	-		-	
5	अनन कुमार-एचएससीआईटी	-	74,000	69,950	1,43,950	69,950	74,000		74,000	
6	जया यादव-एचएससीआईटी		38,000	2,35,795	2,73,795	2,35,795	38,000		78,443	
7	अमजद अली	-	-	1,30,000	1,30,000	1,20,000	10,000		-	
8	अंजलि जालान- आईसीएमआर	-	1,40,142	6,02,700	7,42,842	5,96,877	1,45,965		1,34,392	
9	बादल	-	-	1,23,066	1,23,066	1,23,066	-		-	
10	बशीर अहमद खान-आईसीएसएसआर	-	9,677	1,10,000	1,19,677	1,10,000	9,677		-	
11	पाथे-आईसीएसएसआर स्कॉलर		-	2,40,000	2,40,000	2,40,000	-		-	
12	कस्मीरा खानम-आईसीएसएसआर		-	2,05,010	2,05,010	2,05,010	-		-	
13	राधा-आईसीएसएसआर स्कॉलर		-	2,40,000	2,40,000	2,40,000	-		-	
14	डॉ. पूनम यादव-सीएसआईआर	-	-	-	-	-	-		403	
15	प्रीति यादव-सीएसआईआर स्कॉलर		-	-	-	-	-		58	
16	रजनी-सीएसआईआर स्कॉलर		-	-	-	-	-		20,000	
17	सविन- सीएसआईआर		-	-	-	-	-		235	
18	डॉ. हिममी		-	60,000	60,000	60,000	-		-	
19	डीएसटी ओवरसीज फेलोशिप - डॉ. अमित		1,45,006	1,79,746	3,24,752	3,24,752	-		1,45,006	
20	डीएसटी ओवरसीज फेलोशिप- पूजा यादव		-	-	-	-	-		(19,660)	
21	जगदाला		1,98,500	-	1,98,500	1,98,400	100		-	
22	जनार्दन सेन		2,63,460	-	2,63,460	-	2,63,460		-	
23	काजी फबीहान मेराज- पीडीएफ स्कॉलर		-	-	-	-	-		300	
24	जीतेन्द्र यादव		-	1,02,850	1,02,850	1,02,850	-		-	
25	करिना मोर		18,000	2,36,000	2,54,000	2,31,220	22,780		-	
26	सुश्री नैरू-शोधार्थी		1,94,516	5,62,245	7,56,761	5,43,408	2,13,353		30,233	
27	सुश्री भावना स्वामी		-	5,46,240	5,46,240	5,46,240	-		-	
28	नरेन्द्र सिंह		-	3,08,645	3,08,645	3,08,645	-		-	
29	नीतू		1,98,500	1,99,500	3,98,000	3,73,000	25,000		-	
30	पुष्पा-डीबीटी		28,329	-	28,329	-	28,329		29	
31	पुष्पा-डीबीटी नवीन		4,62,000	-	4,62,000	4,41,221	20,779		-	
32	विकास कुमार. शोधार्थी-डीबीटी		1,30,680	6,01,902	7,32,582	6,76,802	55,780		(1,33,920)	
33	सारिका ठाकुर-डीबीटी		2,48,171	6,10,340	8,58,511	7,80,923	77,588		-	
34	विक्रम पोरिया - डीबीटी		1,30,680	5,32,428	6,63,108	6,63,108	-		66,960	
35	शर्मिला		40,312	2,08,355	2,48,667	1,71,422	77,245		-	
36	तनु यादव		4,30,000	4,74,000	9,04,000	8,24,720	79,280		-	
37	तारिक अहमद भट		-	2,10,000	2,10,000	2,10,000	-		-	
38	अक्षय कुमार		-	2,41,226	2,41,226	2,03,226	38,000		-	
39	कविता			2,33,225	2,33,225	2,50,060	(16,835)		-	
40	किलोजिओम्बे			1,33,613	1,33,613	1,14,581	19,032		-	

41	मादिक रेशल रमेश					6,68,400	6,68,400	3,56,748	3,11,652		-
42	मीनाक्षी					3,00,705	3,00,705	2,62,705	38,000		-
43	मोनिक्-सीएसआईआर शोधार्थी					81,036	81,036	81,036	-		-
44	मुक्तार					3,00,705	3,00,705	2,62,705	38,000		-
45	सरिता कुमारी					1,66,211	1,66,211	1,41,496	24,715		-
46	शालू					1,56,990	1,56,990	1,00,000	56,990		-
47	शालू यादव					5,93,880	5,93,880	5,78,428	15,452		-
48	वरुणा यादव					2,53,226	2,53,226	2,43,226	10,000		-
49	अनिदिता					22,23,852	22,23,852	22,23,351	501		-
	कुल		-	28,26,973	1,27,14,042	1,55,41,015	1,39,16,170	16,24,845	-	4,32,479	

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
तुलनपत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 3(ग) – यूजीसी, भारत सरकार व राज्य सरकारों से अप्रत्यक्ष अनुदान

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
	रुपये	रुपये
क. योजना अनुदान : भारत सरकार		
शेष (अग्रानीत)		
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ		
कुल (क)		
घटाएँ: प्रतिदेय		
घटाएँ: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त		
घटाएँ: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त		
कुल (ख)		
अप्रत्यक्ष अग्रानीत (क-ख)		
ख. यूजीसी अनुदान		
शेष (अग्रानीत)	27,93,00,000	27,57,00,000
जोड़े: यूजीसी को प्रतिदेय हेतु चालू वर्ष प्रावधान		
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	90,71,65,999	84,15,00,000
कुल (ग)	1,18,64,65,999	1,11,72,00,000
घटाएँ: प्रतिदेय	2,12,01,000	6,01,08,686
घटाएँ: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	83,53,65,999	69,12,91,314
घटाएँ: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	18,91,99,000	8,65,00,000
कुल (घ)	1,04,57,65,999	83,79,00,000
अप्रत्यक्ष अग्रानीत (ग-घ)	14,07,00,000	27,93,00,000
ग. यूजीसी अनुदान		
शेष (अग्रानीत)		
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ		
कुल (ङ)		
घटाएँ: प्रतिदेय		
घटाएँ: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त		
घटाएँ: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त		
कुल (च)		
अप्रत्यक्ष अग्रानीत (ङ-च)		
घ. राज्य सरकार से अनुदान		
शेष (अग्रानीत)		
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ		
कुल (छ)		
घटाएँ: प्रतिदेय		
घटाएँ: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त		
घटाएँ: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त		
कुल (ज)		
अप्रत्यक्ष अग्रानीत (छ-ज)		
कुल योग (क+ख+ग+घ)	14,07,00,000	27,93,00,000

98

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
तुलनपत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5 : उद्दिष्ट/अक्षयनिधि से निवेश

कोष

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
	रुपये	रुपये
1. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में		-
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में		-
3. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		-
4. शेयर		-
5. डिबेंचर एवं बांड		-
6. अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा रसीदें		-
7. अन्य (एफडी पर अर्जित ब्याज)		-
कुल		-

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
तुलनपत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5 (क) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से निवेश (निधिवार)

क्रम संख्या	निधियां	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
		रुपये	रुपये
1			-
2			-
3			-
4			-
5			-
	कुल		-

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
तुलनपत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-6 : निवेश - अन्य

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
	रुपये	रुपये
1. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में		
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में		
3. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
4. शेयर		
5. डिबेंचर एवं बांड		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
तुलनपत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची- 7: चालू परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
	रुपये	रुपये
1. स्टॉक:		
क) भंडार एवं स्पेयर्स		-
ख) लुज टूल्स		-
ग) प्रकाशन		-
घ) प्रयोगशाला रसायन, उपभोग्य वस्तुएं और कांच के उपकरण तथा अन्य	20,73,610	
ड) निर्माण सामग्री		
च) विद्युत सामग्री		
छ) लेखन सामग्री		
ज) जल आपूर्ति सामग्री		
2. विविध देनदार:		-
क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	-	1,26,000
ख) अन्य-प्रतिभूति जमा		-
3. नकद एवं बैंक शेष		-
क) अनुसूचित बैंक में		
अग्रदाय		
सावधि जमा खातों में	91,45,03,905	89,23,94,964
बचत खातों में	13,32,87,502	12,15,89,420
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में:		
- चालू खातों में		-
- सावधि जमा खातों में		-
- बचत खातों में		-
4. डाकघर बचत खाते		-
5. हेफा शेष (एस्करो)*	8,550	8,550
कुल	1049873567	1,01,41,18,934

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
तुलनपत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-8: ऋण, अग्रिम एवं जमा

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
	रूपये	रूपये
1. कर्मचारियों को अग्रिम : (ब्याज रहित)		
क) वेतन		
ख) त्यौहार		
ग) चिकित्सा अग्रिम		
घ) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है) एलटीसी अग्रिम	27,336	
2. कर्मचारियों को दीर्घकालिक अग्रिम (ब्याज सहित)		
क) वाहन ऋण		
ख) गृह ऋण		
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
3. नकद अथवा अन्य अथवा मूल्य प्राप्ति के तौर पर पुनः प्राप्त योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ:*		-
पूँजीगत खाते पर	42,61,88,851	59,22,43,698
आपूर्तिकर्ताओं को		
अन्य	6,09,343	3,02,762
4. पूर्व खर्च		
बीमा		-
अन्य खर्चों		
5. जमा		
टेलीफोन		
पट्टा किराया		
विद्युत		
एआईसीटीई, यदि लागू हो		
अन्य (सीयूसीईटी)		-
6. अर्जित आय:		
क) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से निवेश		
ख) निवेश पर-अन्य		-
ग) ऋण और अग्रिम पर		
घ) अन्य (अप्राप्त आय - अर्जित बैंक ब्याज सहित)	14,85,291	12,55,794
ड) अर्जित शैक्षणिक रसीद	8,46,180	
7. अन्य - यूजीसी/प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त चालू परिसंपत्तियाँ		
क) प्रायोजित परियोजनाओं में डेबिट शेष		
ख) फेलोशिप और छात्रवृत्ति में डेबिट शेष		
ग) अनुदान एवं पुनः प्राप्ति		-
घ) अन्य प्राप्तियाँ (टीडीएस प्राप्तियाँ)	2,24,623	60,990
8. दावों की प्राप्तियाँ	-	
कुल	42,93,81,624	59,38,63,244

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
आय एवं व्यय लेखा की अनुसूचियां

अनुसूची 9 – शैक्षणिक प्राप्तियां

आय को निम्नानुसार वर्गीकृत एवं दर्शाया जाएगा:

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
	रूपये	रूपये
छात्रों से शुल्क		
शैक्षणिक		
टयुशन शुल्क	6,95,97,338	6,00,08,757
प्रवेश शुल्क	1,79,08,257	1,55,53,428
नामांकन शुल्क	12,85,250	11,01,700
पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	24,00,562	13,00,183
प्रयोगशाला शुल्क	21,32,030	15,18,464
पंजीकरण शुल्क	13,48,961	9,79,750
कुल (क)	9,46,72,398	8,04,62,281
परीक्षाएँ		
वार्षिक परीक्षा शुल्क	24,01,138	16,10,058
कुल (ख)	24,01,138	16,10,058
अन्य शुल्क		
पहचान पत्र शुल्क	6,85,650	4,71,334
जुर्माना/विविध शुल्क	9,36,800	6,19,419
चिकित्सा शुल्क	9,45,213	6,98,950
छात्रावास शुल्क	1,60,45,120	1,20,01,883
अन्य क्रियाकलाप	1,74,31,484	1,68,66,072
कुल (ग)	3,60,44,267	3,06,57,658
प्रकाशनों का विक्रय		
कुल (घ)		-
अन्य शैक्षणिक प्राप्तियां		
कार्यशालाओं, कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क	11,45,120	8,63,404
कुल (ङ)	11,45,120	8,63,404
कुल योग (क+ख+ग+घ)	13,42,62,923	11,35,93,401

अनुसूची 10 - अनुदान / सव्बिसडी (प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान)

विवरण	योजना			कुल योजना	११ योजना	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रुपये	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए रुपये
	भारत सरकार	यूजीसी					
		योजना	विशिष्ट योजनाएँ				
शेष अग्रानीत घटाएँ: अतिरिक्त आव्यवित्त पृथक् जोड़ें: यूजीसी को प्रतिदेय व्ययज हेतु चालू वर्ष का प्रावधान जोड़ें: हेमरा व्याज के लिए वर्ष के दौरान प्राप्तियां जोड़ें: यूजीसी के अलावा वर्ष के दौरान प्राप्तियां जोड़ें: वर्ष के दौरान यूजीसी से प्राप्तियां		28,13,03,484		28,13,03,484	-	27,57,00,000	
कुल घटाएँ: यूजीसी को प्रतिदेय		1,18,84,69,483		1,18,84,69,483	-	1,15,69,81,967	3,45,87,708
शेष घटाएँ: पंजीकृत व्यय के लिए प्रयुक्त**		1,16,72,68,483		1,16,72,68,483	-	1,09,68,73,281	51,94,259
शेष घटाएँ: पिछले वर्ष प्राप्त हेमरा ऋण घटाएँ: यूजीसी के अलावा वर्ष के दौरान प्रयुक्त घटाएँ: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त**		97,80,69,483		97,80,69,483	-	1,01,03,73,281	84,15,00,000
		20,03,484		20,03,484	-	23,94,553	
		83,53,65,999		83,53,65,999		72,66,75,244	
शेष अग्रानीत		14,07,00,000		14,07,00,000	-	28,13,03,484	

* पूंजीगत व्यय का उपयोग निम्नानुसार किया गया:

परिसंपत्तियों का कुल पूंजीकरण	
घटाएँ: पूर्व के अग्रिमों से सृजित एनपए	
घटाएँ: पूर्व के अग्रिमों से सृजित CWIP	
घटाएँ: दान की गई संपत्ति	
जोड़ें: दिया गया अग्रिम (चालू वर्ष में)	
घटाएँ: समाप्तोचित अग्रिम (चालू वर्ष में)	
घटाएँ: - आंतरिक रसीद	
कुल पूंजीगत व्यय	18,91,99,000

**** राजस्व व्यय का उपयोग निम्नानुसार किया गया:**

स्टाफ भुगतान एवं भत्ते	65,91,04,615
शैक्षणिक व्यय	5,99,22,110
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	16,72,46,380
परिवहन खर्च	49,56,819
अनुक्षण एवं रखरखाव	91,91,156
मूल्यहास	-
वित्त लागत	27,727
अन्य व्यय	1,48,000
आर्यो के अनुसार कुल राख्य व्यय	90,05,96,807
धटार्ण: चालु वर्ष में ग्रेजुटी ओर एतर्ह के लिए प्राक्धान (गैर नकद व्यय)	-
धटार्ण: संदिग्ध अडिर्णों के लिए प्राक्धान (गैर नकद व्यय)	-
कुल राख्य व्यय	90,05,96,806

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
आय एवं व्यय लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 11- निवेश से आय

विवरण		उद्दिष्ट/अक्षय निधि		
	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
	रूपये	रूपये	चालू वर्ष	चालू वर्ष
उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निवेश				
ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर		-		
ख) अन्य बांड/डिबेंचर		-		
सावधि जमा पर ब्याज			5,89,20,853	4,12,94,617
क) नामित निधि		-		
ख) पूंजी निधि		-		
ग) सामान्य निधि		-		
कर्मचारियों के अग्रिम देय सावधि जमा/ब्याज राशि पर अर्जित आय जो देय नहीं		-		
बचत बैंक खातों पर ब्याज		-		
अन्य - अग्रिम पर ब्याज		-		
कुल		-	5,89,20,853	4,12,94,617
उद्दिष्ट/अक्षय निधि में स्थानांतरित				

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
आय एवं व्यय लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 12- अर्जित ब्याज

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
	रूपये	रूपये
1. अनुसूचित बैंकों में बचत खातों पर		
बचत बैंक खातों पर ब्याज	9,14,839	21,95,017
2. ऋण पर		-
क. कर्मचारी/स्टाफ		
ख. अन्य		-
3. देनदारों एवं अन्य प्राप्तियों पर		-
कुल	9,14,839	21,95,017

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

आय एवं व्यय लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 13 – अन्य आय

विविध आय में शामिल महत्वपूर्ण राशी के मदों को पृथक दर्शित किया जाना चाहिए।

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
	रुपये	रुपये
क. भूमि एवं भवन से आय		
छात्रावास कक्ष किराया	1,03,19,099	88,52,608
लाइसेंस शुल्क	16,04,750	13,97,488
सभागार/खेल मैदान/सम्मेलन आदि का किराया प्रभार	36,500	
वसूला किया गया विद्युत प्रभार	27,75,910	12,12,021
वसूल किया गया जल प्रभार	31,69,877	19,13,361
किराया-अन्य	76,96,438	69,42,953
कुल (क)	2,56,02,574	2,03,18,431
ख संस्थान के प्रकाशनों का विक्रय		
कुल (ख)		
ग. आयोजनों से आय		
वार्षिक समारोह/खेल उत्सव से सकल प्राप्तियां		
घटाएँ: वार्षिक समारोह/खेल उत्सव पर प्रत्यक्ष व्यय		
शुल्क की सकल प्राप्तियां		
घटाएँ: शुल्क पर प्रत्यक्ष व्यय		
शैक्षिक भ्रमण के लिए सकल प्राप्तियां		
घटाएँ: दूर पर प्रत्यक्ष व्यय		
अन्य (अलग से निर्दिष्ट कर दशाएँ)		
कुल (ग)		
घ. अन्य		
परामर्श से आय	14,05,955	10,74,080
आरटीआई शुल्क		1,440
बट्टे खाते संबंधी प्रावधान		
आवेदन पत्र की बिक्री (भर्ती)	39,66,739	32,50,800
विविध रसीदें (निविदा फार्म, रद्दी कागज आदि की बिक्री)	2,27,317	1,72,348
परिसंपत्तियों के विक्रय/निस्तारण पर लाभ:		
क) स्वामित्व वाली संपत्ति		
ख) अनुदान से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त संपत्तियां		
संस्थाओं, कल्याणकारी निकायों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुदान/दान		
अन्य (परामर्श आदि)	9,65,882	2,23,138
कुल (घ)	65,65,893	47,21,806
कुल योग (क+ख+ग+घ)	3,21,68,467	2,50,40,237

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
आय एवं व्यय लेखा की अनुसूचियां

अनुसूची 14 – पूर्व अवधि आय

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
	रुपये	रुपये
शैक्षणिक प्रशिक्षण		
निवेश से आय		
अर्जित ब्याज	38,75,360	
ग्रेजुएट प्रोवधान वापिस लिया गया		
कुल	38,75,360	-

* अनुसूची 24 के अंतर्गत नोट 13 देखें

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
आय एवं व्यय लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 15 – स्टाफ भुगतान एवं भत्ते

शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, तदर्थ कर्मचारियों के लिए अलग-अलग वर्गीकृत किया जाएगा।

महंगाई भत्ते बकाया, वेतन वृद्धि के कारण बकाया वेतन अलग से दर्शित किया जाएगा।

इन्हे निम्नानुसार दर्शाया जाएगा:

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन एवं वेजेज-शिक्षण	47,45,62,827	40,70,98,985
वेतन एवं वेजेज-शिक्षणोत्तर	4,59,69,208	4,30,73,546
वेतन एवं वेजेज-तदर्थ		-
		-
कुल वेतन	52,05,32,035	45,01,72,531
भत्ते और बोनस	1,78,29,326	1,07,79,249
एनपीएस में अंशदान	6,55,52,123	5,78,58,453
अन्य निधि (पेंशन निधि) में अंशदान	-	31,21,414
कर्मचारी कल्याण व्यय	8,06,790	11,23,911
सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ*	28,10,177	13,85,720
छुट्टी नकदीकरण	2,37,60,890	9,47,95,304
एलटीसी सुविधा	43,18,515	34,00,267
चिकित्सा सुविधा	1,06,07,041	67,38,406
संतान शिक्षा भत्ता	68,24,940	54,34,275
मानदेय	-	2,08,959
अन्य(डीए)	60,62,778	50,66,239
कुल	65,91,04,615	64,00,84,728

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

आय एवं व्यय लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 15 ए - कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ

विवरण	पेंशन	उपदान (ग्रेच्युटी)	छुट्टी नकदीकरण	कुल
(क) के अनुसार परिचालन शेष			9,47,95,304	9,47,95,304
घटाएँ:- वर्ष के दौरान किया गया वास्तविक भुगतान (ख)			51,23,453	51,23,453
31.03.25 को उपलब्ध शेष राशि ख (क-ख)			8,96,71,851	8,96,71,851
31.03.25 तक एक्च्यूरियल के अनुसार आवश्यक प्रावधान (घ)			11,29,49,615	11,29,49,615
क. चालू वर्ष में किया जाने वाला प्रावधान (घ-ग)			2,32,77,764	2,32,77,764
ख. नई पेंशन योजना में अंशदान				-
ग. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति				-
घ. सेवानिवृत्ति पर गृहनगर यात्रा				-
ड. डिपॉजिट लिंकड बीमा भुगतान				-
कुल (क+ख+ग+घ)			2,32,77,764	2,32,77,764

टिप्पणी: 1. उप अनुसूची में कुल (क+ख+ग+घ) अनुसूची 15 में सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभों के सापेक्ष आंकड़ा होगा। 2. मद ख, ग, घ और ड का लेखा एक्च्यूरियल आधार होगा तथा इसमें 31/3/2025 को भुगतान किए जाने वाले बिल शामिल होंगे।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
आय एवं व्यय लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 16 – शैक्षणिक व्यय
इन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत एवं दर्शाया जाएगा:

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रयोगशाला व्यय	9,04,726	1,44,42,431
फिल्ड कार्य/सहभागिता	-	-
सेमिनार/कार्यशाला	88,73,847	81,60,670
अतिथि संकाय को भुगतान	1,51,26,224	1,28,50,438
परीक्षा	32,43,695	29,43,087
छात्र कल्याण हेतु व्यय	35,73,086	24,63,129
प्रवेश व्यय	4,42,945	2,35,586
दीक्षांत समारोह खर्च	54,23,664	25,44,843
प्रकाशन	-	-
वजीफा/मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति	-	-
सदस्यता व्यय	17,20,445	51,09,527
नॉन नेट फेलोशिप/छात्रवृत्ति	1,96,38,568	1,88,56,351
अन्य -		-
शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए टीए/डीए	5,98,090	9,025
अतिरिक्त अनुदान	-	-
- बीमा प्रभार	2,76,073	-
रेड क्रॉस	-	42,840
विभागीय व्यय	-	-
एल्युमिनी मीट	-	-
एनएसएस	1,00,747	1,59,673
कुल	5,99,22,110	6,78,17,600

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
आय एवं व्यय लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 17 – प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

इन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत एवं दर्शाया जाएगा:

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क्र.सं.	आधारभूत संरचना		
	वैद्युत एवं पॉवर	3,53,82,150	3,26,60,243
	जल प्रभार	-	-
	बीमा एक्सप.	80,044	2,74,823
	किराया, दर एवं कर	-	12,400
ख	संचार (कम्युनिकेशन)		
	डाक एवं स्टेशनरी	9,57,845	8,20,912
	मुद्रण व स्टेशनरी	32,65,907	70,81,259
	टेलीफोन एवं इंटरनेट प्रभार	32,77,783	51,56,483
ग	अन्य		
	यात्रा एवं परिवहन व्यय	4,41,186	1,38,02,284
	अतिथि सत्कार	19,05,859	28,29,690
	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	3,07,748	-
	व्यावसायिक प्रभार	49,54,557	18,23,347
	विज्ञापन तथा प्रचार	20,80,796	18,99,418
	पत्रिका एवं जर्नल	-	4,78,194
	अन्य-		
	अन्य-सुरक्षा सेवाएँ	9,48,95,858	8,43,72,247
	बैठक व्यय	-	-
	अन्य-समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ	-	-
	मेस खर्च	3,53,269	20,18,093
	अन्य-विविध व्यय	1,58,49,341	46,20,019
	हेफ़ा	-	3,21,93,155
	अन्य-आकस्मिकताएँ	27,87,578	10,05,251
	अन्य-खेल-कूद व्यय	2,28,478	5,30,119
	भर्ती व्यय	4,77,981	1,16,234
	यूजीसी को प्रतिदेय व्याज	-	-
	कुल	16,72,46,380	19,16,94,171

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

आय एवं व्यय लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 18 – परिवहन व्यय

शैक्षिक संस्थान के स्वामित्व में वाहनों के संबंध में।

शैक्षिक संस्थान के स्वामित्व के अलावा अन्य वाहनों के संबंध में, जिसमें किराय भुगतान तथा अन्य व्यय, यदि कोई हो, शामिल हैं।

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
1. वाहन (शैक्षणिक संस्थान के स्वामित्व में)		-
रनिंग व्यय		-
मरम्मत एवं रखरखाव (ईंधन प्रभार सहित)	30,89,861	31,72,322
बीमा व्यय		-
2. किराये/लीज पर वाहन		-
किराया/लीज व्यय	18,66,958	1,93,548
3. वाहन (टेक्सी) किराये का खर्च		-
कुल	49,56,819	33,65,870

अनुसूची 19 – मरम्मत एवं रखरखाव

मरम्मत एवं रखरखाव लागत को निम्नानुसार वर्गीकृत एवं दर्शाया जाएगा:

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
भवन	72,26,433	1,21,60,771
फर्नीचर	68,400	46,23,274
संयंत्र एवं मशीनरी-(आर एंड एम)	8,50,963	83,540
कार्यालय उपकरण(आर एंड एम)	8,58,944	49,74,300
सफाई सामग्री एवं सेवाएँ	30,396	4,40,329
लॉन का रखरखाव	-	-
अन्य (आर एंड एम)	1,56,020	12,03,101
कुल	91,91,156	2,34,85,315

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

आय एवं व्यय लेखा की अनुसूचियां

अनुसूची 20 – वित्त लागत

वित्त लागत को निम्नानुसार वर्गीकृत और प्रकट किया जाएगा:

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंक प्रभार	27,727	1,39,727
अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल	27,727	1,39,727

अनुसूची 21 – अन्य व्यय

अन्य व्ययों को बड़े खाते में डालना, प्रावधान, विविध, निवेशों तथा अचल संपत्तियों के विक्रय पर हानि आदि में वर्गीकृत किया जाएगा तथा तदनुसार उनको दर्शाया जाएगा।

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
संदेहस्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान*	-	-
अप्रतिसंहरणीय शेष राशि को बड़े खाते में डाला गया	-	-
अन्य संस्थाओं/संगठनों को अनुदान/सब्सिडी	-	-
अन्य (पूर्व अवधि)	-	-
कुल		

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
आय तथा व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 22 – पूर्व अवधि व्यय

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
	रुपये	रुपये
1. स्थापना व्यय		-
2. शैक्षणिक व्यय	1,48,000	-
3. प्रशासनिक व्यय		-
4. परिवहन व्यय		
5. यूजीसी अनुदान पर प्रतिदेय प्रावधान		-
कुल	1,48,000	-

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

अनुसूची- 23 (महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ)

1 तैयारी का आधार

खाते ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन एवं सामान्यतः लेखांकन की प्रोद्धवन पद्धति के तहत तैयार किए जाते हैं जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट किया गया हो।

2 राजस्व मान्यता

- 2.1 विद्यार्थियों से शुल्क (ट्यूशन शुल्क के अलावा), प्रवेश फॉर्म की बिक्री, रॉयल्टी तथा बचत बैंक खाते पर ब्याज का हिसाब नकद आधार पर हिसाब रखा जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए अलग से एकत्र की गई ट्यूशन फीस का हिसाब प्रोद्धवन आधार पर किया जाता है।
- 2.2 भूमि, भवन और अन्य संपत्ति से आय तथा निवेश पर ब्याज का हिसाब प्रोद्धवन आधार पर किया जाता है।
- 2.3 गृह निर्माण, वाहनों और कंप्यूटरों की खरीद के लिए कर्मचारियों को ब्याज वाले अग्रिमों पर ब्याज का हिसाब प्रत्येक वर्ष प्रोद्धवन के आधार पर रखा जाता है, हालांकि ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन के पूर्ण भुगतान के पश्चात शुरू होती है।

3 स्थायी परिसंपत्तियाँ एवं मूल्यहास

- 3.1 स्थायी परिसंपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया गया है जिसमें आवक माल दुलाई, शुल्क एवं कर तथा अधिग्रहण, संस्थापना एवं कमीशन से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्च शामिल हैं।
- 3.2 उपहार और दान की गई परिसंपत्ति का मूल्यांकन घोषित मूल्य पर किया जाता है, जहां उपलब्ध हो; यदि उपलब्ध नहीं है, तो परिसंपत्ति की भौतिक स्थिति के संदर्भ में समायोजित वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। वे पूंजीगत निधि में क्रेडिट किए जाते हैं और संस्थान की स्थायी परिसंपत्तियों में विलय कर दिया जाता है। मूल्यहास की गणना संबंधित परिसंपत्तियों पर लागू दरों पर की जाती है।
- 3.3 उपहार में प्राप्त पुस्तकों का मूल्यांकन पुस्तकों पर मुद्रित विक्रय मूल्य पर किया जाता है। जहां वे मुद्रित नहीं होते हैं, वहां मूल्य का आकलन किया जाता है।
- 3.4 स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन लागत कम संचित मूल्यहास पर किया जाता है। स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास निम्नलिखित दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति से निर्धारित किया जाता है।

मूर्त संपत्ति

भूमि	0%
साइट विकास	0%
भवन	2%
सड़क एवं पुल	2%
नलकूप एवं जल आपूर्ति	2%
सीवरेज एवं ड्रेनेज	2%
वैद्युत संस्थापना तथा उपकरण	5%
संयंत्र एवं मशीनरी	5%
वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	8%
कार्यालय उपकरण	7.5%
श्रव्य दृश्य उपकरण	7.5%
कंप्यूटर एवं सहायक उपकरण(पेरिफेरल्स)	20%
फर्नीचर, फिक्सचर एवं फिटिंग	7.5%
वाहन	10%
पुस्तकालय संबंधी पुस्तकें एवं वैज्ञानिक उपकरण	10%

अमूर्त संपत्ति

ई-जर्नल्स	40%
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	40%
पेटेंट एवं कॉपीराइट	9 Years

- 3.5 वर्ष के दौरान परिवर्धन पर पूर्ण वर्ष हेतु मूल्यहास की गणना की जाती है।

3.6 उद्दिष्ट निधियों और प्रायोजित परियोजनाओं की निधियों से सृजित परिसंपत्तियां, जहां ऐसी परिसंपत्तियों का स्वामित्व संस्थान में निहित है, पूंजीगत निधि में क्रेडिट द्वारा की जाती हैं तथा संस्था की स्थायी परिसंपत्तियों में विलय कर दी जाती हैं। मूल्यहास की गणना संबंधित परिसंपत्तियों पर लागू दरों पर की जाती है। प्रायोजित परियोजना निधि से सृजित परिसंपत्तियां, जहां स्वामित्व प्रायोजकों का है लेकिन संस्थान द्वारा धारित एवं उपयोग किया जाता है, खातों पर टिप्पणियों में पृथक् रूप से दर्शाया जाता है।

3.7 परिसंपत्ति, जिनमें से प्रत्येक का व्यक्तिगत मूल्य रु. 2000 अथवा उससे कम (पुस्तकालय संबंधी पुस्तकों को छोड़कर) को लघु मूल्य की परिसंपत्ति (स्मॉल वैल्यू एसेट्स) माना जाता है, ऐसी परिसंपत्ति के संबंध में उनके अधिग्रहण के समय 100% मूल्यहास पर गणना की जाती है। हालांकि प्रत्यक्ष लेखांकन एवं नियंत्रण ऐसी परिसंपत्ति के धारकों द्वारा जारी रखा जाता है।

4 अमूर्त परिसंपत्ति

4.1 इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स (ई-जर्नल्स) के सीमित लाभ के तत्वावधान में जो ऑन-लाइन एक्सेस से प्राप्त किया जा सकता है हेतु पुस्तकालय संबंधी पुस्तकों से अलग रखा जाता है। ई-जर्नल्स मूर्त रूप में नहीं हैं, लेकिन अस्थायी रूप से पूंजीकृत हैं तथा अकादमिक एवं शोध कर्मचारियों द्वारा अर्जित किए गए सतत ज्ञान के संदर्भ में व्यय की मात्रा और लाभ को देखते हुए; पुस्तकालय संबंधी पुस्तकों के संबंध में प्रदान किए गए 10% के मूल्यहास के मुकाबले ई-जर्नल्स के संबंध में मूल्यहास 40% की उच्च दर पर प्रदान किया जाता है।

4.2 सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण पर होने वाले खर्च को कंप्यूटर और पेरिफेरल्स से अलग कर दिया गया है, क्योंकि अमूर्त परिसंपत्ति होने के अलावा, इनके संबंध में अप्रचलन की दर बहुत अधिक है। सॉफ्टवेयर के संबंध में कंप्यूटर और पेरिफेरल्स के संबंध में प्रदान किए गए 20% के मूल्यहास के मुकाबले 40% की उच्च दर पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

5 स्टॉक

रसायनों, कांच की वस्तुओं, प्रकाशनों तथा अन्य भंडारों की खरीद पर व्यय का राजस्व व्यय के रूप में लेखा-जोखा रखा जाता है, सिवाय इसके कि 31 मार्च को धारित अंतिम स्टॉक के मूल्य को विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संबंधित राजस्व व्यय को कम करके इवेंटरी के रूप में स्थापित किया जाता है। उनका लागत पर मूल्यन किया गया है।

6 सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्ति हितलाभ यानी पेन्शन बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है। संस्थान के कर्मचारियों के पिछले नियुक्तियों से प्राप्त पेन्शन एवं उपदान (ग्रेच्युटी) का पूंजीकृत मूल्य, संबंधित प्रावधान खातों में जमा किया जाता है, जिन्हें संस्थान में समाहित किया गया है, प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में प्राप्त पेन्शन अंशदान भी पेन्शन खाते के प्रावधान में जमा किया जाता है। पेन्शन एवं अवकाश नकदीकरण का वास्तविक भुगतान संबंधित प्रावधानों के खातों में डेबिट किया जाता है। अन्य सेवानिवृत्ति लाभ जैसे डिपॉजिट लिंक्ड बीमा, नई पेन्शन योजना में अंशदान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा सेवानिवृत्ति पर गृह नगर की यात्रा का हिसाब बिमांकिक आधार (वर्ष के अंत में वास्तविक भुगतान एवं बकाया बिल) पर किया जाता है।

7 निवेश

7.1 दीर्घ अवधि के निवेश उनकी लागत अथवा अंकित मूल्य, जो भी कम हो, पर किए जाते हैं। हालांकि, तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार उनके मूल्य में किसी भी तरह की स्थायी कमी के लिए प्रावधान किया गया है।

7.2 अल्पकालिक निवेश उनकी लागत अथवा बाजार मूल्य (यदि उद्धृत किया गया हो), जो भी कम हो, पर किया जाता है।

8 उद्दिष्ट एवं अक्षय निधियां

निम्नलिखित दीर्घ अवधि की निधियां विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक निधियों का एक अलग बैंक खाता होता है। बड़े बैलेंस धनराशि का सरकारी प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड तथा बैंकों की सावधि जमा में भी निवेश होता है।

प्रोद्भूत आधार पर निवेश-I अग्रिम (गृह निर्माण हस्तांतरण(कन्वेयंस) और कंप्यूटर) से आय तथा बचत बैंक खातों पर ब्याज संबंधित निधियों में जमा किया जाता है। व्यय और अग्रिम (गृह निर्माण हस्तांतरण(कन्वेयंस) और कंप्यूटर के मामले में) को निधि में डेबिट किया जाता है। उद्दिष्ट निधि से सृजित परिसंपत्तियां जहां संस्था में स्वामित्व निहित है, पूंजीगत निधि में समान धनराशि जमा करके संस्था की परिसंपत्तियों में विलय कर दी जाती है। संबंधित निधियों में बैलेंस धनराशि को अग्रेनीत किया जाता है और बैंक में शेष धनराशि, निवेश और अर्जित ब्याज द्वारा परिसंपत्ति पक्ष की ओर दर्शाया जाता है।

- 8.1 समग्र निधि (कॉर्पस फंड स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिला योगदान; महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त मान्यता एवं संबद्धता शुल्क, परामर्श शुल्क में संस्थान का हिस्सा एवं शोध परियोजनाओं से अंशदान को समग्र निधि (कॉर्पस फंड) में परिवर्धन के रूप में माना जाता है।
निधि के निवेश से होने वाली आय को निधि में जोड़ा जाता है। समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा संस्थान की कार्य परिषद द्वारा दिशानिर्देशों के आधार पर राजस्व एवं पूंजीगत व्यय दोनों के लिए समग्र निधि (कॉर्पस फंड) का उपयोग किया जाता है। समग्र निधि (कॉर्पस फंड) से सृजित परिसंपत्तियों को पूंजीगत निधि में समान धनराशि जमा करके संस्था की परिसंपत्ति में मिला दिया जाता है। समग्र निधि (कॉर्पस फंड) में शेष धनराशि जिसे अग्रेनीत किया जाता है, उसे एक अलग बैंक खाते में शेष राशि, आरबीआई बांड में निवेश तथा बैंक में सावधि जमा और निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज द्वारा दर्शाया जाता है।
- 8.2 ए.डी. निधि
इस निधि की स्थापना 1 फरवरी, 2006 को हुई थी। इस निधि का उपयोग कुछ नवोन्मेषी कार्यक्रमों तथा इसके शोध और ऐसी अन्य विकास क्रियाकलापों के लिए किया जाना है, जैसा कि समय-समय पर कार्य परिषद द्वारा निर्धारित किया गया है।
- 8.3 गृह निर्माण अग्रिम निधि
गृह निर्माण के लिए अधिकारी एवं कर्मचारियों को ब्याज वाले अग्रिमों का भुगतान करने के उद्देश्य से एक परिक्रामी (रिवोल्विंग) निधि।
- 8.4 जे.आर.एफ/एस.आर.एफ निधि
कनिष्ठ/वरिष्ठ शोध अध्येताओं को अध्येतावृत्ति का भुगतान करने के प्रयोजन से यू.जी.सी/सरकार द्वारा प्रदान की गई निधि।
- 8.5 वाहन निधि (कंप्यूटर अग्रिम सहित)
मोटर कार, दोपहिया और कंप्यूटरों की खरीद के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ब्याज वाले अग्रिमों का भुगतान करने के उद्देश्य से एक परिक्रामी निधि।
- 8.6 राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप निधि
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के एस.सी/एस.टी के विद्यार्थियों को फेलोशिप के लिए प्रदान की जाने वाली निधि।
- 8.7 अक्षय निधियां
अक्षय निधियां विभिन्न व्यक्तिगत दाताओं, न्यासों (ट्रस्टों) और अन्य संगठनों से प्राप्त निधियां हैं, जो कि दाताओं के निर्दिष्टानुसार, चेयर्स की स्थापना के लिए तथा पदक और पुरस्कार के लिए है। जबकि प्रत्येक अक्षय निधि का अपना निवेश होता है, सभी अक्षय निधियों के लिए एक बचत बैंक खाता होता है, क्योंकि उनके प्रति गैर-निवेशित शेष धनराशि नगण्य होती है।
प्रत्येक अक्षय निधि के निवेश से होने वाली आय को निधि में जोड़ा जाता है। बचत बैंक पर ब्याज सभी अक्षय निधियों को वर्ष के अंत में प्रत्येक निधि में क्लोजिंग बैलेंस धनराशि के अनुपात में आबंटित किया जाता है। पदकों और पुरस्कारों पर होने वाले व्यय को संबंधित अक्षय निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज से पूरा किया जाता है और शेष राशि को आगे अग्रेनीत किया जाता है। हालांकि, चेयर्स के संबंध में अक्षय निधि के कॉर्पस का भी उपयोग किया जाता है। शेष धनराशि का प्रतिनिधित्व आर.बी.आई बांड और सावधि जमा में निवेश और सभी अक्षय निधियों के लिए बचत बैंक खाता में शेष धनराशि और निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज द्वारा किया जाता है।

9 सरकारी तथा यू.जी.सी अनुदान

- 9.1 सरकारी अनुदान और वि.अनु.आ. अनुदान का लेखा-जोखा प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। हालांकि, जहां वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान जारी करने की मंजूरी 31 मार्च से पहले प्राप्त होती है और अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है, अनुदान को प्रोद्घवन के आधार पर लेखा किया जाता है और एक समान धनराशि को अनुदानकर्ता से वसूली योग्य के रूप में दिखाया जाता है। प्रबंधन की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों, अग्रिमों और जमापत्रों का सामान्य तौर पर में प्राप्ति पर मूल्य है, जो कम से कम तुलन-पत्र में दिखाई गई कुल धनराशि के बराबर है।
- 9.2 पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग की गई सीमा तक, (प्रोद्घवन के आधार पर) यू.जी.सी से सरकारी अनुदान और अनुदान चालू वर्ष के लिए पूंजीगत निधि में अंतरित कर दिए जाते हैं।
- 9.3 राजस्व व्यय (प्रोद्घवन के आधार पर) को पूरा करने के लिए सरकार और यू.जी.सी अनुदानों को उस वर्ष की आय के रूप में माना जाता है, जिस वर्ष उन्हें प्राप्त किया जाता है।
- 9.4 अप्रयुक्त अनुदान (ऐसे अनुदानों में से भुगतान किए गए अग्रिमों सहित) को अग्रणीत किया जाता है और तुलन-पत्र में देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

10 उद्दिष्ट निधि का निवेश तथा ऐसे निवेशों पर प्रोद्घत ब्याज आय

व्यय के लिए तत्काल आवश्यक की सीमा से परे, ऐसी निधियों के प्रति उपलब्ध धनराशि को अनुमोदित प्रतिभूतियों और बांडों में निवेश किया जाता है अथवा बैंकों में सावधि के लिए जमा किया जाता है, शेष धनराशि बचत बैंक खातों में जमा रहती है। प्राप्त ब्याज, प्रोद्घत ब्याज तथा देय और अर्जित ब्याज, लेकिन ऐसे निवेशों पर देय नहीं है, उनको संबंधित निधियों में जोड़ा जाता है और संस्थान की आय के रूप में नहीं माना जाता है।

11 प्रायोजित परियोजनाएं

- 11.1 चालू प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में, प्रायोजकों से प्राप्त धनराशि को "वर्तमान देयताएं और प्रावधान – चालू देयताएं - अन्य देयताएं - चालू प्रायोजित परियोजनाओं के प्रति प्राप्ति" शीर्ष में जमा किया जाता है। जब कभी व्यय किया जाता है / ऐसी परियोजनाओं के लिए अग्रिम भुगतान किया जाता है, अथवा संबंधित परियोजना खाते को आर्बिट्ररी ओवरहेड शुल्क के साथ डेबिट किया जाता है, तो देयता खाते में से डेबिट कर दिया जाता है।
- 11.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित कनिष्ठ अनुसंधान छात्रवृत्ति के लिए उद्दिष्ट निधि के अलावा, विभिन्न संगठनों द्वारा फैलोशिप और छात्रवृत्तियां भी प्रायोजित की जाती हैं। इनका हिसाब प्रायोजित परियोजनाओं की तरह ही किया जाता है, सिवाय इसके कि आम तौर पर खर्च केवल फैलोशिप और छात्रवृत्ति के संचितरण पर होता है, जिसमें अध्येताओं और विद्वानों द्वारा आकस्मिक व्यय के लिए भत्ते शामिल हो सकते हैं।
- 11.3 संस्थान स्वयं भी फैलोशिप और छात्रवृत्ति प्रदान करता है, जिसे आकादमिक व्यय के रूप में शामिल किया जाता है।

12 आयकर

संस्थान की आय आयकर अधिनियम की धारा 10(23सी) के तहत आयकर से मुक्त है। इसलिए खातों में कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

13 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं

विश्वविद्यालय उन प्रावधानों का आकलन करता है जिनके पास पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हैं और यह संभव है कि दायित्वों को निपटाने हेतु संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। इन प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती है। आकस्मिक देनदारियों को दर्शित करने के लिए विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण निर्णय का उपयोग करता है। आकस्मिक देनदारियों को दर्शित तब किया जाता है जब पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न एक संभावित दायित्व होता है, जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने अथवा न होने से होगी जो पूरी तरह से संस्था के नियंत्रण में नहीं है अथवा वर्तमान दायित्व है कि पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जहां या तो यह संभावना नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी अथवा धनराशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता एवं न ही प्रकट किया जाता है।

14 हेफा लेखांकन नीति

हेफा ऋण को देयता माना जाता है तथा मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए प्राप्त अनुदान को ऋण से काट कर कॉर्पस फंड में शामिल कर लिया जाता है।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

अनुसूची- 24 (आकस्मिक देयताएं एवं खातों पर टिप्पणियाँ)

3 स्थायी परिसंपत्ति

- 3.1 अनुसूची-4 में स्थायी परिसंपत्तियों में वर्ष में परिवर्धन में चालू वर्ष में खरीदी गई / संस्थापित परिसंपत्तियां शामिल हैं, जो कि रु. 8,65,00,000/- की धनराशि की समग्र निधि(कॉर्पस फंड) में क्रेडिट द्वारा स्थापित की गई हैं। मूल परिसंपत्ति को लागत (इनपुट टैक्स क्रेडिट अथवा सेनवैट का निवल (30 जून, 2017 तक जी.एस.टी कार्यान्वयन तिथि से पहले की अवधि तक जहां भी लागू हो) को घटाकर संचित मूल्यहास और क्षति नुकसान, यदि कोई हो, तो उस पर बतायी गयी है। लागत में माल ढुलाई, शुल्क, लेवी और परिसंपत्ति को उनके इच्छित उपयोग के लिए काम करने की स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष लागत शामिल है। स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित उधार लागत, यदि सामग्री को भी लागत में शामिल किया जाता है, तो वे उस अवधि से संबंधित होते हैं जब तक कि ऐसी परिसंपत्तियां उपयोग में आने के लिए तैयार नहीं होती हैं।
- 3.2 अनुसूची-4 में निर्धारित स्थायी परिसंपत्तियों में से प्रायोजित परियोजनाओं की निधि से खरीदी गई परिसंपत्ति शामिल नहीं है, जो संस्थान की है और उपयोग की जाती है, क्योंकि परियोजना अनुबंधों में यह शर्त शामिल है कि परियोजना निधि से खरीदी गई ऐसी सभी परिसंपत्ति प्रायोजकों की संपत्ति रहेगी।
- 3.3 जहां भी आवश्यक समझा गया, स्थायी परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है।

4 समग्र

यू.जी.सी, भारत सरकार और राज्य सरकार से पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग की जाने वाली सीमा तक प्राप्त अनुदान की धनराशि को कॉर्पस फंड में जोड़ा जाता है।

5 प्रावधान

- 5.1 अधिसूचना संख्या 19-1/2017-आईएफडी, दिनांकित 12.04.2017 के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निदेश दिया कि एम.एच.आर.डी के तहत एन.पी.एस के तहत कवर किए गए स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों को उपदान(ग्रेच्युटी) और मृत्यु उपदान(डेथ ग्रेच्युटी) के विस्तार का मामला व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श के साथ एम.एच.आर.डी में विचाराधीन है। इसलिए एन.पी.एस के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान(ग्रेच्युटी) और मृत्यु उपदान(डेथ ग्रेच्युटी) का लाभ तब तक वापस ले लिया गया है जब तक कि इस मामले में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है। इसी के मद्देनजर चालू वर्ष में उपदान का प्रावधान नहीं किया गया है।
- 5.2 छुट्टी नकदीकरण
विश्वविद्यालय पूर्व के परिणामों के आधार पर वर्तमान के दायित्वों का आंकलन करता है तथा यह संभव है कि दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। इन प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती है। छुट्टी नकदीकरण के प्रावधान हेतु 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए शेष धनराशि के रूप में प्रारंभिक शेष 9,47,95,304/- है। प्रबंधन के वर्तमान वर्ष के आंकलन प्रमाण पत्र के अनुरूप 2,32,77,764/- है तथा 31.03.2025 को छुट्टी नकदीकरण का अंतः प्रावधान रुपये 11,29,49,615/- है।

6 जमा देयताएं

वर्ष के दौरान बयाना जमा और प्रतिभूति जमा के रूप में बकाया धनराशि रु. 1,50,27,999/- है।

7 वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम और जमा

- 7.1 प्रबंधन की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों, अग्रिमों और जमा राशियों का सामान्य रूप में प्राप्ति पर मूल्य कम से कम तुलन-पत्र में दर्शाई गई कुल धनराशि के बराबर है।
- 7.2 वर्ष के लिए खातों के संकलन के दौरान प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए और प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर नकद और बैंक शेष(बैलेंस) प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा, शेष धनराशि प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए समाधान विवरण तथा तीसरे पक्ष द्वारा प्रासंगिक शेष धनराशि की पुष्टि के अधीन हैं।

8 पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

9 फाइनल खातों के आंकड़ों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

10 31 मार्च, 2025 के तुलन-पत्र के साथ अनुसूचियां 1 से 24 संलग्न हैं और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

11

- 11.1 विश्वविद्यालय के वित्तीय विवरण (अर्थात्, तुलन-पत्र और आय एवं व्यय खाता) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों (अनुसूची-23 देखें) के आधार पर तैयार किए गए हैं।
- 11.2 आमतौर पर, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान विशेष रूप से अपनी परिसंपत्ति गिरवी रखकर ऋण नहीं जुटा सकते हैं, इसलिए शीर्ष सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण को तुलन-पत्र में नहीं रखा जाता है।
- 11.3 तुलन-पत्र तथा लेन-देन और इवेंट के आय एवं व्यय खाते में लेखांकन उपचार तथा प्रस्तुति उनके सार (सब्सटेंस) द्वारा नियंत्रित होती है, न कि केवल कानूनी रूप से।
- 11.4 तुलन-पत्र और/अथवा आय एवं व्यय खाते में किसी आइटम के लेखांकन उपचार और प्रकटीकरण के तरीके को निर्धारित करने में, भौतिकता की अवधारणा पर उचित विचार किया जाएगा।
- 11.5 तुलन पत्र और आय एवं व्यय खाते में दर्शाई गई सभी मदों के लिए तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के लिए संगत धनराशि को तुलन पत्र अथवा आय एवं व्यय खाते में दिया गया है जैसा भी मामला हो।
- 11.6 राजस्व को तब तक मान्यता नहीं दी गई है जब तक:
(क) संबंधित प्रदर्शन हासिल किया गया हो;
(ख) प्रतिफल के रनआउट के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं हो; और
(ग) प्राप्ति तथा अंतिम संग्रह की अपेक्षा करना अनुचित नहीं है।

12 वित्तीय वर्ष 2024-2025 का समायोजन

क इस वर्ष CPWD को दिए गए अग्रिम को पूंजीगत दर्शाया गया है तथा निर्माण कार्य की प्रगति का भौतिक तथा वित्तीय मिलान किया गया है तथा देय पूर्णता प्रमाणपत्र के आधार पर भवनों का पूंजीगत किया गया है। अचल संपत्ति जैसे प्रशासनिक खण्ड, पुरुष व महिला छात्रावास, अतिथि गृह, स्वास्थ्य केंद्र तथा टाईप III एवं IV स्टॉफ क्वार्टर्स को भी पूंजी के अंतर्गत दिखाया गया है।

ख एनबीसीसी को चालू वर्ष के दौरान शैक्षणिक खण्ड 1,3 तथा 4 का निर्माण कार्य हेतु रुपये 13,86,00,000/- का तथा वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखा में रुपये 1,66,70,85,173/- का प्रगति कार्य दिया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान शैक्षणिक खण्ड 1,3 तथा 4 के संबंध में राशि को इस वर्ष पूंजीगत किया गया है।

ग पूंजीगत संपत्ति (सीपीडब्ल्यू तथा एनबीसीसी के संबंध में) मूल्यहास एसएलएम पद्धति से लगाया गया है। मूल्यहास की गणना भवन के पूर्ण निर्माण तिथि से लागू किया गया है।

घ देय हेफा ब्याज रुपये 17,42,59,288/- को वर्ष 2023-24 तक पूंजीगत किया गया है तथा चालू वर्ष का देय डब्ल्यूआईपी के अंतर्गत है क्योंकि कुल कार्य बाकी है जिसको संपत्ति के पूंजीकरण के समय पूंजीगत किया जाएगा।

ङ अवकाश नकदीकरण का प्रावधान एक्चुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट (AS-15® के अनुसार) के अनुसार किया गया है। तथा वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए अनुसूची 15ए तैयार की गई है।

च. इस वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान कोई अकास्मिक देयता नहीं है।

छ. दिनांक 31.03.2025 को अंतिम स्टॉक अनुसूची 7 में दर्शाया गया है।

ज. योजना xi तथा xii के अंतर्गत अप्रयुक्त शेष है जिसमें रुपये 13,86,00,000/- का वर्ष 2024-25 के दौरान एनबीसीसी को भुगतान किया गया।



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चंडीगढ़
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Director General of Audit
(Central), Chandigarh



सं०/No:DGA(C)/CE/SAR/CIHM/2025-26/ 619

दि०/Dated:- 04.11.2025

सेवा मे,

सचिव,
 उच्चतर शिक्षा विभाग,
 शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
 नई दिल्ली - 110001

विषय: Central University of Haryana, Mahendergarh के वर्ष 2024-25 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

कृपया Central University of Haryana, Mahendergarh के वर्ष 2024-25 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संलग्न पाएं। संसद में प्रस्तुत होने तक प्रतिवेदन को गोपनीय रखा जाए।

संसद में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय को भी भेज दी जाएं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

— हस्ता—

प्रधान निदेशक

✓ उपरोक्त की प्रतिलिपि वर्ष 2024-25 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु The Vice Chancellor, Central University of Haryana, Mahendergarh-Jant Pali, Mahendergarh, Haryana – 123029 को प्रेषित की जाती है।

भवदीय,

निदेशक (केन्द्रीय व्यय)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की राय

1. केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 31(1) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत हमने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की जिसमें 31 मार्च 2025 की वित्तीय स्थिति, समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा/प्राप्ति-अदायगी लेखा तथा वित्तीय विवरणों के नोट्स सहित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश समाहित हैं।

2. लेखापरीक्षा रिपोर्ट में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ लेखाकरण कार्यप्रणाली पर हैं जो केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखाकरण प्रथाओं की अनुरूपता, लेखाकरण तथा प्रकटन मानकों इत्यादि से संबंधित हैं। विधि, नियम व विनियम (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन तथा क्षमता व निष्पादित पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हों, के संबंध में वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ अलग से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएज लेखापरीक्षा रिपोर्टों द्वारा प्रतिवेदित की गई हैं।

हमारी राय में, रिपोर्ट के योग्यतापूर्ण राय का आधार अनुभाग में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, लेखाकरण नीतियों एवं उन पर नोट्स तथा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य मामले के साथ पठित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के संलग्न वित्तीय विवरण दिनांक 31 मार्च, 2025 तक स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन एवं समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सत्य एवं निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक दिनांक 17 अप्रैल 2015 के आदेश संख्या 29-4/2012-एफडी द्वारा निर्धारित प्रारूप/ सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखाकरण मानकों के अनुसार है।

योग्यतापूर्ण राय का आधार

विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों को देय उपदान(ग्रेच्युटी) का बीमांकिक मूल्यांकन नहीं कराया है जो लेखाकरण मानक 15 और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन है। (टिप्पणी क.5)

योग्यतापूर्ण राय

हमने लेखापरीक्षा कैग के लेखापरीक्षा नियमों/मानकों/मैनुअल /दिशानिर्देशों/ मार्गदर्शन-नोट्स/आदेशों/परिपत्रों आदि के अंतर्गत किया है। हमारे उत्तरदायित्वों का ब्यौरा रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व" अनुभाग में दर्शित है। वित्तीय विवरणों के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हम स्वायत्त निकाय से निष्पक्ष हैं, तथा हमने इन आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को भी पूर्ण किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा दर्शित लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी योग्यतापूर्ण राय के लिए आधार हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण विषय

शून्य

वित्तीय विवरणों के प्रबंधन का उत्तरदायित्व

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ की कार्य परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रपत्र दिनांक 17 अप्रैल 2015 के आदेश संख्या 29-4/2012-एफडी द्वारा निर्धारित प्रारूप/भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति तथा आंतरिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायित्व है क्योंकि वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति हेतु प्रबंधन निर्धारण आवश्यक है जो कपट या त्रुटि इत्यादि के कारण तथ्यों के गलत विवरण से मुक्त है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य आश्वासित होना है कि समग्र वित्तीय विवरणों के तथ्य कपट या त्रुटि के कारण किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं। हमारा उद्देश्य है कि कैग के लेखापरीक्षा नियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन नोट्स/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार हमारी राय सहित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

मुख्य लेखापरीक्षा निदेशक
(केंद्रीय), चण्डीगढ़

स्थान: चण्डीगढ़

दिनांक: 04.11.2025

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के लेखा पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क. सामान्य

क.1 तुलनपत्र

क.1.1 निधियों का स्रोत

क.1.1.1 कॉर्पस निधि/पूँजी निधि (अनुसूची 1) ₹ 596.05 करोड़

(i) कॉर्पस/पूँजी निधि में योगदान: ₹22.72 करोड़

निर्धारित प्रारूप के अनुसार, यूजीसी, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से पूँजीगत व्यय हेतु उपयोग की गई राशि को कॉर्पस/ पूँजी निधि में जोड़ा जाना है। इसके अतिरिक्त, निर्माणाधीन अचल संपत्तियों को उनके नियत उपयोग के लिए तैयार होने तक निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य में दर्शाया जाए। अधिग्रहीत और स्थापना हेतु लंबित संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों को निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य में शामिल करना चाहिए।

उपर्युक्त में विश्वविद्यालय द्वारा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत प्राप्त ₹45 करोड़ का अनुदान शामिल है।

तुलनपत्र के "निधि उपयोग" पक्ष के अंतर्गत, विश्वविद्यालय ने सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक 400 मीटर (8 लेन) के निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सीपीडब्ल्यूडी¹ के पास जमा राशि के रूप में पूँजी खाते में ₹2.45 करोड़ का अग्रिम दिखाया है और शेष ₹2.00 करोड़ बैंक बैलेंस² दर्शाया गया है।

हालांकि, सीपीडब्ल्यूडी की 31 मार्च 2025 तक अवधि के लिए प्रत्यक्ष/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, कार्य निष्पादन में ₹0.90 करोड़ का व्यय हुआ। निर्धारित प्रारूप में दिए गए निर्देशों के अनुसार, ₹0.90 करोड़ का व्यय निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य के साथ-साथ कॉर्पस/पूँजीगत निधि में दर्शाया जाना चाहिए। अप्रयुक्त 3.55 करोड़ रुपये की निधि (बैंक में ₹2.00 करोड़ और सीपीडब्ल्यूडी के पास ₹1.55³ करोड़) को चालू देनदारियों के अंतर्गत अप्रयुक्त अनुदान में दर्शाया जाना चाहिए।

¹केंद्रीय लोक निर्माण विभाग।

²विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खातों के विवरण के अनुसार, बैंक खाता संख्या 7824000100006945 में।

³(रुपये 2.45 - 0.90 करोड़)

इस प्रकार ऊपर वर्णित अनुसार, निर्धारित प्रारूप में दिए गए निर्देशों के अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप कॉर्पस/पूँजी निधि में ₹3.55 करोड़ अधिविवरण और अप्रयुक्त अनुदानों में ₹3.55 करोड़ कम विवरण दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, ऋणों, अग्रिमों एवं जमाओं में अधिविवरण एवं निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य में ₹0.90 करोड़ का कम विवरण दर्शाया गया है जो राशि निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य में स्थानांतरित नहीं की गई है।

(ii) पूँजीगत व्यय के लिए उपयोग हेतु यूजीसी इत्यादि से अनुदान: ₹7.18 करोड़

निर्धारित प्रारूप में दिए गए निर्देशों के अनुसार, कॉर्पस/पूँजी निधि में परिवर्धन पूँजीगत व्यय के लिए उपयोग अनुदानों तक किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, उप-अनुसूची 3G और उप-अनुसूची 10⁴ तैयार कर अप्रयुक्त अनुदानों के शेष को चालू देनदारियों (अनुसूची 3) के अंतर्गत शामिल करना चाहिए।

उपर्युक्त यूजीसी अनुदानों की सीमा तक पूँजीगत व्यय के लिए उपयोग अनुदान की कॉर्पस/पूँजीगत निधि में परिवर्धन दर्शित करता है। निर्धारित प्रारूप में निहित निर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय ने उप-अनुसूची 3G/अनुसूची 10 में ₹18.92 करोड़ की राशि के लिए परिसंपत्तियों का पूँजीकरण दर्शाया है। यद्यपि, कॉर्पस/पूँजीगत निधि (अनुसूची 1) में ₹18.92 करोड़ के बजाय केवल ₹7.18 करोड़ की राशि ही दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, ₹7.18 करोड़ की राशि में किए गए परिवर्धन में ₹2.12 करोड़ की राशि का अप्रयुक्त अनुदान शेष भी शामिल है, जो वर्ष के अंत में समाप्त हो गया। इसलिए, ₹13.86 (18.92-(7.18-2.12)) करोड़ रुपये तक की परिसंपत्तियों का पूँजीकरण कॉर्पस/पूँजी निधि (अनुसूची 1) में दर्ज नहीं किया गया और साथ ही अनुसूची 3 में दिखाए गए अप्रयुक्त अनुदानों का शेष भी दर्ज नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पस/पूँजी निधि का कम विवरण और अप्रयुक्त अनुदानों का (जैसा कि अनुसूची 3⁵ में दिखाया गया है) ₹13.86 (18.92-(7.18-2.12)) करोड़ अधिविवरण दर्शाया गया है।

क.1.1.2 चालू देनदारियां एवं प्रावधान (अनुसूची 3): ₹116.17 करोड़ अप्रयुक्त अनुदान: ₹30.02 करोड़

निर्धारित प्रारूप के अनुसार, उप-अनुसूची 3C और उप-अनुसूची 10 तैयार करके अप्रयुक्त अनुदानों का शेष भाग चालू देयताओं (अनुसूची 3) के अंतर्गत शामिल किया जाना है।

⁴निर्धारित प्रारूप के अनुसार, अनुसूची 3G और अनुसूची 10 समान हैं, अर्थात् इनमें सरकारी अनुदानों के संबंध में समान लेखाकरण लेनदेन हैं।

उपर्युक्त में अनुदान पर देय ब्याज ₹1.41 करोड़, विविध प्राप्तियाँ ₹0.01 करोड़ और विविध अनुदान प्राप्तियाँ ₹0.67 करोड़ को गलत तरीके से शामिल⁶ किया गया है, जिन्हें क्रमशः चालू देनदारियाँ (₹1.42 करोड़) और परियोजना शेष (₹0.67 करोड़) के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था। ऐसा न करने के परिणामस्वरूप अप्रयुक्त अनुदानों ₹2.09⁷ करोड़ का अधिविवरण दर्शाया गया है और अनुदान पर देय ब्याज के कारण देनदारियों की सीमा तक चालू देनदारियाँ ₹1.41 करोड़, विविध प्राप्तियाँ ₹0.01 करोड़ और परियोजना शेष ₹0.67 करोड़ का कम विवरण दर्शाया गया है।

यह अवलोकन पिछले वर्ष 2023-24 (क्र.स. ग.2) की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी शामिल किया गया था। यद्यपि, विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2024-25 के लेखा में अनुपालन नहीं किया गया, जबकि पिछले वर्ष इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा परिशोधन का आश्वासन दिया गया था।

क.2 निधियों का उपयोग

चल संपत्तियाँ- ₹564.29 करोड़

निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य: ₹137.73 करोड़

क.2.1 उपर्युक्त में ₹9.30 करोड़ की राशि शामिल है जो (i) CPWD को नहर जल के लिए- ₹6.46 करोड़ (ii) DHBVNL को ₹1.88 करोड़ और (iii) NICSIZ को ₹0.96 करोड़ को भुगतान की गई थी।

ये कार्य CPWD, DHBVNL और NICSIZ द्वारा पूरे किए गए थे, यद्यपि, इन कार्यों को अभी भी विश्वविद्यालय द्वारा अपनी लेखा बही में पूंजीकृत नहीं किया गया है। संस्थान को अनुमोदित प्रारूप के अनुसार परिसंपत्तियों को पूंजीकृत करके लेखा बही में तदनुसार मूल्यहास लगाना आवश्यक है।

क.2.2 इसके अतिरिक्त, CPWD ने कार्य निष्पादन के लिए ₹6.60 करोड़ का दावा किया, जबकि उसके पास ₹6.46 करोड़ जमा थे। यद्यपि, विश्वविद्यालय ने लेखा बही में CPWD को देय शेष राशि ₹0.14 करोड़ की देनदारी नहीं दर्शाई है। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों के साथ निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य (CWIP) में ₹0.14 करोड़ का कम विवरण दर्शाया गया है।

क.3 अनुसूची 1 के अंतर्गत कॉर्पस/पूंजीगत निधि में परिवर्धन के रूप में दर्शाए गए ₹22.72 करोड़ के कॉर्पस/पूंजीगत निधि में योगदान में ₹15.12 करोड़ (हेफा1: ₹8.64 करोड़ एवं हेफा2: ₹6.48 करोड़) तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) से ऋण के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त ₹3.10 करोड़ शामिल हैं।

⁷निर्धारित प्रारूप के अनुसार, परियोजना शेष को भी चालू देनदारियों में शामिल किया जाना है (अनुसूची 3)

यद्यपि, विश्वविद्यालय ने निर्धारित प्रारूप के विपरीत, पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण की सीमित सीमा के बिना, प्राप्त अनुदान की पूर्ण राशि को कॉर्पस/पूंजीगत निधि में परिवर्धन हेतु गलत दर्ज किया है। विश्वविद्यालय लेखापरीक्षा के अधीन, हेफा मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए प्राप्त सभी अनुदानों की समीक्षा कर, जिन्हें कॉर्पस/पूंजीगत निधि में जोड़ा गया है और उन राशियों को वापस करें जो अभी तक परिसंपत्तियाँ नहीं बनी हैं।

क.4 ₹137.73 करोड़ के निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यों (CWIP) में ₹125.31 करोड़ के कार्य शामिल थे, जिनके संबंध में रिकार्ड/फाइलें लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गईं। रिकार्ड /फाइलों के अभाव में, ₹125.31 करोड़ की उपर्युक्त CWIP राशि का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका। ये अवलोकन पिछले वर्ष 2023-24 (क्र.स. ग.5) की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी शामिल था। यद्यपि, विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए अपने लेखा बही में इसका अनुपालन नहीं किया गया हालांकि विश्वविद्यालय द्वारा पिछले वर्ष परिशोधन का आश्वासन दिया गया था।

क.5 लेखाकरण मानक-15 के साथ लेखा का निर्धारित प्रारूप के तहत कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों का लेखा-जोखा और प्रकटीकरण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अनिवार्य है। इस प्रकार, मानक के अनुसार किसी संस्थान को रोजगारोत्तर लाभों जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को मान्यता देना आवश्यक है। व्यय विभाग (DoE), वित्त मंत्रालय (MoF), भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन सं. 1(16)/EV/2017 दिनांक 02.12.2021 के माध्यम से, शिक्षा मंत्रालय को सलाह दी है कि वह स्वायत्त निकायों/संगठनों को श्रम और रोजगार मंत्रालय (MoL&E) के परामर्श से ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 को अपनाने का निर्देश दे, क्योंकि CCS (पेंशन) नियम, 1972 केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यालय ज्ञापन सं.आर-13011/02/2022-एसएस.II दिनांक 23.11.2022 के माध्यम से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 शैक्षणिक संस्थानों के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है, क्योंकि उक्त अधिनियम में कर्मचारियों के विभिन्न समूह/श्रेणी/वर्ग के लिए प्रावधान नहीं हैं और इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम (एनपीएस कर्मचारियों के मामले में) की प्रयोज्यता के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोई अलग अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

यद्यपि, विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी का बीमांकिक मूल्यांकन नहीं कराया है। इस प्रकार, विश्वविद्यालय द्वारा अपने लेखा बहियों में ग्रेच्युटी भुगतान का प्रावधान नहीं किया गया है। संस्थान को अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान कर एएस-15 के तहत लेखा नोट्स में विस्तृत जानकारी दि जाए।

क.6 निर्धारित प्रारूप में दिए गए निर्देशों के अनुसार अचल संपत्तियों का लेखाकरण न होना

(i) निर्धारित प्रारूप के अनुसार, अलग-अलग लेखा शीर्षों को बहीखातों में प्रविष्टि कर अचल संपत्ति रजिस्ट्रों के साथ मिलान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आवश्यक राशि के लिए उपर्युक्त उप-शीर्षों के अंतर्गत जानकारी का प्रकटीकरण किया जाए।

यद्यपि, वर्ष के दौरान लेखा बही में योगों और अचल संपत्ति रजिस्टर में योगों के आंकड़ों में अंतर है। उदाहरण के लिए, खेल, मशीनरी और वैज्ञानिक उपकरणों में योगों की राशि; अचल संपत्ति रजिस्टर के अनुसार ₹4.41 करोड़ थी, हालाँकि लेखा बही के अनुसार ये ₹2.03 करोड़ थी। इसलिए, लागू प्रारूप में निर्धारित शीर्ष और विश्वविद्यालय के लेखा बही में अपनाए गए शीर्ष अचल संपत्ति रजिस्टर में उसी तरह शामिल नहीं पाए गए। इस प्रकार, अचल संपत्ति रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों का लेखा बही में दर्ज अचल संपत्तियों के विवरण के साथ मिलान नहीं किया जा सका।

अचल संपत्ति के शीर्षों को शामिल कर विश्वविद्यालय अचल संपत्ति रजिस्टर में संशोधित करे, जैसा कि लागू प्रारूप में निर्धारित है और जैसा विश्वविद्यालय ने लेखा बही में अपनाया गया है।

(ii) निर्धारित प्रारूप के अनुसार, प्रत्येक निधि स्रोत, जिनसे ये बनी है, के लिए उप-अनुसूचियाँ तैयार कर अचल संपत्तियों की मुख्य अनुसूची के साथ संलग्न की जाए।

विश्वविद्यालय विभिन्न निधि स्रोतों, जैसे कि पूंजी अनुदान, हेफा ऋण एवं प्रायोजित परियोजनाओं से अचल संपत्तियों का निर्माण कर रहा है। यद्यपि, विश्वविद्यालय ने निर्धारित प्रारूप में निहित निर्देशों के विपरीत, विभिन्न निधि स्रोतों से निर्मित अचल संपत्तियों को दर्शाने वाली उप-अनुसूचियाँ तैयार नहीं की हैं।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय ने निर्धारित प्रारूप के विपरीत "अमूर्त संपत्ति" और "पेटेंट और कॉपीराइट" के लिए संपत्तियों का विवरण दर्शित करने वाली उप-अनुसूचियाँ भी तैयार नहीं की हैं।

ख. आंतरिक नियंत्रण का आकलन

ख.1 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

विश्वविद्यालय में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली कार्यरत है और वर्ष 2024-25 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा किया गया।

ख.2 विश्वविद्यालय के आंतरिक काम-काज में सहयोग के लिए विश्वविद्यालय के सांविधिक और समूह-क अधिकारियों का एक समूह गठित किया गया।

ख.3 अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2024-25 के लिए अचल संपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया। पुस्तकालय का प्रत्यक्ष सत्यापन भी किया गया।

ख.4 वस्तुसूची (इंवेन्ट्री) के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2024-25 के लिए इंवेन्ट्री का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया।

बी.5 सांविधिक बकाया राशि का भुगतान

रिकॉर्ड के अनुसार, सांविधिक बकाया राशि का भुगतान नियमित है।

ग. अनुदान

ग.1 दिनांक 31.03.2025 को विश्वविद्यालय को प्राप्त अनुदान की स्थिति का विवरण निम्नवत है:-

(राशि: ₹ करोड़ में)

अनुदान शीर्ष	सामान्य -31	पूंजी -35	वेतन -36	कुल
वर्ष के अंत में प्रारंभिक शेष	शून्य	27.93	शून्य	27.93
वर्ष के दौरान प्राप्ति	35.39	7.08	48.15	90.72
कुल उपलब्ध निधि	35.39	35.11	48.15	118.65
घटाए: वर्ष के दौरान प्रयुक्त	35.39	18.92	48.15	102.46
घटाए: यूजीसी को वापस राशी	शून्य	2.12	शून्य	2.12
वर्ष के अंत में शेष	शून्य	14.07	शून्य	14.07

ग.2 विश्वविद्यालय द्वारा चालू देनदारी अनुसूची 3 के अंतर्गत दर्शाए गए अनुदानों का अप्रयुक्त शेष ₹30.02 करोड़ था, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा ₹15.95 करोड़ (13.86+2.09) करोड़ तक ठीक किया जाना आवश्यक है, जैसा कि ऊपर क्रम संख्या क.1.1.2 एवं क.1.2 में दी गई टिप्पणियों में दर्शाया गया है।

ग.3 वर्ष 2024-25 के दौरान, विश्वविद्यालय को हेफा मूलधन की अदायगी एवं हेफा ब्याज पुनर्भुगतान के लिए क्रमशः ₹14.62 करोड़ और ₹3.10 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ, जिसका पूर्णतः उपयोग किया गया। वर्ष के प्रारंभ में इन अनुदानों में कोई प्रारंभिक शेष नहीं था।

समाप्त



EDITORIAL AND PUBLICATION COMMITTEE

**Dr. Shaweta Nanda,
Associate Professor
Department of English & Foreign Language**

**Dr. Yudhvir,
Assistant Professor
Department of Sciology**

**Dr. Naresh Kumar,
Assistant Librarian
PDU Central Library**

**Sh. Radhe Shyam Singh,
Deputy Registrar
Finance Branch**